

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का**
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन

**बिहार सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या—2**

विषय सूची

विषय	सन्दर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	V
विहंगावलोकन	-	vii-xii
परिचय		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप		
सामान्य	1-2	1-2
उत्तरदायित्व रूपरेखा	3-4	2-3
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा०क्षे०उ०) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5-6	3-4
बिहार सरकार द्वारा राज्य के सा०क्षे०उ० में निवेश	7-9	4-5
भाग—I		
अध्याय—I		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप		
परिचय	1.1-1.2	7-8
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	1.3	8
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.4	8-9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	1.5	9-10
बिहार सरकार के वित्त लेखे के साथ समाशोधन	1.6	10-11
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	1.7	11
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.8-1.18	12-18
उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता	1.19	19-20
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	1.20	21
निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं	1.21	21
बी०एस०ई०बी० द्वारा देय लेखापरीक्षा शुल्क	1.22	22
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.23-1.25	22-23
अध्याय—II		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा		
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
‘बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1-2.16	25-58

विषय	सन्दर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
अध्याय-III		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण		
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
परिहार्य भुगतान के कारण नुकसान	3.1	59-61
विचलन के कारण अतिरिक्त शुल्क का भुगतान	3.2	61-62
भाग-II		
अध्याय-IV		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप		
परिचय	4.1-4.2	63-64
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश	4.3-4.4	64-65
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुर्णसंरचना एवं निजीकरण	4.5	65
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता	4.6	65-66
बिहार के वित्त लेखे के साथ समाशोधन	4.7	67
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	4.8	67-68
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के अंतिमीकरण न होने के प्रभाव	4.9	69
अकार्यशील राज्य सा०क्षे०उ० का समापन	4.10	69
सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	4.11	69-70
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन	4.12-4.23	70-78
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	4.24-4.25	78-79
अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं	4.26	79
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.27-4.29	79-80
अध्याय-V		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण		
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	5.1	81-82

विषय	सन्दर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
मुख्यमंत्री राहत कोष ट्रस्ट में अनियमित अंशदान	5.2	82-83
बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	5.3	83-84
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड		
ब्याज के अधिक भुगतान के कारण हानि	5.4	85-86
बिहार राज्य भण्डारण निगम		
किराये की वसूली नहीं होना	5.5	86-87
बिहार स्टेट बिवरजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड		
आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ	5.6	87-89

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विषय	सन्दर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं.
1.1	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे नवीनतम वर्ष के लिए अंतिमीकृत किए गए हैं, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.8 एवं 1.9	91
1.2	31 मार्च 2018 को राज्य ऊर्जा क्षेत्र के साझेदारों से सम्बन्धित पूँजी तथा बकाये ऋणों की स्थिति को दर्शाती विवरणी	1.8	92
2.1	31 मार्च 2019 को आरोजी0जी0वी0वाई0 योजना के भौतिक एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी अ. भौतिक स्थिति ब. वित्तीय स्थिति	2.1 (अ) एवं 2.13.1	93
2.2	31 मार्च 2019 को डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 योजना के भौतिक एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी अ. भौतिक स्थिति ब. वित्तीय स्थिति	2.1 (ब) एवं 2.13.2	94
2.3	31 मार्च 2019 को डी0डी0जी0 परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.1 (स)	95
2.4	31 मार्च 2019 को बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत 11 जिलों/परियोजनाओं के पूर्णरूपेण विद्युतीकरण के भौतिक एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी अ. भौतिक स्थिति ब. वित्तीय स्थिति	2.1 (द)	96
2.5	31 मार्च 2019 को एम0वी0एस0एन0वाई0 के भौतिक एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी अ. भौतिक स्थिति ब. वित्तीय स्थिति	2.1 (छ)	97

परिशिष्ट सं.	विषय	सन्दर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं.
2.6	शिथिल किए गए/वास्तविक मात्रा एवं एल0ओ0ए0 में मूल्यांकित मात्राओं में अन्तर को दर्शाती विवरणी	2.12.2	98
2.7	संचालन और अनुरक्षण व्ययों तथा मूल्यहास को दर्शाती विवरणी	2.12.4	99
2.8	30 सितम्बर 2018 तक 33 के0भी0 लाईनें, 33/11 के0भी0 पी0एस0एस0, 11 के0भी0 लाईनें, 63 के0भी0ए0 डी0टी0आर0 एवं एल0टी0 लाईनों के सर्वेक्षण/शिथिल की गई मात्रा एवं इसकी उपलब्धि को दर्शाती विवरणी	2.13.1	100
2.9	वर्ष 2013–14 से 2017–18 के लिए एस0बी0पी0डी0सी0एल0 का वित्तीय प्रदर्शन एवं कार्यकारी परिणाम	2.14.1	101
2.10	वर्ष 2013–14 से 2017–18 के लिए एन0बी0पी0डी0सी0एल0 का वित्तीय प्रदर्शन एवं कार्यकारी परिणाम	2.14.1	102
2.11	मापदंडों के लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाती विवरणी	2.16	103
2.12	ग्रामीण घरों (आर0एच0एच0) एवं इनकी विद्युतीकरण की स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.16.1	104
4.1	इस प्रतिवेदन में सम्मिलित राज्य सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष के अन्तिमीकृत लेखों का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	4.1	105-107
4.2	राज्य सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं है, का विवरण	4.1	108-110
4.3	31 मार्च 2018 को राज्य सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती विवरणी	4.3 एवं 4.12	111-112
4.4	31 मार्च 2018 को राज्य सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के संबंध में पूँजी, ऋण तथा प्रत्याभूतियों के अधिशेष तथा बिहार सरकार के वित्त लेखों में अन्तर को दर्शाती विवरणी	4.7	113-116
4.5	राज्य सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखें बकाये में थे, में बकाये की अवधि में राज्य सरकार द्वारा किए गये निवेश को दर्शाती विवरणी	4.8.1	117-118
4.6	2000–01 से 2017–18 की अवधि के दौरान राज्य सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाती विवरणी	4.15	119-128

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानद सरकारी कम्पनियाँ) के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0), द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के तहत सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है जिस पर सी0ए0जी0 अपनी टिप्पणियाँ देते हैं अथवा सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदनों का अनुपूरण करते हैं। इसके अतिरिक्त, सी0ए0जी0 द्वारा इन कम्पनियों की नमूना लेखापरीक्षा भी की जा सकती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा—क के अन्तर्गत सी0ए0जी0, बिहार विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित करने हेतु, सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन सरकार को सुपुर्द करती है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2017–18 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये और साथ—साथ वे मामले भी हैं जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2017–18 के उपरान्त की अवधि के मामले भी, जहाँ सम्बन्धित तथा आवश्यक समझे गए, सम्मिलित कर लिए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के द्वारा शासित होती है। सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। ये वित्तीय विवरण सी0ए0जी0 द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन आते हैं। वैद्यानिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित कानून द्वारा शासित होती है।

31 मार्च 2018 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के तहत बिहार में 79 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा0क्षे0उ0) थे, जिसमें तीन सांविधिक निगमें एवं 76 सरकारी कम्पनियाँ (44 अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ सहित) शामिल थी। इस प्रतिवेदन में शामिल सा0क्षे0उ0 ने अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 17,342.83 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2017–18 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (₹ 4,87,628.00 करोड़) के 3.56 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2018 को 79 सा0क्षे0उ0 में ₹ 42,548.68 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) था, जिसका 88.90 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र के सा0क्षे0उ0 में था।

1. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

31 मार्च 2018 को, बिहार में नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों¹ ने 2017–18 के दौरान अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 11,607.25 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 2.38 प्रतिशत के बराबर था, जो कि राज्य के ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा राज्य के अर्थव्यवस्था में निभाई गई एक महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

बिहार सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2018 तक नौ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 37,826.03 करोड़ का कुल निवेश (अंश पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) था। निवेश में, अंश पूँजी 80.25 प्रतिशत एवं दीर्घकालिक ऋण 19.75 प्रतिशत सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घकालिक ऋण, कुल दीर्घकालिक ऋण का 14.75 प्रतिशत (₹ 1,101.80 करोड़) था, जबकि 85.25 प्रतिशत (₹ 6,370.39 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया था।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

इस प्रतिवेदन के दायरे में शामिल ऊर्जा क्षेत्र की छ: कम्पनियों ने वर्ष 2015–16 में ₹ 1,064.07 करोड़ हानि के विरुद्ध 2017–18 में ₹ 7,818.40 करोड़ की हानि वहन की थी। इस प्रतिवेदन में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के छ: कम्पनियों के वर्ष 2017–18 तक के नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार दो सा0क्षे0उ0 ने ₹ 287.94 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं चार सा0क्षे0उ0 ने ₹ 8,106.34 करोड़ की हानि वहन की। लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 262.02 करोड़) एवं बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (₹ 25.92 करोड़) थी। शीर्ष हानि वहन करने वाली कम्पनियों में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 5,031.73 करोड़), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन

¹ इस प्रतिवेदन में तीन सा0क्षे0उ0 (बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एवं पीरपेंटी बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड) जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक से बढ़ाया में थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, शामिल नहीं हैं।

कम्पनी लिमिटेड (₹ 2,330.58 करोड़) एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 740.49 करोड़) थी। 31 मार्च 2018 तक ऊर्जा क्षेत्र की छ: कम्पनियों की संचित हानियां ₹ 30,254.78 करोड़ के पूँजी निवेश के मुकाबले ₹ 14,956.70 करोड़ थी।

31 मार्च 2018 को एक साठें यथा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के संचित हानियों द्वारा निवल परिसंपत्तियों का पूर्ण रूप से क्षण हो गया था और ₹ 4,808.95 करोड़ के अंश पूँजी निवेश के मुकाबले इसकी निवल परिसंपत्ति (-) ₹ 275.07 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2018 के अंत में एक साठें यथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की प्रदत्त पूँजी² इसके निवल परिसंपत्ति के आधे से भी कम थी। यह इन साठें की संभावित वित्तीय दुर्बलता को दर्शाता है।

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय पुनरुद्धार

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत, राज्य डिस्कॉम्स को उनके परिचालन एवं वित्तीय पुनरुद्धार में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार सरकार एवं सम्बन्धित राज्य डिस्कॉम (अर्थात् एस०बी०पी०डी०सी०एल० एवं एन०बी०पी०डी०सी०एल०) के मध्य त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एम०ओ०य०) पर हस्ताक्षर (22 फरवरी 2016) किए गए। उदय योजना एवं एम०ओ०य० के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितम्बर 2015 को दो राज्य डिस्कॉम्स से सम्बन्धित कुल बकाया ऋण (₹ 3,109.06 करोड़) में से बिहार सरकार ने 2016–17 के दौरान ₹ 2,331.78 करोड़ के ऋण का अधिग्रहण कर लिया था। शेष ऋण को केनरा बैंक के द्वारा पुनर्निधारित किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उदय योजना के तहत निर्धारित किए गए परिचालन मापदंडों के मुकाबले डिस्कॉम्स का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। डिस्कॉम्स ने ग्रामीण फीडर की लेखापरीक्षा एवं स्मार्ट मीटरिंग के लिए कार्यवाही शुरू नहीं किया है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर मीटरिंग एवं फीडर विभाजन के क्षेत्रों में भी खराब प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, प्रगति के वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए, डिस्कॉम्स द्वारा 31 मार्च 2020 तक ए० टी० एण्ड सी० हानि को घटाकर 15 प्रतिशत तक करने के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी हासिल करना मुश्किल होगा।

लेखाओं की गुणवत्ता

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 के दौरान अंतिमीकृत किए गए छ: लेखाओं में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने पांच लेखाओं पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिया था। ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं करने के 18 प्रकरण थे।

2. “बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

आर०ई० योजनाओं/निर्माण कार्यों की योजना

सरकार/डिस्कॉम्स ने ग्रामीण उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन और कृषि आधारित उद्योगों के भार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। इस प्रकार, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना उस सीमा तक दोषपूर्ण थी।

(कंडिका 2.12.1)

² ₹ 8,996.43 करोड़ के प्रदत्त पूँजी के विरुद्ध निवल सम्पत्ति ₹ 2,476.46 करोड़ थी।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी०डी०य०जी०जे०वाई०) के तहत वास्तविक सर्वेक्षण/आवश्यकता के आकलन के बिना डी०पी०आर० तैयार करने से परियोजना लागत में ₹ 1,632.67 करोड़ की अल्प स्वीकृति हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को कुल परियोजना लागत के 60 प्रतिशत की राशि ₹ 979.60 करोड़ का नुकसान हुआ।

(कंडिका 2.12.3)

डिस्कॉम्स द्वारा अपनाया गया आपदा पुनर्प्राप्ति योजना का तरीका प्रभावी नहीं था, क्योंकि बीमा कम्पनी के साथ दावे का निपटारा अत्यंत कम था और परिसम्पत्तियों की हानि के सभी दावे भी दर्ज नहीं किए जा सके थे।

(कंडिका 2.12.5)

परियोजना प्रबंधन

डिस्कॉम्स, राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर०जी०जी०वी०वाई०) के तहत परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित तिथि से दो वर्ष बाद भी पूरा नहीं कर सका। बी०पी०एल० घरों हेतु स्वीकृत मात्रा की तुलना में प्रदान किए गए विद्युत संबंध 32 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक थे। इसी प्रकार, पावर सब स्टेशन (पी०एस०एस०) के निर्माण के लिए जमीन सौंपने में देरी, ड्राइंग की मंजूरी में देरी, परिमाण विपत्र को अंतिम रूप देने में देरी और संवेदकों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण डी०डी०य०जी०जे०वाई० के तहत कार्य की प्रगति निम्न थी।

(कंडिका 2.13.1 एवं 2.13.2)

डिस्कॉम्स दरों की अनुसूची रखने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹ 830.47 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

(कंडिका 2.13.4)

पर्याप्त मानव बल की तैनाती के संबंध में परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी०एम०ए०) अपने दायित्वों के निर्वहन करने में विफल रही। अनुबन्ध में उपयुक्त प्रावधान नहीं होने से मानव बल की अल्प तैनाती के बावजूद एस०बी०पी०डी०सी०एल० कोई दण्ड नहीं लगा सका जिसके परिणामस्वरूप पी०एम०ए० को अनुचित लाभ हुआ।

(कंडिका 2.13.6)

डी०डी०य०जी०जे०वाई० के दिशा-निर्देशों के अनुसार डिस्कॉम्स एकरारनामे को निष्पादित करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप पी०एम०ए० को ₹ 24.19 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.13.8)

वित्तीय प्रबंधन

डिस्कॉम्स बिजली की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में विफल रहे, क्योंकि 2013–14 से 2017–18 के अवधि के दौरान प्रत्येक रूपये के व्यय पर अर्जित आय घटकर एस०बी०पी०डी०सी०एल० में ₹ 0.94 से ₹ 0.73 और एन०बी०पी०डी०सी०एल० में ₹ 0.97 से ₹ 0.87 दर्ज की गई।

(कंडिका 2.14.1)

डिस्कॉम (एस०बी०पी०डी०सी०एल०), आर०ई०सी० द्वारा संवितरित निधि एवं इसके द्वारा प्राप्त निधि का समाशोधन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप आर०जी०जी०वी०वाई० के अंतर्गत ₹ 82.04 करोड़ के निधि की कमी हो गई।

(कंडिका 2.14.5)

डिस्कॉम्स, आर0जी0जी0वी0वाई0 और डी0डी0यूजी0जे0वाई0 के तहत ₹ 6.62 करोड़ की अप्रयुक्त निधि पर अर्जित ब्याज की राशि एवं ₹ 109.95 करोड़ की मोबिलाईजेशन अग्रिम पर अर्जित ब्याज की राशि को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करने में विफल रहा।

(कंडिका 2.14.7)

डिस्कॉम्स ने पाँच वर्षों की अवधि के बीत जाने के बाद भी वैट के मद में भुगतान की गई ₹ 48.56 करोड़ की राशि का दावा बिहार सरकार से नहीं किया।

(कंडिका 2.14.8)

अनुश्रवण प्रक्रिया

राज्य स्तरीय स्थायी समिति के नवम्बर 2013 से नवम्बर 2018 के मध्य तीन बैठकें हुई थीं। जिला विद्युत समिति की बैठकें निर्धारित अवधि पर आयोजित नहीं हुईं।

(कंडिका 2.15.1)

डिस्कॉम्स द्वारा उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पावर सब-स्टेशन स्तर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर स्तर पर बिजली की गुणवत्ता से संबंधित आंकड़ों का पर्याप्त अनुश्रवण नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.15.2)

ग्रामीण विद्युतीकरण की कुल उपलब्धि

हालाँकि, डिस्कॉम्स ने ग्रामीण घरों में अक्टूबर 2018 तक सौ प्रतिशत विद्युतीकरण का दावा किया था, किंतु 2011 की जनगणना एवं डी0पी0आर0 के अनुसार ग्रामीण घरों की तुलना में दोनों डिस्कॉम्स में ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण का प्रतिशत क्रमशः 70.61 प्रतिशत एवं 68.68 प्रतिशत था।

(कंडिका 2.16.1)

सभी 38 परियोजनाओं में शिथिल किए गए विद्युत संबंधों की संख्या और डी0पी0आर0 की संख्या के बीच 46.93 लाख से अधिक का अंतर था।

(कंडिका 2.16.2)

निष्पादन लेखापरीक्षा में आठ अनुशंसाएँ सम्मिलित हैं यथा (i) डिस्कॉम्स को योजना के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और डी0पी0आर0 बनाने में उचित कर्मठता सुनिश्चित करना चाहिए; (ii) डिस्कॉम्स को काम आवंटित करने से पहले दरों की औचित्यता/प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करनी चाहिए; (iii) डिस्कॉम्स को वर्तमान एस0ओ0आर0 के आधार पर परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) को निर्मित करना चाहिए और स्वीकृत लागत और आवंटित लागत के अंतर का भार उठाने के लिए बिहार सरकार के साथ मामला उठाना चाहिए; (iv) डिस्कॉम्स को परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करना चाहिए; (v) डिस्कॉम्स को प्रबंधकीय दक्षता, लाभप्रदता और व्यवहार्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित वितरण हानि के लक्ष्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इस कारण राजकोष पर पड़ने वाले भार को टाला जा सके; (vi) डिस्कॉम्स को निधि प्रबंधन से संबंधित योजना के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए; (vii) डिस्कॉम्स को समयबद्ध तरीके से संवितरण और निधियों की प्राप्ति में अंतर का समाशोधन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से कपट/दुर्विनियोजन आसानी से हो सकते हैं; एवं (viii) डिस्कॉम्स को सभी घरों (बी0पी0एल0 परिवारों सहित) को बिजली की सुविधा प्रदान करने के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

3. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में रही कमियों को उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े।

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सार नीचे दिया गया है :

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा निविदा के माध्यम से अनुबंध करने में विफलता के परिणामस्वरूप उच्च ट्रेडिंग मार्जिन के रूप ₹ 12.69 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.1)

सी0ई0आर0सी0 विनियमन 2014 के तहत बिजली के आहरण को सीमित करने में विफलता के कारण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने ₹ 115.23 करोड़ का अतिरिक्त विचलन प्रभार वहन किया।

(कंडिका 3.2)

4. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप

31 मार्च 2018 को बिहार में 70 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) थे, जिसमें 23 कार्यशील कम्पनियाँ, तीन कार्यरत सांविधिक निगमें एवं 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (समस्त कम्पनियाँ) थे। वर्ष 2017–18 के दौरान नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार सा0क्षे0उ0³ ने ₹ 5,735.58 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 1.18 प्रतिशत के बराबर था, जो इन सा0क्षे0उ0 द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में निभाई गई भूमिका को दर्शाता है।

बिहार सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2018 को इन 70 सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश (अंश पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 4,722.65 करोड़ था। निवेश में अंश पूँजी 12.38 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण 87.62 प्रतिशत सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घकालिक ऋण कुल दीर्घकालिक ऋण का 93.61 प्रतिशत (₹ 3,873.55 करोड़) था, जबकि कुल दीर्घकालिक ऋणों का 6.39 प्रतिशत (₹ 264.61 करोड़) केन्द्र सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया था।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

इस प्रतिवेदन में शामिल 10 सा0क्षे0उ0 में से सात सा0क्षे0उ0 ने ₹ 224.15 करोड़ का लाभ अर्जित किया जिनमें से सभी को या तो एकाधिकार लाभ हो रहा था या बजटीय सहायता, सेंटेज कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि से सुनिश्चित आय हो रही थी। वर्ष 2017–18 में लाभ कमाने वाली शीर्ष कम्पनियाँ, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 93.86 करोड़), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 70.26 करोड़), बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 22.96 करोड़), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 18.11 करोड़) थी।

³ इस प्रतिवेदन में 60 सा0क्षे0उ0 (परिशिष्ट 4.2) शामिल नहीं हैं जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया में थे या वे मृतप्राय/परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

अग्रेतर, 2017–18 के दौरान प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करने वाले सभी तीन⁴ साठें रु 0 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

रु 46.72 करोड़ की हानि वहन की। इन साठें रु को 2015–16 से 2017–18 के दौरान लगातार हानि वहन करनी पड़ी थी और इनकी संचित हानियां 2015–16 में रु 614.77 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में रु 667.87 करोड़ हो गई थी। 31 मार्च 2018 तक रु 86.48 करोड़ के अंश पूँजी निवेश के मुकाबले इन तीन सार्वजनिक उपक्रमों की निवल परिसंपत्तियां पूरी तरह से समाप्त हो गयी थी और यह (–) रु 581.39 करोड़ थी। यह इन साठें रु की आत्मनिर्भता पर प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है।

लेखाओं की गुणवत्ता

साठें रु के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक अंतिमीकृत किए गए 12 कार्यशील साठें रु के 18 लेखाओं में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 17 लेखाओं पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिया। साठें रु द्वारा लेखांकन मानकों के अनुपालन नहीं करने के 17 प्रकरण थे। इसके अलावा सीठें रु ने वर्ष 1994–95 से 1998–99 के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पाँच लेखाओं और वर्ष 2011–12 के लिए बिहार राज्य भण्डारण निगम के एक लेखा के संबंध में गंभीर कमियों को देखते हुए मंतव्य देने से भी मना कर दिया है।

लेखाओं के बकाया एवं कम्पनियों का समापन

31 मार्च 2018 को 26 कार्यशील साठें रु के 123 लेखाएँ बकाया थे। अकार्यशील साठें रु के अंतर्गत, 44 साठें रु के 1,164 लेखाएँ बकाया थे। सरकार, अकार्यशील साठें रु को बंद किये जाने के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है।

5. राज्य साठें रु (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े।

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सार नीचे दिया गया है :

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा हुड़को से रु 193 करोड़ के ऋण की अनावश्यक निकासी के कारण रु 37.75 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

(कंडिका 5.1)

बिहार स्टेट बिवरेजे ज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा फर्नीचर की खरीद में नियमों के उल्लंघन से आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ एवं रु 4.33 करोड़ का निष्फल व्यय।

(कंडिका 5.6)

इस प्रतिवेदन का दायरा

इस प्रतिवेदन में “बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों पर दो अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें और ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों पर छ: अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें शामिल हैं, जिनका कुल वित्तीय प्रभाव रु 2,926.66 करोड़ है।

⁴ बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

परिचय

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

सामान्य

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा०क्षे०उ०) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। राज्य के सा०क्षे०उ० की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिये की जाती है तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 31 मार्च 2018 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत बिहार में 79 सा०क्षे०उ० थे, जिनमें तीन¹ सांविधिक निगमें एवं 76 सरकारी कम्पनियाँ (44 अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ² सहित) थीं। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2017–18 के दौरान कोई भी सा०क्षे०उ० अपने होलिडंग कम्पनी के साथ एकीकृत नहीं की गई थी।

2. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की प्रकृति एवं लेखों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 1 : बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की प्रकृति

सा०क्षे०उ० की प्रकृति	कुल संख्या	सा०क्षे०उ० की संख्या जिनके लेखे प्रतिवेदित अवधि के दौरान प्राप्त हुए				सा०क्षे०उ० की संख्या जिनके लेखे 31 दिसम्बर 2018 को बकाया (बकाया कुल लेखे) थे
		2017–18 तक के लेखे	2016–17 तक के लेखे	2015–16 तक के लेखे	कुल	
कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ ³	32	1	8	5	14	31 (133)
सांविधिक निगमें	3	1	0	0	1	2 (17)
कुल कार्यशील सा०क्षे०उ०	35	2	8	5	15	33 (150)
अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	44	—	1	—	1	44 (1164)
अकार्यशील सांविधिक निगमें	—	—	—	—	—	—
कुल अकार्यशील सा०क्षे०उ०	44	—	1	—	1	44 (1164)
कुल	79	2	9	5	16	77 (1314)

इस प्रतिवेदन में उन 16 सा०क्षे०उ० के वित्तीय प्रदर्शन शामिल हैं, जिन्होंने 31 दिसम्बर 2018 तक, 2015–16 या उसके बाद के वर्षों के लिए अपने लेखे जमा

¹ बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य भण्डारण निगम।

² अकार्यशील सा०क्षे०उ० वह हैं, जिन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है।

³ सरकारी सा०क्षे०उ० में कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 139 (5) तथा 139 (7) में संदर्भित सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां सम्मिलित हैं।

किए थे। इस प्रतिवेदन में 63 सा०क्षे०उ०⁴ (सरकार द्वारा नियंत्रित तीन कंपनियों सहित) को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिनके लेखे तीन वर्षों या अधिक से बकाया में थे या प्रथम लेखे जमा नहीं किए थे या देय नहीं थे या मृतप्राय/परिसमापन के अधीन थे। इस प्रतिवेदन में शामिल 16 सा०क्षे०उ० (एक सांविधिक निगम सहित) ने अपने अद्यतन नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 17,342.83 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2017–18 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद ₹ 4,87,628.00 करोड़ के 3.56 प्रतिशत के बराबर था। इस प्रतिवेदन में शामिल 16 सा०क्षे०उ० में से नौ सा०क्षे०उ० ने अपने अद्यतन नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 512.09 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा सात सा०क्षे०उ० ने ₹ 8,153.06 करोड़ का हानि वहन की थी। मार्च 2018 तक इस प्रतिवेदन में सम्मिलित राज्य सा०क्षे०उ० में 9,360 कर्मचारी कार्यरत थे।

इस प्रतिवेदन में 63 सा०क्षे०उ० (दो सांविधिक निगमों सहित) को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिनमें ₹ 4,861.57 करोड़ का निवेश था, जिसमें अंश पूँजी (₹ 538.23 करोड़) तथा दीर्घकालिक ऋण (₹ 4,323.34 करोड़) थी। यह गंभीर विषय का क्षेत्र है, क्योंकि उन सा०क्षे०उ० में किये गये निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान प्रदान नहीं करते हैं।

उत्तरदायित्व रूपरेखा

3. सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 के द्वारा अधिशासित है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है, जिसमें प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रित, किसी अन्य कम्पनी⁵ को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सी०ए०जी० द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक सौ अस्सी दिनों के अंदर की जानी चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सी०ए०जी० द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण के तिथि से 60 दिनों के अंदर की जानी चाहिए एवं यदि सी०ए०जी० द्वारा उल्लेखित अवधि में इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो कम्पनी के निदेशक मण्डल अथवा कम्पनी के सदस्यों द्वारा इस प्रकार के लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

⁴ तीन ऊर्जा क्षेत्र के सा०क्षे०उ० का संदर्भ अध्याय I के फुटनोट 6 तथा 60 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त के सा०क्षे०उ० का संदर्भ परिशिष्ट 4.2 में है।

⁵ भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कम्पनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश 2014 दिनांक 4 सितंबर 2014।

अग्रेतर, धारा 139 की उप-धारा (5) या (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कम्पनी के प्रकरण में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0), यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करवा सकते हैं तथा नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी सी0ए0जी0 द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। कम्पनी के 31 मार्च 2014 अथवा उससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4. सरकारी कम्पनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत वित्तीय विवरणों एवं अन्य के सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सी0ए0जी0 को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों के अंदर सी0ए0जी0 द्वारा की जाने वाले पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों के द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सी0ए0जी0 एक मात्र लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य भण्डारण निगम तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम के प्रकरण में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सी0ए0जी0 द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5. समय पर अंतिमीकरण एवं प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कार्य एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक आम बैठक (ए0जी0एम0) के तीन महीने के भीतर तैयार की जाएगी एवं इसके बाद जितना जल्दी हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सी0ए0जी0 द्वारा बनाई गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक या किसी भी टिप्पणी के साथ सदन या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में रखी जाएगी। लगभग इसी तरह के प्रावधान संबंधित सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लिये बनाए गए विधानों में भी निहित है। यह तंत्र राज्य के समेकित कोष से कम्पनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की ए0जी0एम0 करनी होती है। यह भी निहित है कि दो ए0जी0एम0 के बीच 15 महीनों से ज्यादा की अवधि व्यतीत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 यह निर्धारित करती है कि वित्तीय वर्ष के

लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त ए0जी0एम0 में उनके विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए कम्पनी के जिम्मेदार व्यवितयों, निदेशकों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान है।

सरकार एवं विधान मंडल की भूमिका

6. राज्य सरकार संबंधित प्रशासकीय विभागों के द्वारा इन सा0क्षे0उ0 के मामलों पर नियंत्रण रखती है। मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक मंडल के निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधान मंडल सा0क्षे0उ0 में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी करता है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन एवं सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन एवं सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अंतर्गत या जैसा संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किया गया है, राज्य विधान मंडल के सामने रखी जाती है। सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सी0ए0जी0 की (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

बिहार सरकार द्वारा राज्य के सा0क्षे0उ0 में निवेश

7. सा0क्षे0उ0 में बिहार सरकार की उच्च वित्तीय भागीदारी है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है :

- **अंश पूँजी एवं ऋण—** अंश पूँजी के अंशदान के अतिरिक्त बिहार सरकार सा0क्षे0उ0 को समय—समय पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशिष्ट वित्तीय सहायता—** बिहार सरकार सा0क्षे0उ0 को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान एवं अर्थसाहाय्य के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **गारंटियाँ—** बिहार सरकार सा0क्षे0उ0 द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों एवं उनके व्याज के पुनर्भुगतान के लिए गारंटियाँ भी प्रदान करती हैं।

8. 31 मार्च 2018 को सा0क्षे0उ0 में निवेश का क्षेत्रवार संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 2 : सा0क्षे0उ0 में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)


क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगमें		निवेश		
	इस प्रतिवेदन में शामिल	इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं	इस प्रतिवेदन में शामिल	इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं	अंश	दीर्घकालिक ऋण	कुल
ऊर्जा	30,254.78	99.06	—	—	30,353.84	7,472.19	37,826.03
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	67.48	331.47	77.84	107.70	584.49	4,138.16	4,722.65
कुल	30,322.26	430.53	77.84	107.70	30,938.33	11,610.35	42,548.68

स्रोत: सा0क्षे0उ0 से प्राप्त जानकारी तथा सा0क्षे0उ0 के वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

सा0क्षे0उ0 में किये गये निवेश का प्रतिबल मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था जिसमें ₹ 42,548.68 करोड़ के कुल निवेश में से 88.90 प्रतिशत का निवेश था।

9. 31 मार्च 2016 एवं 31 मार्च 2018 के अंत में ऊर्जा क्षेत्र तथा ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सांक्षेतिक सेवाओं में निवेश नीचे दिए गए आरेख में दर्शाया गया है:

आरेख 1 : सांक्षेतिक सेवाओं में क्षेत्रवार निवेश



ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रतिवेदन के भाग I⁶ में छ: ऊर्जा क्षेत्र सांक्षेतिक के एवं प्रतिवेदन के भाग II⁷ में 10 सांक्षेतिक (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं।

⁶ भाग I में अध्याय I (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप), अध्याय II (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा) तथा अध्याय III (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण) सम्मिलित है।

⁷ भाग II में अध्याय IV (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के क्रियाकलाप) तथा अध्याय V (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सांक्षेतिक से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण) सम्मिलित है।

भाग-I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय-I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

अध्याय I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

1. परिचय

1.1 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। ऊर्जा क्षेत्र के साझेहोउ0 के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन साझेहोउ0 की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले चार वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के साझेहोउ0 के टर्नओवर एवं बिहार के जी0एस0डी0पी0 का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.1 : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं बिहार राज्य के जी0एस0डी0पी का विवरण

(रुकरोड़ में)

विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
टर्नओवर	7,999.54	10,574.59	11,188.95	11,607.25
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	—	32.19	5.81	3.74
बिहार की जी0एस0डी0पी0	3,42,951.00	3,69,469.00	4,25,888.00	4,87,628.00
जी0एस0डी0पी0 में पिछले वर्ष के जी0एस0डी0पी0 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	—	7.73	15.27	14.50
टर्नओवर का बिहार के जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशत	2.33	2.86	2.63	2.38

स्रोत : बिहार सरकार के 2017–18 की आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों तथा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर आंकड़ों के आधार पर।

ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की टर्नओवर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है तथा 2015–18 की अवधि के दौरान यह 3.74 प्रतिशत एवं 32.19 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में बिहार के जी0एस0डी0पी0 में वृद्धि 7.73 प्रतिशत एवं 15.27 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले तीन वर्षों के दौरान जी0एस0डी0पी0 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर¹ 12.45 प्रतिशत रही। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जी0एस0डी0पी0 के 12.45 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के विरुद्ध ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 13.21 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। इससे जी0एस0डी0पी0 में इन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2014–15 में 2.33 प्रतिशत से बढ़कर 2017–18 में 2.38 प्रतिशत हो गई।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

1.2 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी0एस0ई0बी0) के विघटन तथा बी0एस0ई0बी0 की संपत्तियाँ, परिसंपत्तियों, दायित्वों, कार्यवाही तथा मानवशक्ति होल्डिंग कंपनी सहित पांच ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों {यथा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0), नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी

¹ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर [$\{(2017-18 \text{ का मान} / 2014-15 \text{ का मान})^{(1/3 \text{ वर्ष})} - 1\} * 100$].

लिमिटेड (एन०बी०पी०डी०सी०एल०), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (बी०एस०पी०जी०सी०एल०) तथा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बी०एस०पी०टी०सी०एल०)} में वितरित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार राज्य विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम 2012 (बी०पी०एस०आर०टी० योजना 2012) तैयार किया (30 अक्टूबर 2012)। ऊर्जा क्षेत्र की ये पांच कंपनियाँ 1 नवम्बर 2012 से अस्तित्व में आई तथा बी०एस०ई०बी० की सारी संपत्तियों एवं दायित्वों (अंश पूँजी के ₹ 8,923.26 करोड़ सहित) को बी०पी०एस०आर०टी० योजना 2012 के प्रावधानों के अनुसार इन कंपनियों में बांटा गया। अग्रेतर, दो ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों यथा लखीसराय बिजली कंपनी प्राईवेट लिमिटेड (एल०बी०सी०पी०एल०) तथा पीरपैंती बिजली कंपनी प्राईवेट लिमिटेड (पी०बी०सी०पी०एल०) अप्रैल 2008 में बी०एस०पी०जी०सी०एल० की अनुषंगी कंपनी के तौर पर निगमित हुए। एक अन्य कंपनी जिसका नाम बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड है, जनवरी 2013 में बी०एस०पी०एच०सी०एल० के संयुक्त उपक्रम के तौर पर निगमित हुआ। हालांकि, राज्य सरकार ने इन तीन कंपनियों में 2017–18 तक कुछ भी प्रत्यक्ष पूँजी का निवेश नहीं किया था। इन आठ कंपनियों के अतिरिक्त जल विद्युत से ऊर्जा के उत्पादन हेतु एक कंपनी² यथा बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी०एस०एच०पी०सी०एल०) 31 मार्च 1982 को ₹ 80 करोड़ की पूँजी के साथ निगमित हुई। अतः, 31 मार्च 2018 को राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की नौ कंपनियां थीं। इन नौ ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में से दो³ कंपनियों ने 2017–18 तक व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं की थीं।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

1.3 2017–18 के दौरान बिहार राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कोई भी विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण नहीं हुआ।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.4 31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधि—वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.2 : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि—वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
विद्युत का उत्पादन	1	4,808.95	4,053.50	8,862.45
विद्युत का संचरण	2	6,929.22	1,622.52	8,551.74
विद्युत का वितरण	2	17,243.58	1,253.15	18,496.73
अन्य ⁴	1	1,273.03	50.26	1,323.29
कुल	6	30,254.78⁵	6,979.43	37,234.21
सा०क्षे०उ० जो इस प्रतिवेदन ⁶ में शामिल नहीं है	3	99.06	492.76	591.82
कुल योग	9	30,353.84	7,472.19	37,826.03

स्रोत: सा०क्षे०उ० के वार्षिक लेखे तथा सा०क्षे०उ० द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित।

² बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी०एस०एच०पी०सी०एल०)

³ लखीसराय बिजली कंपनी प्राईवेट लिमिटेड तथा पीरपैंती बिजली कंपनी प्राईवेट लिमिटेड।

⁴ बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड।

⁵ बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड में बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी में ₹ 30,098.54 करोड़ का निवेश सम्मिलित है और इसमें इसकी चार अनुषंगी कंपनियों तथा एक संयुक्त उपक्रम में किया गया पुर्ननिवेश शामिल नहीं है।

⁶ इस प्रतिवेदन में तीन सा०क्षे०उ० (बी०एस०एच०पी०सी०एल०, एल०बी०सी०पी०एल० तथा पी०बी०सी०पी०एल०) जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से बकाया में थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, शामिल नहीं हैं।

31 मार्च 2018 तक इस प्रतिवेदन में शामिल छ: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (अंश पूँजी तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 37,234.21 करोड़ था। इस निवेश का 81.26 प्रतिशत पूँजी में तथा 18.74 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रूप में थी।

राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 12.59 प्रतिशत (₹ 878.71 करोड़) था, जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋण का 87.41 प्रतिशत (₹ 6,100.72 करोड़) था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016–17 के दौरान, राज्य सरकार ने उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना⁷ (उदय) के अंतर्गत डिस्कॉम्स के 30 सितम्बर 2015 के कुल बकाया ऋणों (₹ 3,109.06 करोड़) में से ₹ 2,331.78 करोड़ (75 प्रतिशत) का अधिग्रहण कर लिया था।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.5 बिहार सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों का, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण तथा शेयर पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बारे में बजटीय व्यय के विवरण का सारांश निम्नानुसार है:—

तालिका 1.3 : वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता के बारे में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण ⁸	2015–16		2016–17		2017–18	
	साठेहोडा की संख्या	राशि	साठेहोडा की संख्या	राशि	साठेहोडा की संख्या ⁹	राशि
अंश पूँजी का बहिर्गमन (i)	1	6,931.91	1	5,272.04	1	8,970.63
दिए गए ऋण (ii)	2	115.59	3	227.24	1	20.75
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	3	5,720.86	4	6,494.66	3	2,650.49
कुल बहिर्गमन (i)+(ii)+(iii)	5	12,768.36	5	11,993.94	5	11,641.87
ऋण का अपलेखन/पुनर्भुगतान	—	—	—	—	—	—
ऋणों की अंश पूँजी में परिवर्तन	—	—	1	1,197.60	—	—
बकाया गारंटियाँ	2	939.91	3	3,235.63	3	6,011.76
गारंटी प्रतिबद्धता	3	5,500.50	4	8,885.85	4	9,764.69

स्रोत: साठेहोडा के वार्षिक लेखे तथा साठेहोडा द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।


मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के बजटीय निर्गमन का विवरण निम्नलिखित आरेख में दिया गया है:

⁷ डिस्कॉम्स के वित्तीय एवं प्रचालन परिवर्तन के लिए ऊर्जा मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना।

⁸ यह राशि केवल राज्य के बजट से निर्गमन दर्शाती है।

⁹ बिहार सरकार ने दो डिस्कॉम्स तथा दो अनुषंगियों को उनके होल्डिंग कंपनी यथा बी०एस०पी०एच०सी.एल० की ओर से प्रत्यक्ष रूप से अंश पूँजी निर्गत की जिसके विरुद्ध इन अनुषंगियों ने अपनी होल्डिंग कंपनी को अंश निर्गत किए। अतः, सरकारी निधि के निवेश के प्रयोजन से केवल होल्डिंग कंपनी को इसकी अनुषंगियों की ओर से विचारित किया गया है। शेष एक ऊर्जा क्षेत्र का उपक्रम एक संयुक्त उपक्रम है।

आरेख 1.1 : पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय निर्गमन



वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान, इन सार्वजनिक उपक्रमों को वर्ष के दौरान प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 11,641.87 करोड़ एवं ₹ 12,768.36 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त ₹ 11,641.87 करोड़ की बजटीय सहायता में अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 8,970.63 करोड़, ₹ 20.75 करोड़ तथा ₹ 2,650.49 करोड़ शामिल थे।

इसके अलावा, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्प्स) के प्रचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए 'उदय योजना' प्रारंभ (20 नवम्बर 2015) की। 'उदय योजना' के प्रावधानों एवं दो डिस्कॉम्प्स के द्वारा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की चर्चा इस अध्याय के कंडिका 1.19 के अंतर्गत की गई है। 2016–17 के दौरान, राज्य सरकार ने 30 सितम्बर 2015 तक डिस्कॉम्प्स के बकाया ऋणों (₹ 3,109.06 करोड़) में से ₹ 2,331.78 करोड़ (75 प्रतिशत) का अधिग्रहण कर लिया था। अंश पूँजी में बढ़ोतरी का मुख्य कारण पूँजी निवेश तथा विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन था।

सा०क्षे०उ० को बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार गारंटी देती है, जिसके लिए गारंटी शुल्क भारित की जाती है। बिहार सरकार के संकल्प संख्या 7498 दिनांक 05 जुलाई 1974 के अनुसार, अगर गारंटी की रकम ₹ 10 लाख से ज्यादा हो तो सा०क्षे०उ० को गारंटी राशि का 1/8 प्रतिशत वार्षिक गारंटी शुल्क देना होता है। चार सा०क्षे०उ०¹⁰ के संबंध में, 31 मार्च 2018 को बकाया गारंटी की राशि ₹ 6,011.76 करोड़ थी। हालांकि, 31 मार्च 2018 तक किसी भी सा०क्षे०उ० ने गारंटी शुल्क अदा नहीं की थी।

बिहार सरकार के वित्त लेखे के साथ समाशोधन

1.6 अंश पूँजी, ऋण तथा बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य सा०क्षे०उ० के अभिलेखों के आंकड़े बिहार सरकार के वित्त लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आंकड़े नहीं मिलते हैं, तो संबंधित सा०क्षे०उ० एवं वित्त विभाग को अंतर का समाशोधन करना चाहिए। इस संदर्भ में 31 मार्च 2018 तक की स्थिति नीचे दर्शाई गई है।

¹⁰ बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड।

तालिका 1.4 : वित्त लेखे एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण तथा बकाया गारंटियां

(₹ करोड़ में)

निवेश का प्रकार	वित्त लेखे के अनुसार	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार	अंतर
अंश पूँजी	30,562.19	30,197.58	364.61
ऋण	2,473.77	1,101.80	1,371.97
गारंटियां	3,717.26	6,011.76	(-) 2,294.50

स्रोत : वित्त लेखे एवं साठें०७० से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

आंकड़ों में अंतर गत कई वर्षों से जारी है। इस अंतर को समाशोधन करने हेतु समय-समय पर साठें०७०/विभागों के समक्ष इस बात को उठाया गया। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार तथा साठें०७० को इन अंतरों का समाशोधन समयबद्ध तरीके से कर लेना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

1.7 31 मार्च 2018 तक सी०ए०जी० के लेखापरीक्षा के दायरे में नौ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम थे। 31 दिसम्बर 2018 तक एक¹¹ कार्यशील साठें०७० ने वर्ष 2017–18 का वार्षिक लेखा जमा किया था। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर¹² को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.5 : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
1.	साठें०७० की संख्या	9	9	9
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	6	11	6
3.	चालू वर्ष के लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले साठें०७० की संख्या	1	6	1
4.	पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिन्हें चालू वर्ष में अंतिम रूप दिया गया	5	5	5
5.	साठें०७० की संख्या जिनके लेखे बकाया थे	8	3	8
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	26	24	27
7.	बकाया की सीमा	एक से 15 वर्ष	चार से 16 वर्ष	एक से 12 वर्ष

स्रोत : 31 दिसम्बर 2018 तक प्राप्त साठें०७० के लेखा के आधार पर संकलित

¹¹ बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड

¹² 2015–16 के लिए, 30 सितम्बर 2016 तक प्राप्त लेखाओं को संज्ञान में लिया गया है।


ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

1.8 ऊर्जा क्षेत्र की छः कंपनियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम का विवरण, 31 दिसम्बर 2018 तक के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं¹³ के अनुसार, **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। 31 मार्च 2018 तक इन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार तथा अन्य के द्वारा कुल निवेश ₹ 37,234.21 करोड़ था, जिसमें अंश पूँजी के रूप में ₹ 30,254.78 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 6,979.43 करोड़ थे, जिनका विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है। इसमें से, बिहार सरकार ने छः ऊर्जा क्षेत्र के साठें०उ०¹⁴ में ₹ 30,977.25 करोड़ का निवेश किया, जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 30,098.54 करोड़ थे तथा दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 878.71 करोड़ थे।

बिहार सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूँजी तथा दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान वर्षवार संचयी स्थिति, नीचे दी गई हैः—

आरेख 1.2 : बिहार सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश



कम्पनी की लाभदायकता, पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, अंश पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल, एक निश्चित वर्ष में अंश पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से संबंधित हुई लाभ अथवा हानि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है, जो कि कंपनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को, उसकी उपयोग की गई कार्यरत पूँजी से मापता है एवं उसकी गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। अंश पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है, जिसकी गणना करों के पश्चात हुई शुद्ध लाभों को अंशधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है।


¹³ दिसम्बर 2019 तक अंतिमीकृत किए गए 2017–18 तक के नवीनतम लेखे।

¹⁴ बिहार सरकार ने बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उसके अनुषंगियों की ओर से अंश पूँजी निर्गत किया था। अतः सरकारी निधि प्रदान करने के उद्देश्य से अनुषंगियों के तरफ से होल्डिंग कंपनी को विचारित किया गया है। शेष पांच ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमें, अनुषंगियाँ तथा संयुक्त उपक्रम हैं।

निवेश पर प्रतिफल

1.9 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि पर कुल निवेश का प्रतिशत है। 2015–16 से 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के छ: साठेहारोडो द्वारा अर्जित/वहन की गई लाभ/हानियां¹⁵ की समग्र स्थिति को नीचे आरेख में दर्शाया गया है:

आरेख 1.3 : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित/वहन की गई लाभ/हानि



इन साठेहारोडो द्वारा 2015–16 में हुई ₹ 1,064.07 करोड़ की हानि के विरुद्ध 2017–18 में ₹ 7,818.40 की हानि हुई। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित छ: साठेहारोडो के नवीनतम अंतिमीकृत आंकड़ों के अनुसार, दो साठेहारोडो ने ₹ 287.94 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा चार साठेहारोडो ने ₹ 8,106.34 करोड़ की हानि वहन की (**परिशिष्ट 1.1**)। लाभ अर्जित करने वाले साठेहारोडो में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (₹ 262.02 करोड़) एवं बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (₹ 25.92 करोड़) थे। बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (₹ 5,031.73 करोड़), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (₹ 2,330.58 करोड़) तथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (₹ 740.49 करोड़) को काफी हानि वहन करनी पड़ी थी।

उपर्युक्त आकलन से यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा संचरण के दो साठेहारोडो द्वारा अर्जित किए गए लाभ, ऊर्जा उत्पादन और वितरण कार्य करने वाले साठेहारोडो द्वारा वहन की गई हानि की तुलना में काफी कम थी।

2015–16 से 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित/वहन लाभ/हानि की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.6 : लाभ अर्जित/हानियां वहन करने वाले ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र में कुल साठेहारोडो	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले साठेहारोडो की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले साठेहारोडो की संख्या	वर्ष के दौरान साठेहारोडो की संख्या जिनके कोई लाभ/हानि नहीं थे
2015–16	6	1	2	3
2016–17	6	1	4	1
2017–18	6	2	4	—

¹⁵ आंकड़े संबंधित वर्षों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं पर आधारित हैं।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल

1.10 बिहार सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की छः कंपनियों में अत्यधिक निवेश को देखते हुए राज्य सरकार के दृष्टिकोण से ऐसे निवेश पर प्रतिफल प्राप्त होना आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण यह निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की गणना में निवेश के वर्तमान मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अतः, निवेश पर प्रतिफल की गणना निवेशित राशि के वर्तमान मूल्य (पी0भी0) को ध्यान में रखकर की गई है, ताकि बिहार सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल का पता लगाया जा सके। राज्य सरकार के निवेश के पी0भी0 की गणना 31 मार्च 2018 तक की गई, जहां तत्कालीन बिजली बोर्ड के विघटन (नवम्बर 2012) के बाद गठित कंपनियों में अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/भुगतान में चूक की गई दीर्घावधि ऋणों (डिफाल्टेड ऋण) और पूँजी अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश के पी0भी0 की गणना निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर की गई है:

- ब्याज मुक्त/भुगतान में चूक की गई दीर्घावधि ऋणों तथा पूँजी अनुदान को राज्य सरकार द्वारा निवेश माना गया है। आगे, उन प्रकरणों में जिनमें सा0क्षे0उ0 को दिए गए ब्याज मुक्त ऋणों को बाद में पूँजी में परिवर्तित किया गया है, को पूँजी में परिवर्तित ऋण का मूल्य ब्याज मुक्त/डिफाल्टेड ऋण के मूल्य में से घटाकर उस वर्ष की पूँजी में जोड़ा गया है। उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान को छोड़कर राजस्व अनुदानों और सब्सिडियों के रूप में दिए गए धन को निवेश नहीं माना गया है।
- पी0भी0 की गणना हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष¹⁶ के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को रियायती दर पर माना गया है, क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किए गए राशि पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है।

2012–13 से 2017–18 की अवधि के लिए, जहां दो से चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों ने हानियां वहन की, हानि के कारण निवल परिसम्पत्ति का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त माप है। सा0क्षे0उ0 के निवल परिसम्पत्ति के क्षरण पर कंडिका 1.12 में टिप्पणी की गई है।

1.11 ऊर्जा क्षेत्र की छः कंपनियों में पूँजी, ब्याज मुक्त/भुगतान में चूक की गई दीर्घावधि ऋणों तथा पूँजी अनुदान के तौर पर राज्य सरकार के निवेश की स्थिति, कंपनियों के निगमन से 31 मार्च 2018 तक तथा राज्य सरकार द्वारा इनमें निवेश की 2012–13 से 31 मार्च 2018 तक की समेकित स्थिति नीचे तालिका 1.7 में दर्शाई गई है:

¹⁶ सरकारी उधार पर ब्याज के औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (बिहार सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100.

**तालिका 1.7 : 2012–13 से 2017–18 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की
गई राशि एवं सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य का वर्षवार ब्यौरा**
(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई गई अंश पूँजी	कुल ब्याज मुक्त / डिफाल्टेड ऋण पर व्याज की अनुदान तथा पूँजी अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर व्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल आय
i	ii	iii	iv	v = iii+iv	vi	vii = ii+v	viii = vii* (1+vi/100)	ix = vii* vi/100	X
2012-13	0.00	8,923.96	1,575.29	10,499.25	5.79	10,499.25	11,107.16	607.91	-148.45
2013-14	11,107.16	0.00	3,181.36	3,181.36	6.68	14,288.52	15,242.99	954.47	-367.14
2014-15	15,242.99	0.00	1,221.57	1,221.57	6.59	16,464.56	17,549.57	1,085.01	-966.27
2015-16	17,549.57	6,931.91	1,423.14	8,355.05	6.58	25,904.62	27,609.15	1,704.52	-1,064.07
2016-17	27,609.15	5,272.04	5,218.41	10,490.45	6.42	38,099.60	40,545.59	2,445.99	-1,421.18
2017-18	40,545.59	8,970.63	222.89	9,193.52	6.13	49,739.11	52,788.12	3,049.01	-7,818.40
कुल	1,12,054.46	30,098.54	12,842.66	42,941.20					

वर्ष के अंत में राज्य सरकार द्वारा इन ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में निवेश का शेष 2012–13 में ₹ 10,499.25 करोड़ से बढ़कर 2017–18 वर्ष के अंत में ₹ 42,941.20 करोड़ हो गया, क्योंकि राज्य सरकार ने अंश पूँजी (₹ 21,174.58 करोड़), ऋण (₹ 404.92 करोड़), पूँजी अनुदान (₹ 8,530.67 करोड़) तथा उदय अनुदान (₹ 2,331.78 करोड़) के रूप में अग्रेतर निवेश किया था। राज्य सरकार द्वारा की गई निवेश का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2018 को ₹ 52,788.12 करोड़ हो गया है।

यह देखा जा सकता है कि इन साठेहोडो के वर्ष के दौरान कुल आय 2012–13 से 2017–18 के दौरान ऋणात्मक रही, जो यह दर्शाता है कि कंपनियां निवेशित धन राशि पर प्रतिफल अर्जित करने के स्थान पर सरकार द्वारा निवेशित राशि की लागत को भी वसूल नहीं कर पाई। साथ ही, वर्षों के दौरान इन्होंने भारी हानियां वहन की है, जो इन्हें व्यावसायिक रूप से अलाभकारी बनाती है।

निवल मूल्य का क्षरण

1.12 प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं संचित लाभ में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त कुल योग निवल मूल्य होता है। वास्तव में यह एक माप है जो यह बताता है कि क्या एक उपक्रम स्वामियों के लिए मूल्यवान है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह मापने/जानने का तरीका है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

31 मार्च 2018 को, पांच साठेहोडो की समग्र हानियां ₹ 14,980.54 करोड़ थीं। इन पांच साठेहोडो में से, चार साठेहोडो को वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 8,106.34 करोड़ की हानि हुई थी। कोई भी साठेहोडो समापन/बंदी/परिसमापन/सामरिक विनिवेश के अंतर्गत नहीं थे।

एक साठेहोडो यथा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण पूर्णतया समाप्त हो गया तथा इसका निवल मूल्य 31 मार्च 2018 को अंश पूँजी निवेश ₹ 4,808.95 करोड़ के विरुद्ध (-) ₹ 275.07 करोड़ था। अग्रेतर, एक साठेहोडो यथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का 31 मार्च 2018 के अंत तक निवल मूल्य, प्रदत्त पूँजी¹⁷ के आधे से भी कम था। यह इन साठेहोडो के संभावित वित्तीय समस्याओं को दर्शाता है।

¹⁷ प्रदत्त पूँजी ₹ 8,996.43 करोड़ के विरुद्ध निवल मूल्य ₹ 2,476.46 करोड़।

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान हानि वहन करने वाली ऊर्जा क्षेत्र की उपक्रमों (जिनमें बिहार सरकार द्वारा निवेश किया गया था) की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ / हानियां तथा निवल मूल्य को दर्शाने वाली तालिका नीचे दी गई है:

तालिका 1.8 : 2015–16 से 2017–18 के दौरान हानि वहन करने वाली ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में चुकता पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानियां (-)	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2015-16	8,013.41	-4,256.36	-	3,757.05
2016-17	14,307.16	-5,679.07	-	8,628.09
2017-18	23,325.56	-14,791.01	-	8,534.55

लाभांश का भुगतान

1.13 राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी, जिसके तहत सभी लाभ अर्जित करने वाले सा०क्षे०उ० को न्यूनतम प्रतिफल देना आवश्यक हो। अपने नवीनतम अंतिमीकृत आंकड़ों के अनुसार, छ: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में से, दो सा०क्षे०उ० ने 2017–18 के दौरान ₹ 287.94 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया था, पर इनमें से किसी ने लाभांश की घोषणा नहीं की थी। 2015–16 से 2017–18 के दौरान बिहार सरकार द्वारा जिन छ: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश किया गया था, उनके लाभांश के भुगतान की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1.9 : 2015–16 से 2017–18 के दौरान छ: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सा०क्षे०उ० जिनमें बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी का निवेश किया गया		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा०क्षे०उ०		सा०क्षे०उ० जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा/भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	सा०क्षे०उ० की संख्या	बिहार सरकार द्वारा निवेशित अंश पूँजी	लाभ अर्जित करने वाले सा०क्षे०उ० की संख्या	अर्जित लाभ	सा०क्षे०उ० की संख्या	सा०क्षे०उ० द्वारा लाभांश घोषणा/भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5*100
2015-16	6	15,855.87	1	9.54	-	-	-
2016-17	6	21,127.91	1	1.53	-	-	-
2017-18	6	30,098.54	2	287.94	-	-	-

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले सा०क्षे०उ० की संख्या एक से दो के मध्य थी, पर किसी भी सा०क्षे०उ० ने बिहार सरकार को लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं की। अग्रेतर विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इन सभी कम्पनियों ने अपने आरंभ से ही लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं की थी।

अंश पूँजी पर प्रतिफल

1.14 अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर०ओ०ई०)¹⁸ वित्तीय निष्पादन का माप है, जिससे यह मूल्यांकन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा कम्पनी के संपत्तियों का उपयोग लाभ के सृजन करने हेतु कितने प्रभाव से किया गया। इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को अंशधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है तथा इसको प्रतिशत में दर्शाया जाता है। आर०ओ०ई० की गणना उन सा०क्षे०उ० के लिए की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया था तथा अंशधारकों की निधि संबंधित वर्षों में धनात्मक थी।

¹⁸ अंश पूँजी पर प्रतिफल = (कर तथा अधिमान लाभांश के बाद कुल लाभ/शेयर पूँजी)*100 जहां अंश पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष – संचित हानि – स्थगित राजस्व व्यय।

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान इन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों¹⁹ के अंशधारकों की निधि तथा आरोओर्डो का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.10 : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों जिनमें बिहार सरकार द्वारा निवेश किया गया है से संबंधित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष ²⁰ के लिए शुद्ध आय / कुल अर्जित आय (₹ करोड़ में)	अंशधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरोओर्डो (प्रतिशत में)
2015-16	-1,064.07	11,706.09	-9.09
2016-17	-1,421.18	15,664.56	-9.07
2017-18	-2,786.67	15,573.15	-17.89

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, आरोओर्डो सभी तीनों सालों की अवधि के लिए ऋणात्मक थी और 2017–18 में मुख्यतः राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में हानि की वृद्धि के कारण स्थिति और अधिक खराब हो गई थी।

1.15 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरोओर्सीर्डो) एक अनुपात है, जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है।

आरोओर्सीर्डो की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (र्डोबीर्डोटीर्डो) को नियोजित पूँजी²¹ द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान, इस प्रतिवेदन में शामिल साठेंदो के आरोओर्सीर्डो का विवरण नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1.11 : नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	र्डोबीर्डोटीर्डो (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरोओर्सीर्डो (प्रतिशत में)
2015-16	-589.38	16,599.83	-3.55
2016-17	-956.32	22,334.80	-4.28
2017-18	-7,374.88	22,277.51	-33.10

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का आरोओर्सीर्डो –3.55 प्रतिशत से –33.10 प्रतिशत के मध्य रहा।

कंपनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

1.16 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों जिन्होंने 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ऋणों का लाभ उठाया था, के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों को चुकाने के लिए कंपनियों की क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु किया गया है। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से किया गया है।

¹⁹ 2015–16 और 2016–17 के दौरान, आरोओर्डो की गणना इस प्रतिवेदन में शामिल सभी छ: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लिए की गई है, क्योंकि इन वर्षों के दौरान उनकी अंशधारकों की निधि धनात्मक थी। 2017–18 के लिए, आरोओर्डो की गणना बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को छोड़कर पांच ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लिए की गई है, क्योंकि उस कंपनी का अंशधारक निधि के साथ–साथ कुल आय वर्ष के दौरान ऋणात्मक थी।

²⁰ संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखाओं के अनुसार।

²¹ नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियां – स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं, जहां साठेंदो के लेखे अंतिमीकृत हैं।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.17 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कंपनी की ब्याज एवं करों के पूर्व की आय ($\text{₹}0\text{बी}0\text{आई}0\text{टी}0$) को उसी अधिके ब्याज खर्च से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात बताता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2015–16 से 2017–18 की अधिके दौरान प्रतिवेदन में शामिल सा०क्षे०उ० जिनके पास बकाया ऋण थे, के ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.12 : ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के आय (₹ करोड़ में)	कंपनियों की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं वित्तीय संस्थान के ऋण का दायित्व था	कंपनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	कंपनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2015-16	472.00	-589.38	3	1	2
2016-17	461.70	-954.50	4	2	2
2017-18	378.37	-2,343.15	5	2	3

यह देखा गया कि ऐसे कंपनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था, 2015–16 में एक कंपनी से बढ़कर 2016–17 एवं 2017–18 में दो कंपनियां हो गई थी। 2017–18 के दौरान, ब्याज वाले ऋणों के दायित्व वाले पांच सा०क्षे०उ० में से, दो सा०क्षे०उ०²² के ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था तथा शेष तीन सा०क्षे०उ० के ब्याज व्याप्ति अनुपात ऋणात्मक/एक से कम था। इससे यह दर्शाता है कि ये सा०क्षे०उ० उक्त अधिके के दौरान अपने ब्याज पर खर्च से निपटने हेतु जरूरी राजस्व नहीं जुटा सकी थी।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधिवार विश्लेषण

1.18 31 मार्च 2018 को, बिहार सरकार द्वारा चार सा०क्षे०उ० को दिए गए दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 426.27 करोड़ का ब्याज बकाया था। बिहार सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधिवार ब्यौरा तालिका 1.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.13 : राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सा०क्षे०उ० का नाम	ऋण पर बकाया ब्याज (₹ करोड़ में)	1 वर्ष से कम बकाया	1 से 3 वर्ष का बकाया	3 वर्षों से ज्यादा का बकाया
1	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	270.94	100.26	170.68	-
2	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	36.62	3.18	6.36	27.08
3	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	85.39	31.14	54.25	-
4	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड	33.32	3.54	7.08	22.70
	कुल	426.27	138.12	238.37	49.78

²² बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड तथा बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड।

उज्जवल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता

1.19 ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय बदलाव के लिए उज्जवल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना (उदय योजना) प्रारंभ (20 नवम्बर 2015) की थी। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

संचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना:

1.19.1 भागीदार राज्यों को विभिन्न लक्षित गतिविधियों जैसे फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डी0टी0) की अनिवार्य मीटिंग, कंज्यूमर इंडेक्सिंग एवं हानियों की जी0आई0एस0 मैपिंग, ट्रांसफार्मरों एवं मीटरों का उन्नयन या बदलाव, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटिंग, ऊर्जा कृशल उपकरणों के माध्यम से मांग पक्ष का प्रबंधन (डी0एस0एम0), दरों की तिमाही पुनरीक्षण, बिजली की चोरी को रोकने के लिए व्यापक सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) अभियान, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहां संचालन क्षमता में सुधार के लिए ए0 टी0 एण्ड सी0 हानि को कम किया गया है, किया जाना था। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था, ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके जैसे फीडर एवं डी0टी0 स्तर पर हानियों को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान एवं कटौतियों को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना एवं चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना आदि। परिचालन सुधारों के परिणाम संकेतकों के माध्यम से मापे जाने थे, जैसे कि वर्ष 2019–20 में ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए हानियों की सीमा के अनुसार ए0 टी0 एण्ड सी0 हानि को 15 प्रतिशत तक कम करना, आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व के बीच के अंतर में कमी करके 2019–20 तक शून्य करना।

वित्तीय बदलाव के लिए योजना

1.19.2 भागीदार राज्यों को 30 सितंबर 2018 तक डिस्कॉम्स के 75 प्रतिशत ऋण के अधीनीकरण यथा 2015–16 में 50 प्रतिशत एवं 2016–17 में 25 प्रतिशत की आवश्यकता थी। वित्तीय बदलाव के लिए, योजना में अन्य बातों के साथ प्रावधान था कि:

- राज्य “गैर वैधानिक तरलता अनुपात (गैर एस0एल0आर0) ऋणपत्र” जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम्स में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो कि बदले में समान राशि के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण की राशि को वापस भुगतान कर देगा। जारी किए गए ऋणपत्रों की परिपक्वता अवधि 10–15 वर्ष होगी, जिसमें पाँच वर्ष तक मूलधन चुकाने की छूट होगी।
- डिस्कॉम्स का ऋण पहले से देय ऋण की प्राथमिकता में लिया जाएगा, इसके बाद उच्च लागत वाले ऋण को लिया जाएगा।
- 2015–16 एवं 2016–17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम्स को हस्तांतरण अनुदान के रूप में होगा। शेष हस्तांतरण, राज्य ऋण के रूप में करते हुए उसे तीन वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान अंश पूँजी के रूप में दिया जा सकता है।

उदय योजना का कार्यान्वयन

1.19.3 उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

अ. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि:

उदय योजना के तहत दो राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदंडों के तहत लक्ष्यों के साथ उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

तालिका 1.14 : मापदंडवार लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के बारे में 31 मार्च 2019 तक संचालन निष्पादन

मापदंड	लक्ष्य		उपलब्धि		उपलब्धि (प्रतिशत में)	
	एन०बी०पी० डी०सी०एल०	एस०बी०पी० डी०सी०एल०	एन०बी०पी० डी०सी०एल०	एस०बी०पी० डी०सी०एल०	एन०बी०पी० डी०सी०एल०	एस०बी०पी० डी०सी०एल०
फीडर मीटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	1,122	1,041	1,122	1,041	हासिल	हासिल
वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की मीटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	54,724	51,102	20,486	22,139	37	43
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	905	667	0	0	0	0
फीडर पृथक्करण (संख्या में)	747	565	339	210	45	37
200 के0डब्ल्यूएच० से ऊपर स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	40,647	2,95,466	0	0	0	0
असंबंध घरों में विद्युत उपलब्धता (लाख में)	86.93	29.07	86.93	47.82	हासिल	हासिल
उजाला योजना के अंतर्गत एल०ई०डी० का वितरण (लाख में)	39.30	68	39.30	111.82	हासिल	हासिल
ए०टी०एंड०सी० हानियों ²³ में कमी (प्रतिशत में)	20	22	27.35	32.61	हासिल नहीं	हासिल नहीं
ए०सी०एस०-ए०आर०आर० में अंतर (₹ प्रति यूनिट)	0.48	0.34	0.25	0.66	हासिल	हासिल नहीं

स्रोत : डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त सूचना

डिस्कॉम्स ने ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा तथा स्मार्ट मीटरिंग के लिए कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मीटरिंग तथा फीडर पृथक्करण के क्षेत्रों में निम्नतर प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त, प्रगति की वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार, डिस्कॉम्स द्वारा 31 मार्च 2020 तक ₹ 10 टी० एण्ड सी० हानियों को 15 प्रतिशत तक कम करने के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करना कठिन होगा।

ब. वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

1.19.4 ऊर्जा मंत्रालय, बिहार सरकार एवं संबंधित राज्य डिस्कॉम्स (यथा एस०बी०पी०डी०सी०एल० एवं एन०बी०पी०डी०सी०एल०) के मध्य त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एम०ओ०य००) पर हस्ताक्षर (22 फरवरी 2016) किए गए। उदय योजना एवं त्रिपक्षीय एम०ओ०य०० के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितम्बर 2015 को दो राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 3,109.56 करोड़) में से बिहार सरकार ने 2016–17 के दौरान बॉंड जारी कर ₹ 2,331.78 करोड़ के कुल ऋण का अधिग्रहण कर लिया। ऋण के शेष 25 फीसदी जिसका मूल्य ₹ 777.28 करोड़ होता है, केनरा बैंक द्वारा बेस दर + 0.1 प्रतिशत पर पुनर्निर्धारित किया गया है।

²³ सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए० टी० एण्ड सी०) हानियां तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों तथा भारित विपत्र की वसूली में कमी का कुल योग है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1.20 दो ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों ने 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान अपने छ: लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किया। सभी छ: लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सी0ए0जी0 द्वारा की गई पूरक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाती है कि लेखों की गुणवत्ता में सारभूत सुधार करने की आवश्यकता है। 2015–18 के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के सकल मौद्रिक मूल्य का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 1.15 : लेखापरीक्षा टिप्पणियों का ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रभाव
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	1	20.55	-	-	1	8.72
2	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	1	191.75
3	हानि में वृद्धि	3	233.50	3	112.92	2	15.96
4	हानि में कमी			-	-	1	700.84
5	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना			3	93.42	1	277.96
6	वर्गीकरण की अशुद्धियाँ	3	11,652.76	2	25.38	1	4.24

स्रोत : सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सी0ए0जी0 की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017–18 के दौरान, वैधानिक लेखापरीक्षकों ने पांच लेखाओं पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किए थे। सा0क्षे0उ0 द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन कम था क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने पांच लेखाओं में लेखा मानकों के अनुपालन न करने के 18 मामलों का उल्लेख किया था। सी0ए0जी0 ने लेखाओं में गंभीर कमियों के कारण बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2002–03 से 2005–06 तथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2016–17 के बारे में मंतव्य देने से मना कर दिया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

1.21 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन के भाग—I के लिए, ‘बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन’ पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित दो अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं, बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को छ: सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त (मार्च/अगस्त 2019) हो गए हैं एवं इस प्रतिवेदन में उचित रूप से समाहित कर लिए गए हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2,741.24 करोड़ तथा दो अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का वित्तीय प्रभाव ₹ 127.92 करोड़ है।

बी०एस०ई०बी० द्वारा देय लेखापरीक्षा शुल्क

1.22 विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के खंड 69(2) के प्रावधानों के अनुसार बी०एस०ई०बी० द्वारा सी०ए०जी० को देय लेखापरीक्षा शुल्क 2012–13 की अवधि तक बकाया थी और इसका कुल योग ₹ 33.94 करोड़ था।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.23 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाए। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि के अंदर, लोक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किए बिना प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा का उत्तर/व्यव्यात्मक टिप्पणियाँ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किया (अप्रैल 2015) था।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.24 30 सितंबर 2019 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा०क्ष०उ०) में ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा कंडिकाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.16 : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितंबर 2019 तक चर्चा किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा / कंडिकाएं

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं / कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		कंडिकाएं जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएं	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएं
2015-16	02	09	-	-
2016-17	-	03	-	-
कुल	02	12	-	-

स्रोत : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.25 दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2016 के मध्य राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गई कोपू के नौ प्रतिवेदनों में सम्मिलित तीन कंडिकाओं से संबंधित कार्यवाही टिप्पणियाँ (ए०टी०एन०) अप्राप्त (सितंबर 2019) थे, जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.17 : कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदन पर कुल अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाएँ की संख्या जिन पर ए०टी०एन० अप्राप्त थी
2013-14	01	01	01
2014-15	-	-	-
2015-16	01	01	01
2016-17	05	01	01
2017-18	01	-	-
2018-19	01	-	-
कुल	09	03	03

स्रोत : बिहार सरकार के संबंधित विभागों से कोपू के अनुशंसाओं पर प्राप्त ए०टी०एन० के आधार पर संकलित।

कोपू की उपर्युक्त प्रतिवेदनों में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित कंडिकाओं पर अनुशंसाएं भारत के सी0ए0जी0 के वर्ष 2005–06, 2008–09 तथा 2009–10 के प्रतिवेदनों में सम्मिलित थी।

अध्याय-II

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय II

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखा परीक्षा

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

2. “बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

परिचय

2.1 विद्युत अधिनियम 2003 में ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राथमिकता प्रदान की गयी है और सभी को बिजली प्रदान करने के लिए विद्युत सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण का राष्ट्रीय लक्ष्य सभी ग्रामीण घरों (आर0एच0एच0) तक बिजली पहुँचाना है, जो ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार के अलावा उनका सर्वोर्गीण विकास करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, बिहार सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण की पहचान मुख्य क्षेत्र के रूप में की। तदनुसार, राज्य में राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर0ई0पी0) अधिसूचित (अगस्त 2012) की गई। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी0एस0ई0बी0) या इसके उत्तराधिकारी कम्पनी को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। विघटन के पश्चात, 01 नवम्बर 2012 से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पाँच कम्पनियों में यथा (i) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, (ii) नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, (iii) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, (iv) बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं (v) बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड में पुर्णगठित किया गया।

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम) हैं जो बिहार के 38 जिलों¹ को बिजली आपूर्ति करती है।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वितरण कम्पनियों ने विशेष रूप से निम्न परियोजनाएँ शुरू की हैं:

अ. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर0जी0जी0वी0वाई0): भारत सरकार ने आर0जी0जी0वी0वाई0 का शुभारम्भ (मार्च 2005) किया, जिसका उद्देश्य सभी गाँवों और बस्तियों का विद्युतीकरण करना और सभी ग्रामीण घरों को विद्युत उपलब्ध कराना था। निरन्तरता के लिए योजना का विस्तार सितम्बर 2013 में किया गया जिसके तहत दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए स्वीकृत परियोजनाओं में पहले से सम्मिलित गाँवों/बसावटों/गरीबी रेखा से नीचे के घरों (बी0पी0एल0) के अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के शेष जनगणना गाँवों और बसावटों, जिनकी जनसंख्या 100 या उससे अधिक थी और गाँवों/बसावटों में ग्रामीण घरों में मुफ्त विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु शामिल किया गया। रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन (आर0ई0सी0) ने योजना के तहत 38 परियोजनाओं (जिलावार) के लिए ₹ 8,350.69 करोड़ (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए ₹ 3,508.73 करोड़ और एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए ₹ 4,841.96 करोड़) की राशि स्वीकृत की। आर0जी0जी0वी0वाई0 ने परियोजना के आवंटन की तारीख से दो वर्ष में परियोजना को पूरा करने की कार्यावधि निर्धारित की। मार्च 2019 तक योजना के भौतिक और वित्तीय प्रगति की विवरणी परिशिष्ट 2.1 में विस्तृत हैं। दिसम्बर 2014 में इस योजना को तदन्तर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाहित कर लिया गया।

¹ एन0बी0पी0डी0सी0एल0 – 21 जिले तथा एस0बी0पी0डी0सी0एल0 – 17 जिले।

ब. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी०डी०यू०जी०जे०वाई०): भारत सरकार ने आर०जी०जी०वी०वाई० के तहत निर्धारित पूर्ववर्ती लक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए डी०डी०यू०जी०जे०वाई० का शुभारम्भ (दिसम्बर 2014) किया। डी०डी०यू०जी०जे०वाई० में दो अतिरिक्त घटकों को शामिल किया गया था, अर्थात् कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना और उप-संचरण और वितरण अवसंरचना को मजबूत/संवर्धित करना। आर०ई०सी० ने योजना के तहत बिहार हेतु 38 परियोजनाओं (जिलावार) के लिए ₹ 5,827.22 करोड़ (एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए ₹ 2,433.14 करोड़ और एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए ₹ 3,394.08 करोड़) की राशि स्वीकृत की। डी०डी०यू०जी०जे०वाई० ने परियोजना के आवंटन की तारीख से दो वर्ष में परियोजना को पूरा करने की कार्यावधि निर्धारित की। मार्च 2019 तक योजना के भौतिक और वित्तीय प्रगति की विवरणी **परिशिष्ट 2.2** में विस्तृत है।

स. विकेन्द्रित विद्युत उत्पादन वितरण परियोजनाएँ (डी०डी०जी०): भारत सरकार ने गैर-विद्युतीकृत गाँवों जहाँ ग्रिड कनेक्टिविटी या तो संभव नहीं थी या अधिक लागत आ रही थी, को विद्युतीकृत करने के लिए आर०जी०जी०वी०वाई० के तहत 2009 में डी०डी०जी० परियोजना की शुरुआत की। बिहार में, डी०डी०जी० को सौर ऊर्जा के माध्यम से लागू किया जाना था। मार्च 2019 तक योजना के भौतिक और वित्तीय प्रगति की विवरणी **परिशिष्ट 2.3** में विस्तृत है।

द. ग्यारह जिलों मे गाँवों का पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत पूर्ण रूप से विद्युतीकरण: बिहार सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत स्वीकृत 11 जिलों/परियोजनाओं में पूर्ण रूप से विद्युतीकरण के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत अनुपूरक अतिरिक्त कोष के रूप में ₹ 837.62 करोड़ (एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए ₹ 337.72 करोड़ और एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए ₹ 499.90 करोड़) अनुदान (विशेष योजना) स्वीकृत (अक्टूबर 2013) किया। मार्च 2019 तक इस परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विवरणी **परिशिष्ट 2.4** में विस्तृत है।

च. जले/क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर का प्रतिस्थापन: 10वीं व 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आर०जी०जी०वी०वाई० में जले/क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर के प्रतिस्थापन हेतु बिहार सरकार ने डिस्कॉम्स को ₹ 333.49 करोड़ स्वीकृत (अक्टूबर 2014) किया।

छ. मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना (एम०वी०एस०एन०वाई०): बिहार सरकार ने एम०वी०एस०एन०वाई० के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर (ए०पी०एल०) के घरों को विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु ₹ 1,897.50 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2016) किया। इसके बाद, भारत सरकार ने सभी घरों (शहरी और ग्रामीण) को विद्युत संबंध प्रदान करने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत (अक्टूबर 2017) की। एम०वी०एस०एन०वाई० का दिसम्बर 2017 में सौभाग्य योजना के साथ विलय कर दिया गया। मार्च 2019 तक इस परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति **परिशिष्ट 2.5** में विस्तृत है।


2.1.1 बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

सौभाग्य डैशबोर्ड के अनुसार 31 दिसम्बर 2019 तक कुल 39,073 बसे हुए गाँव थे (जनगणना 2011 के अनुसार), ये सभी विद्युतीकृत थे। कुल ग्रामीण घरों की संख्या 1,19,07,539 थी जो सभी विद्युतीकृत थे। इसके अलावा, भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रमुख योजना डी०डी०यू०जी०जे०वाई० के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2019 तक कार्यान्वित की गई विभिन्न घटकों की स्थिति निम्नवत थी :

क्र. सं.	घटक	लक्ष्य	प्राप्ति
1.	नये विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण (संख्या में)	311	197 (63 %)
2.	वितरण ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना (डी०टी०आर०)	75,088	36,365 (48 %)
3.	विद्युत लाइन का निर्माण (सर्किट किमी० में)	36,489	43,403 (100 %)
4.	ग्राहक मीटिंग	10,27,863	5,49,585 (53 %)
5.	वितरण ट्रांसफॉर्मरों के मीटरों का अधिष्ठापन	20,357	20,357 (100 %)

आरोजीजीवीवाई० के तहत गतिविधि प्रक्रिया

2.2 योजना के निरूपण, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन में विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्वहन की गई की भूमिका नीचे आरेख 2.1.1 में दर्शाया गया है :



परियोजना वित्त पोषण तंत्र

2.3 आरोजीजीवीवाई० योजना का वित्त पोषण 90 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा आरोई०सी० के माध्यम से राज्य सरकार को और 10 प्रतिशत आरोई०सी० द्वारा राज्य सरकार को ऋण देकर किया जाना था। इसके अतिरिक्त बी०पी०एल० ग्रामीण घरों को मुफ्त विद्युत सम्बन्ध जारी करने के लिए डिस्कॉम को ₹ 3,000 प्रति कनेक्शन की पूँजीगत अनुदान भी प्रदान की जानी थी।

* अनुश्रवण समिति में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सचिव अध्यक्ष के रूप में, व्यय, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं।

** एस०एल०एस०सी० का नेतृत्व मुख्य सचिव करते हैं और इसमें ऊर्जा, ग्रामीण विकास, वित्त, पंचायती राज, वन, राजस्व विभागों के सचिवों, आरोई०सी० के प्रतिनिधि और बिहार सरकार द्वारा नामित कोई भी अन्य सदस्य शामिल हैं।

डी०डी०य०जी०जे०वाई० योजना का वित पोषण 60 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान आर०ई०सी० के माध्यम से भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को, 10 प्रतिशत डिस्कॉम्स/राज्य सरकार द्वारा और 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण के रूप में किया जाना था।

राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान के साथ राज्य योजनाओं को वित्तपोषित किया गया।

संगठनात्मक ढाँचा

2.4 डिस्कॉम्स की होल्डिंग कम्पनी बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (बी०एस०पी०एच०सी०एल०) है। बी०एस०पी०एच०सी०एल० एवं डिस्कॉम्स का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल में निहित है जिसमें अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक (डिस्कॉम्स के लिए) शामिल हैं। दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन प्रबन्ध निदेशक जो डिस्कॉम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, द्वारा किया जाता है, जिन्हें डिस्कॉम मुख्यालय और क्षेत्र में तैनात निदेशक (परियोजना), मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यकारी अभियंताओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार की भूमिका

2.5 आर०जी०जी०वी०वाई० और डी०डी०य०जी०जे०वाई० योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आर०ई०सी०, बिहार सरकार और डिस्कॉम्स के बीच त्रिपक्षीय समझौता क्रमशः 26 नवम्बर 2014 और 30 दिसम्बर 2015 को हुआ। त्रिपक्षीय समझौता में डिस्कॉम द्वारा योजनाओं के तहत शामिल परियोजनाओं के निर्माण पर होने वाले व्यय को प्रतिपूरित करने के लिए बिहार सरकार ने अपनी सिफारिश पर या अपनी ओर से परियोजना कार्यान्वयन हेतु निधियाँ सीधे डिस्कॉम्स को जारी करने के लिए अधिकृत किया। बिहार सरकार, ऐसी निधियों के ऋण घटक, उस पर उपार्जित ब्याज और आर०ई०सी० के अन्य शुल्कों को चुकाने का दायित्व लेता है।

बिहार सरकार को एक राज्यस्तरीय स्थायी समिति (एस०एल०एस०सी०) का गठन करना था जिसके द्वारा योजना के तहत शामिल किए जाने वाले गाँवों, बसावटों, गरीबी रेखा से नीचे के घरों की जिलेवार सूची की जांच और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार निरूपित परियोजनाओं की सिफारिश करना था।

राज्य योजनाओं के लिए, समय पर निधियों को विमुक्त करना राज्य सरकार की मुख्य भूमिका थी।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.6 निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या :

- योजनाओं/कार्यों की योजना और कार्यान्वयन कुशल, आर्थिक और प्रभावी तरीके से किया गया था;
- ग्रामीण बिहार में सतत विद्युतीकरण कायम रहने के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन था;
- परियोजना कार्यान्वयन के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र लागू था; तथा
- विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण का समग्र उद्देश्य प्राप्त किया गया था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.7 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के आकलन हेतु निम्नांकित लेखापरीक्षा मापदण्ड अपनाये गये थे :

- आर०जी०जी०वी०वाई० / डी०डी०य०जी०जे०वाई० के लिए कार्यालय ज्ञापन और दिशा-निर्देश;
- एम०वी०एस०एन०वाई० और अन्य कार्यों के अनुमोदन पत्र के अनुसार निर्देश;
- राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, विद्युत अधिनियम, 2003;
- बिहार वित्तीय नियम 2005;
- भारत सरकार / आर०ई०सी० / राज्य सरकार, बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी०ई०आर०सी०), बिजली बोर्ड द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश/निर्देश/परिपत्र/टैरिफ आदेश और आर०ई०सी०, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच क्रियान्वित त्रिपक्षीय समझौते ;
- डिस्कॉम के निदेशक मंडल (बी०ओ०डी०) की बैठकों की कार्यसूची टिप्पणी और कार्यवृत्त; तथा
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के संबंध में राज्य स्तरीय रक्षायी समिति और जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों के कार्यवृत्त।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

2.8 यह निष्पादन लेखापरीक्षा अगस्त 2018 से नवम्बर 2018 तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं/परियोजनाओं के संकल्पना और क्रियान्वयन एवं निश्चित किए गए उद्देश्यों के संदर्भ में इसकी उपलब्धियों के निष्पादन के आकलन की दृष्टि से किया गया था। डिस्कॉम्स मुख्यालय, उनके क्षेत्र इकाईयों और ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार में रखे गये दस्तावेजों/सूचनाओं की जाँच के आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा में 2013–14 से 2017–18 की अवधि समाविष्ट की गई।

कार्यपद्धति में, 29 अगस्त 2018 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन जिसमें प्रबंधन और प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को लेखापरीक्षा उद्देश्यों को बताना, अभिलेखों और संबंधित दस्तावेजों की जाँच, प्रारम्भिक लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी करना, कार्यस्थल निरीक्षण, लाभार्थी सर्वेक्षण, प्रबंधन के साथ चर्चा और इसके बाद प्रबंधन और प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के साथ 08 फरवरी 2019 को किया गया निकास सम्मेलन शामिल था।

प्रतिचयन

2.9 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएँ (डी०डी०जी० और बी०आर०जी०एफ०² के तहत गावों के पूर्ण पैमाने पर विद्युतीकरण को छोड़कर) 38 जिलों/परियोजनाओं में कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से आठ परियोजनाओं³ (अर्थात प्रत्येक डिस्कॉम की चार परियोजनाएँ) जो कुल परियोजनाओं की 21.05 प्रतिशत थे, का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति के आधार पर राज्य योजनाओं के अलावा आर०जी०जी०वी०वाई० तथा डी०डी०य०जी०जे०वाई० के कार्यान्वयन का मूल्यांकन हेतु किया गया था। ये आठ जिले आर०जी०जी०वी०वाई० तथा डी०डी०य०जी०जे०वाई० के अन्तर्गत थे जिसकी स्वीकृत लागत ₹ 2,661.72 करोड़ (कुल स्वीकृत लागत ₹ 14,177.91 करोड़ का 18.77 प्रतिशत) थी।

² डी०डी०जी० और बी०आर०जी०एफ० योजना के तहत पूर्ण पैमाने पर विद्युतीकरण योजनाएँ 11 जिलों में कार्यान्वित की गईं।

³ एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए गया 11वीं पंचवर्षीय योजना चरण II तथा जहानाबाद, मुंगेर और शेखपुरा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत। उसी प्रकार, एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए पूर्णियाँ और किशनगंज 11वीं पंचवर्षीय योजना चरण II तथा मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत।

प्रत्येक चयनित जिले के दो प्रखंड, प्रत्येक चयनित प्रखंड के दो गाँवों और प्रत्येक गाँव के पाँच लाभार्थियों को आर0जी0जी0वी0वाई0 योजना के लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए चुना गया था। आर0जी0जी0वी0वाई0 योजना के तहत चुने गए जिलों को डी0डी0यूजी0जे0वाई0 और अन्य योजनाओं/कार्यों के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए भी चुना गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, डिस्कॉम्स के मुख्यालय एवं चयनित जिलों में संबंधित अंचलों के विद्युत अधीक्षण अभियंता (वि0आ0आ0) के कार्यालयों, विद्युत कार्यकारी अभियंता (वि0का0आ0) (परियोजना) के कार्यालयों में योजनाओं/कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेख देखे गए थे।

अभिस्वीकृति

2.10 लेखापरीक्षा डिस्कॉम्स और उनके अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता हेतु आभार प्रकट करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.11 लेखापरीक्षा निष्कर्ष की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं/कार्य की योजना

2.12 डिस्कॉम्स अपने अधिकार क्षेत्र में आनेवाले जिलों में परियोजनाओं के निरूपण, विकास और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। योजनाओं (आर0जी0जी0वी0वाई0 और डी0डी0यूजी0जे0वाई0) में आर0ई0सी0 के दिशा-निर्देशों, और मानकों के अनुसार, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना शामिल है। पूर्ववर्ती बी0एस0ई0बी0 ने आर0जी0जी0वी0वाई0 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय चरण और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया था जबकि डी0डी0यूजी0जे0वाई0 के तहत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिस्कॉम के द्वारा तैयार किया गया था। पाये गये अनियमितताओं की चर्चा निम्न कंडिकाओं में की गई है :

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की कमियाँ

2.12.1 सभी ग्रामीण घरों तक बिजली पहुँचाने के लिए, जोकि ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार के अलावा उनका सर्वांगीण विकास करेगा, बिहार सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर0ई0पी0) को अधिसूचित (अगस्त 2012) किया।

आर0ई0पी0 की कंडिका 3.7 निर्दिष्ट करती है कि राज्य और वितरण लाईसेंसधारी बिजली आपूर्ति संस्थानों और अन्य क्षेत्रों जैसे ग्रामीण उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन और आर्थिक भार विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आर्थिक सेवाओं के मध्य नीति और नियोजन में समन्वय स्थापित करेंगे।

इसके अलावा, डी0डी0यूजी0जे0वाई0 के लिए डिस्कॉम्स द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के तहत यह कहा गया था कि कृषि विभाग ने अगले दो पंचवर्षीय योजना 2012–17 और 2017–22 में कृषि उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया था। रोड मैप के अनुसार कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए विस्तृत अनुमानित बिजली की आवश्यकता 2017–18 में 108 मेगावाट थी जो 2021–22 तक बढ़ कर 160 मेगावाट हो जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सरकार/डिस्कॉम ने ऐसी कोई योजना नहीं बनायी जिससे इन उद्योगों के लिए आवश्यक भार को पूरा किया जा सके। इस प्रकार, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना उस सीमा तक अकुशल थी।

ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के तहत बुनियादी ढाँचों के काम को दो व्यापक श्रेणियों के तहत विचारित किया गया था, वे हैं: ग्रामीण विद्युत वितरण आधार (आर0ई0डी0बी0) जो ग्रामीण उद्योगों के भार (5 कि0वा0 प्रति 500 ग्रामीण घरों) सहित सभी प्रकार के भार की आवश्यकता को पूरा करता है और ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वी0ई0आई0) जो मुख्य रूप से ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 दोनों के ग्रामीण परिवारों के भार को पूरा करता है।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि प्रति 500 घरों पर केवल 5 कि0वा0 का भार छोटे उद्योगों के लिए माना गया था, जबकि खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि के भार को जो कि 5 कि0वा0 से अधिक है, की आवश्यकता को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में विचारित नहीं किया गया था।

सलाहकारों की नियुक्ति पर निर्धारक व्यय

2.12.2 बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली 2005 के नियम 131डब्ल्यू के अनुसार, सलाहकारों की नियुक्ति का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब संबंधित विभाग के पास आवश्यक विशेषज्ञता न हो।

आर0जी0जी0वी0वाई0 11वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) तैयार करने के लिए उचित सर्वेक्षण किया जाना था। पूर्ववर्ती बी0एस0ई0बी0 ने 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत योजना में समाविष्ट किए गए गाँवों/बस्तियों में पूर्ण पैमाने पर विद्युतीकरण कार्यों के सर्वेक्षण और डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए निविदा आमंत्रित (नवम्बर 2010) किया। निविदा के आधार पर, ₹ 19.57 करोड़ के कार्य के लिए तीन एजेंसियों को नियुक्त किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- बी0एस0ई0बी0 ने कार्य को आउटसोर्स करने या बोर्ड द्वारा स्वयं किए जाने के बारे में कोई विश्लेषण नहीं किया था। चूंकि तकनीकी मानव बल की पर्याप्त विशेषज्ञता उपलब्ध थी, अतः अपने वित्तीय हित को सुरक्षित रखने के लिए प्रबंधन द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से डी0पी0आर0⁴ तैयार करवाने को टाला जा सकता था जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 हेतु डिस्कॉम्स द्वारा अपने स्तर पर ही डी0पी0आर0 तैयार किया गया था।
- आठ नमूना परीक्षित जिलों में से छः जिलों⁵ में यह देखा गया कि कार्य आवंटन पत्र (एल0ओ0ए0) में अनुमानित मात्रा और वास्तविक निष्पादित मात्रा के बीच व्यापक भिन्नता थी। भिन्नता मुख्य रूप से पी0एस0सी0⁶ पोल, कंडक्टर्स, डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (डी0टी0आर0), एरियल बंच केबल, नई लो टेंशन लाइन और नए डिस्ट्रीब्यूशन सब-स्टेशन के कार्यों में पाया गया था। जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में दिखाया गया है भिन्नताओं की सीमा (-) 70 प्रतिशत से (+) 791 प्रतिशत तक थी। इस बड़ी भिन्नता से यह पता चलता है कि डी0पी0आर0, निविदा में परिकलिप्त विस्तृत सर्वेक्षण किए बिना ही तैयार किये गये थे।
- इसके अलावा, अनुश्रवण समिति ने (दिसम्बर 2013) आर0जी0जी0वी0वाई0 के 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के डी0पी0आर0 का अनुमोदन करते समय डिस्कॉम्स को 12वीं पंचवर्षीय योजना⁷ के स्वीकृत मापदंडों के आधार पर डी0पी0आर0 को फिर से नये रूप में बनाने का निर्देश दिया था। 27 जिलों के डी0पी0आर0 को डिस्कॉम्स ने उसी आउटसोर्स एजेंसियों से ₹ 3.06 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर पुनः नये रूप में बनवाया, जिसके लिए समझौते में कोई प्रावधान नहीं था।

⁴ सलाहकारों के द्वारा 2011–13 की अवधि के दौरान डी0पी0आर0 तैयार किया गया था।

⁵ मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, गया एवं जहानाबाद।

⁶ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट।

⁷ गाँव तथा बसावटे (100 की जनसंख्या और अधिक) जो 10वीं तथा 11वीं योजना में शामिल नहीं थी, को 12वीं योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था।

**बिहार वित्त
नियमावली का
उल्लंघन कर
नियुक्त सलाहकारों
द्वारा डी०पी०आर०
का निर्माण कराने
के फलस्वरूप
₹ 22.63 करोड़
का परिहार्य व्यय**

इस प्रकार, डी०पी०आर० तैयार करवाने के लिए बोर्ड ने सलाहकारों को नियुक्त कर बिहार वित्त (संशोधन) नियम 2005 के नियम 131 डब्ल्यू का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 22.63 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि पूर्ण पैमाने पर विद्युतीकरण के लिए डी०पी०आर० बनाने के कार्य में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य शामिल था और 2009, 2011 और 2012 बैच के नए भर्ती किए गए अभियंता शामिल किए जाने के बाद भी संगठन में तकनीकी अधिकारियों की क्षमता बहुत कम थी। इसलिए, बी०एस०ई०बी० ने डी०पी०आर० तैयार करने के लिए सलाहकार की सहायता लेने का निर्णय लिया।

उन्होंने आगे कहा कि आर०ई०सी० द्वारा डी०पी०आर० तैयार करने के लिए जारी दिशा—निर्देशों (सितम्बर 2013) के अनुसार डी०पी०आर० का पुनरावलोकन आवश्यक था और संशोधित डी०पी०आर० बहुत कम समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना था। इसलिए, बी०एस०ई०बी० के विघटन के बाद पुनर्गिति नई कम्पनियों अर्थात् एस०बी०पी०डी०सी०एल० और एन०बी०पी०डी०सी०एल० पहले से नियुक्त तीन एजेंसियों की सहायता लेने के लिए व्यावहारिक रूप से मजबूर थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पर्याप्त अनुभव संगठन द्वारा पहले से ही प्राप्त किया जा चुका था जो कि लम्बे समय से अस्तित्व में रहने के कारण आया था। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा संगठन में तकनीकी अधिकारियों की कमी को डी०पी०आर० तैयार करने हेतु सलाहकारों की नियुक्ति का निर्णय लेते समय कारण के रूप के अंकित नहीं किया गया था। जहां तक डी०पी०आर० तैयार करने के दिशा—निर्देशों/दायरे में बदलाव के कारण डी०पी०आर० में संशोधन का संबंध है, विभाग ने समझौते की उन शर्तों को नहीं बताया हैं जिसके तहत अतिरिक्त भुगतान किया गया है।

वास्तविक सर्वेक्षण के बिना डी०पी०आर० तैयार करने के कारण अनुदान का नुकसान

2.12.3 डी०डी०य०जी०जे०वाई० के दिशा—निर्देशों के अनुसार, डिसकॉम्स द्वारा विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर जिलावार विश्वसनीय डी०पी०आर० तैयार किया जाएगा। डी०डी०य०जी०जे०वाई० योजना के तहत कृषि और गैर—कृषि फीडरों के पृथक्करण और सुदृढीकरण, सब—ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के संवर्धन के लिए एस०बी०पी०डी०सी०एल० ने ₹ 2,433.13 करोड़ की लागत से डी०पी०आर० (जून 2015) तैयार किया। आर०ई०सी० ने डी०पी०आर० पर अपनी सहमति प्रदान (जुलाई 2015) की और उक्त राशि को स्वीकृति दी जिसमें भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान के रूप में शामिल थे। तदनुसार, एस०बी०पी०डी०सी०एल० ने ₹ 2,552.28 करोड़ की लागत पर 12 संवेदकों को कार्य दिया (दिसम्बर 2016)। संवेदकों ने कार्यान्वयन के लिए वास्तविक सर्वेक्षण किया और सूचित किया (जून से अगस्त 2018) कि स्वीकृत लागत पर सभी कृषि पम्प/ट्युब—वेल को ऊर्जान्वित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, शेष उपभोक्ताओं (अर्थात् 1.39 लाख) को समाविष्ट करने के लिए एस०बी०पी०डी०सी०एल० द्वारा ₹ 1,632.67 करोड़⁸ का अतिरिक्त प्राक्कलन तैयार किया गया था।

इस प्रकार, बिना वास्तविक सर्वेक्षण/आवश्यकता निर्धारण के डी०पी०आर० तैयार करने के कारण ₹ 1,632.67 करोड़ के परियोजना लागत की अल्पस्वीकृति हुई जो कि अंततः अतिरिक्त परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अर्थात् ₹ 979.60 करोड़ के अनुदान की हानि के रूप में परिणत हुआ।

⁸ ₹ 1,632.67 करोड़ का अतिरिक्त प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था (जनवरी 2020)।

विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि योजना के तहत सीमित निधियों की उपलब्धता के कारण प्रत्येक राज्य की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने में होने वाली कठिनाईयों पर विचार करते हुए, देश के सभी राज्यों को अस्थायी रूप से उस राशि को इंगित किया गया था, जिसके तहत डी०पी०आर० तैयार किया जाना था और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना था। तदनुसार, एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए ₹ 2,433.13 करोड़ के डी०पी०आर० को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग, भारत सरकार द्वारा डी०पी०आर० में अनुमानित मात्रा एवं लागत की अस्वीकृति/कटौती की सीमा का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। अतः पूर्ण प्राक्कलित लागत को अनुमोदन के लिए भेजा जाना अपेक्षित था। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि आर०ई०सी० ने डी०पी०आर० में अनुमानित लागत को वैसा ही अनुमोदित कर दिया, जैसा कि डिस्कॉम्स द्वारा भेजा गया था। इसके अतिरिक्त विभाग की ओर से अपने जवाब के समर्थन में कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जो बिहार के लिए आर०ई०सी० द्वारा प्रस्तावित राशि बताती हो। इस प्रकार, संवेदकों द्वारा सर्वेक्षण किए गए ट्र्युब-वेल को डी०पी०आर० के तहत शामिल करने में डिस्कॉम की विफलता के परिणामस्वरूप परियोजना लागत की अल्प स्वीकृति हुई।

मरम्मत, रख-रखाव और सम्पत्ति प्रतिस्थापन योजना की गैर-मौजूदगी

2.12.4 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत डी०पी०आर० तैयार करने के लिए आर०जी०जी०वी०वाई० द्वारा जारी (सितम्बर 2013) दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से उस तंत्र को इंगित करना होगा जो उनके द्वारा बनायी गयी सम्पत्ति के रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा। इसके अलावा, बिहार सरकार की आर०ई०पी० (अगस्त 2012) में भी कहा गया है कि विशेष प्रयास किए जाएंगे ताकि न केवल आपूर्ति की गई बिजली, संचालन एवं रख-रखाव (ओ० एण्ड एम०), खर्च और ऋण शोधन की लागत को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न हो बल्कि भविष्य में बिना किसी पूँजीगत सब्सिडी की आवश्यकता के संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु निधि भी उत्पन्न हो।

मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन⁹ (बी०वी०एम०) की कार्यकारी समिति की बैठक (अक्टूबर 2016) में यह निर्देश दिया गया था कि नवनिर्मित बुनियादी ढाँचे के लिए नई रख-रखाव नीति तैयार की जा सकती है।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के तहत निर्मित सम्पत्ति 2014–15 से उपयोग में लायी जा रही थी। परिशिष्ट 2.7 में विस्तृत वार्षिक विवरण के अनुसार, वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान डिस्कॉम ने सम्पत्ति के संचालन एवं रख-रखाव में ₹ 133.22 करोड़ की राशि वहन की और ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अंतर्गत निर्मित ₹ 9,679.34 करोड़ के अचल सम्पत्तियों पर ₹ 277.54 करोड़ का मूल्यहास भारित किया।

यह स्पष्ट है कि न केवल निर्मित बुनियादी ढाँचों को बनाये रखने के लिए बल्कि बुनियादी ढाँचे के प्रतिस्थापन के लिए भी महत्वपूर्ण राशि की आवश्यकता होगी। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा है कि आर०जी०जी०वी०वाई० के दिशा-निर्देशों और बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के दिशा-निर्देश के विपरीत डिस्कॉम ने बढ़ते हुए संचालन एवं रख-रखाव खर्च और परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन से निपटने के लिए रख-रखाव की कोई भी योजना तैयार नहीं की या शोधन/आरक्षित निधि जैसी कोई परिसम्पत्ति प्रतिस्थापन योजना नहीं बनाई।

ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि 24 जनवरी 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की 87वीं बैठक में दोनों डिस्कॉम के लिए व्यापक रख-रखाव नीति की स्वीकृति दी गई है, जिसमें निवारक और ब्रेकडाउन रख-रखाव दोनों शामिल है।

⁹ बिहार सरकार ने बिहार विकास मिशन का गठन बिहार के विकास के लिए सात संकल्प (सात निश्चय) की उपलब्धि के कार्यान्वयन और निगरानी हेतु किया।

c<rs l pkyu , oa
j [k&j [k̄o [kpZrFk
i f̄j f̄i fr̄ ds i frLFki u
dk l keuk djus ds fy,
fMLd k̄i us uk rks dk̄Z
Hh j [k&j [k̄o ; kt uk
r\$ kj dh Fk ; k uk gh
i frLFki u fuf/k t \$ s
_.k ' k̄ku fuf/k gh
culkZFk

विभाग के जबाब से लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि होती है क्योंकि इस पर कार्रवाई नवम्बर 2018 में जारी लेखापरीक्षा टिप्पणी के बाद की गई थी।

बीमा दावों का निपटारा नहीं होना

2.12.5 आपदा पुर्नप्राप्ति योजना हेतु डिस्कॉम्स ने सृजन की गई सभी परिसम्पत्तियों/अवसंरचना के लिए बीमा लिया। 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान दोनों डिस्कॉम्स से सम्बन्धित बीमित राशि, प्रीमियम भुगतान, प्रस्तुत दावा और प्राप्ति का विवरण इस प्रकार है :

तालिका संख्या 2.1: बीमित राशि, प्रीमियम भुगतान, दावा प्रस्तुत और प्राप्ति का विवरण					
(राशि : ₹ करोड़ में)					
डिस्कॉम का नाम	बीमित राशि	प्रीमियम भुगतान	दावा प्रस्तुत	मार्च 2019 को प्राप्त दावा	प्राप्त दावा की प्रतिशतता
एस0बी0पी0डी0सी0एल0	7,137.52	8.42	10.04	3.40	33.86
एन0बी0पी0डी0सी0एल0	8,915.78	9.50	12.02	0.77	6.41
कुल योग	16,053.30	17.92	22.06	4.17	18.90

लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- डिस्कॉम ने 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान ₹ 17.92 करोड़ का प्रीमियम भुगतान किया जिसके विरुद्ध 31 मार्च 2019 तक ₹ 22.06 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया। तथापि, बीमा कम्पनियों को प्रस्तुत दावों के विरुद्ध 31 मार्च 2019 तक केवल ₹ 4.17 करोड़ प्राप्त हुए थे। दावों की कम वसूली का कारण दर्ज किए गए दावों के प्रमाण से संबंधित आवश्यक कागजात/दस्तावेज बीमा कम्पनियों को प्रस्तुत नहीं किया जाना था।
- इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम के पाँच¹⁰ जिलों में, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 2013–14 से 2017–18 के दौरान ₹ 4.78 करोड़ (एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में ₹ 3.55 करोड़ और एस0बी0पी0डी0सी0एल0 में ₹ 1.23 करोड़) की सम्पत्ति की हानि हुई थी। तथापि, संबंधित विभागों¹¹ से आवश्यक दस्तावेज प्राप्ति में विफलता के कारण डिस्कॉम्स ने सभी दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत नहीं किया जिसे कारण बता कर दावों को अस्वीकृत कर दिया गया। यह बीमा कम्पनियों के साथ दावों को प्रस्तुत करने में डिस्कॉम्स के शिथिलतापूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इस प्रकार, बीमा कम्पनियों के साथ दावों का निपटारा अत्यंत निम्न था और परिसम्पत्तियों के नुकसान के कुछ दावे आवश्यक दस्तावेजों के साथ दर्ज नहीं किए जा सके थे।

ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि दावा प्राप्ति में तेजी लाने और बीमा संबंधी प्रक्रियात्मक गतिविधियों में सुविधा के लिए, एस0बी0पी0डी0सी0एल0 और एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ने एक एजेंसी को नियुक्त (अप्रैल 2018) किया है। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स ने 2015–16 में ₹ 50 लाख प्राप्त किया और वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 77 लाख के अपने दावे का निपटान किया। विभाग ने आगे कहा कि यद्यपि क्षति के दावे बीमाकर्ता को प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन अन्य विभागों से विशिष्ट दस्तावेज माँगने के कारण, दावे को अंतिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।

विभाग का जवाब इस बात की पुष्टि करता है कि उनके निपटान/प्राप्ति के लिए दावा दर्ज करने की प्रणाली अप्रभावी थी जिसने प्रबंधन को इस क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने को बाध्य किया।

अनुशंसा :

डिस्कॉम्स को योजना के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और डी0पी0आर0 बनाने में उचित कर्मठता सुनिश्चित करना चाहिए।

परियोजना प्रबंधन

2.13 कंडिका 2.9 में चर्चा की गई राज्य योजनाओं के अतिरिक्त आर0जी0जी0वी0वाई0 और डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 के अंतर्गत लेखापरीक्षा ने कुल 38 जिलों (स्वीकृत लागत

¹⁰ जहानाबाद, किशनगंज, पूर्णियाँ, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी।

¹¹ आरक्षी विभाग द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन, मौसम विभाग तथा आपदा प्रबन्धन विभाग इत्यादि द्वारा प्रतिवेदन।

₹ 14,177.91 करोड़) में से आठ जिलों (स्वीकृत लागत ₹ 2,661.72 करोड़) में परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जांच की। इसके अतिरिक्त राज्य योजनाओं की चर्चा कंडिका 2.9 में किया गया है। डिस्कॉम्स के मुख्यालय के दस्तावेजों और कार्यों के कार्यान्वयन की जांच में पाये गये कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

आर०जी०जी०वी०वाई० योजना के क्रियान्वयन में विलंब

2.13.1 आर०जी०जी०वी०वाई० में परियोजना आवंटन की तारीख से दो वर्षों में परियोजना के पूर्ण होने की कालावधि निर्धारित की गई थी। डिस्कॉम्स ने आर०जी०जी०वी०वाई० के तहत 29 टर्नकी संवेदकों (टी०के०सी०)¹² को टर्नकी आधार पर कुल ₹ 8,706.88 करोड़¹³ की लागत पर कार्य आवंटित किया (जुलाई 2013–दिसंबर 2014)। परियोजनाओं को पूरा करने का निर्धारित समय 24 महीने अर्थात् जुलाई 2015 से दिसंबर 2016 तक था। मार्च 2019 तक योजना की भौतिक प्रगति **परिशिष्ट 2.1** में विस्तृत है।

जैसा कि परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि मार्च 2019 तक डिस्कॉम द्वारा गांवों/बस्तियों का विद्युतीकरण 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, बी०पी०एल० कनेक्शनों के संबंध में यह देखा गया कि बी०पी०एल० घरों के लिए सेवा कनेक्शन स्वीकृत संख्या की तुलना में केवल 32 प्रतिशत से 53 प्रतिशत की सीमा में थी। आठ नमूना जांच किए गए जिलों का मदवार विश्लेषण **परिशिष्ट 2.8** में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि स्थापित किये जाने वाले पावर सब–स्टेशन (पी०एस०एस०), 11 केवी लाइन, 33 केवी लाइन, डी०टी०आर० और एल०टी० लाइन की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था/सर्वेक्षण उपरान्त डिस्कॉम द्वारा अंतिमीकृत की गई मात्रा की तुलना में अधिक लक्ष्य प्राप्त किया गया था और यह शून्य प्रतिशत से 296.14 प्रतिशत के बीच थी। निर्धारित समय से दो साल की अवधि बीत जाने के बाद भी, डिस्कॉम्स परियोजना को सभी प्रकार से पूर्ण नहीं कर सकी थी। धीमी प्रगति का कारण पी०एस०सी० पोल की अनुपलब्धता, मार्ग अधिकार (आर०ओ०डब्ल्यू०) की समस्या, परिमाण विपत्र (बी०ओ०क्यू०) की मंजूरी में देरी और बोली लगाने वाले अयोग्य संवेदकों को कार्य प्रदान करना था।

अवलोकन को स्वीकार करते हुए, ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि इस परियोजना के निष्पादन के दौरान बिहार सरकार/भारत सरकार ने डिस्कॉम्स से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य न सिर्फ गांवों और बस्तियों तक सीमित करने बल्कि इसमें घरों को भी समाविष्ट करने के लिए कहा था, जिस कारण इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2012 में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आर०जी०जी०वी०वाई० दिशानिर्देश में घरों की समाप्ति करने का दायरा पहले से ही शामिल था।

डी०डी०यू०जी०जे०वाई० योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब

2.13.2 डी०डी०यू०जी०जे०वाई० में परियोजना आवंटन की तिथि से दो वर्षों में परियोजनाओं के पूर्ण होने की कालावधि निर्धारित की गयी थी। वितरण कम्पनियों ने 23 टी०के०सी०¹⁴ को ₹ 6,287.84 करोड़¹⁵ की कुल लागत पर टर्नकी आधार पर डी०डी०यू०जी०जे०वाई० के तहत कार्य आवंटित (जनवरी 2017–मार्च 2017) किया। परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित अवधि 24 महीने थी, जो कि जनवरी/मार्च 2019 थी। मार्च 2019 तक योजना की भौतिक प्रगति की विवरणी **परिशिष्ट 2.2** में विस्तृत है।

¹² एस०बी०पी०डी०सी०एल० में टी०के०सी० : 13 एवं एन०बी०पी०डी०सी०एल० में टी०के०सी० : 16।

¹³ एस०बी०पी०डी०सी०एल० : ₹ 3,411.00 करोड़ एवं एन०बी०पी०डी०सी०एल० : ₹ 5,295.88 करोड़।

¹⁴ एस०बी०पी०डी०सी०एल० में टी०के०सी० : 12 एवं एन०बी०पी०डी०सी०एल० में टी०के०सी० : 11।

¹⁵ एस०बी०पी०डी०सी०एल० : ₹ 2,552.28 करोड़ एवं एन०बी०पी०डी०सी०एल० : ₹ 3,735.56 करोड़।

लेखा परीक्षा ने पाया कि स्वीकृत पर्ट चार्ट के अनुसार कार्य निष्पादित नहीं किया जा रहा था और 24 से 26 महीने बीतने के बाद, कार्य का निष्पादन निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे था, जैसा कि परिशिष्ट से देखा जा सकता है। डी०पी०आर०/आवंटित की गई 296 पावर सब स्टेशन (पी०एस०एस०) के निर्माण की संख्या की तुलना में केवल 117 पी०एस०एस० का निर्माण किया गया था। इसी तरह, 1,312 कृषि फीडर, 810 गैर-कृषि फीडर के निर्माण और 70,651 डी०टी०आर० की स्थापना की तुलना में मार्च 2019 तक केवल 698 कृषि फीडर और 182 गैर-कृषि फीडर का निर्माण किया गया था और 16,558 डी०टी०आर० स्थापित किए गए थे।

खराब प्रगति के कारणों में पी०एस०एस० निर्माण के लिए जमीन सौंपने में देरी, जी०टी०पी०¹⁶ और ड्राइंग की स्वीकृति में देरी, परिमाण विपत्र को अंतिम रूप देने में देरी और एच०टी० एवं एल०टी० लाइनों की दिशा की पहचान न कर पाना थे, जो कि सभी डिस्कॉम द्वारा नियंत्रणीय थे। इसके अलावा, संवेदकों के उदासीन रवैया के साथ-साथ अपर्याप्त जनशक्ति की तैनाती भी कार्य की धीमी प्रगति में परिणत हुई।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि नयी मानक बोली दस्तावेजों¹⁷ की तकनीकी विशिष्टीकरण के अनुरूप मुख्य सामग्रियों की आपूर्ति हेतु विक्रेताओं के चयन के दौरान कुछ तकनीकी समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण, सामग्रियों की आपूर्ति एवं विक्रेताओं का चयन, आर०इ०सी० से स्पष्टीकरण (अगस्त 2017) के पश्चात वर्ष 2017 के अंतिम तिमाही से शुरू किया जा सका और इसके बाद ही कार्य में तेजी आई।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य का क्रियान्वयन शुरू होने से पहले ही बाधायें दूर कर लेनी चाहिए थीं। इसके अलावा, कार्य आवंटन/काम शुरू होने के बाद देरी पर जवाब मौन है।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग (विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन योजना—डी०डी०जी०)

2.13.3 डी०डी०जी० परियोजनाओं के कार्य को ₹ 272.03 करोड़ की लागत पर आवंटित (मई 2017) किया गया था। एल०ओ०ए० में 6,016 स्टैंड अलोन इकाइयों और 522 मिनी ग्रिड प्लांट (एम०जी०पी०) की स्थापना, कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि दिसंबर 2017 के साथ शामिल थी। 6,016 स्टैंड अलोन सिस्टम (एस०ए०एस०) इकाइयों की मूल संख्या के तुलना में इसे संशोधित कर 10,965 इकाइयाँ (सितम्बर 2018) किया गया था। 10,965 इकाइयों के संशोधित लक्ष्य के मुकाबले, सितम्बर 2018 तक 9,725 इकाइयाँ स्थापित की गई। इसी तरह 522 एम०जी०पी० के मूल संख्या को संशोधित (सितंबर 2018) कर 374 किया गया था, जिसमें से सितंबर 2018 तक केवल 205 एम०जी०पी० स्थापित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि अंतिम समय विस्तार के लिए जुर्माना एवं क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली पर निर्णय को स्थगित करते हुए अप्रैल 2019 तक औपबंधिक समय विस्तार प्रदान किया गया था।

परियोजनाओं को पूरा न करने के कारणों में मुख्य रूप से डिस्कॉम्स द्वारा भूमि सौंपने में देरी, कार्यक्षेत्र में संशोधन और दूरदराज के स्थानों पर गांवों का होना शामिल था।

अवलोकन को स्वीकार करते हुए, ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि दुर्गम क्षेत्रों में, जहां डी०डी०जी० की ज्यादातर परियोजनाएं स्थित हैं, भूमि की व्यवस्था डिस्कॉम्स के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। भूमि की उपलब्धता और आकार के आधार पर, एम०जी०पी० और एस०ए०एस० की संख्या और रेटिंग भी भिन्न होती है, जिसके कारण एम०जी०पी० और एस०ए०एस० की संख्या और स्थान में संशोधन किया गया जिसने कार्य पूरा करने को कठिन और चुनौतीपूर्ण बना दिया।

¹⁶ गारंटीड तकनीकी विवरणें (जी०टी०पी०)।

¹⁷ पावर ट्रांसफॉर्मर्स, वितरण ट्रांसफॉर्मर्स, एक्स०एल०पी०इ० केबल इत्यादि के तकनीकी विशिष्टताएँ।

12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आरोजी०जी०वी०वाई० परियोजनाओं पर अनुमान से अधिक लागत

2.13.4 दिशा-निर्देशों के अनुसार, डिस्कॉम्स को प्राक्कलन में संशोधन से बचने के लिए अद्यतन अनुसूचित दरों (एस०ओ०आर०) के आधार पर डी०पी०आर० तैयार करने की आवश्यकता थी। इसलिए लागत प्राक्कलनों की तैयारी के लिए डिस्कॉम के पास एक एस०ओ०आर० होना चाहिए जिसे समय-समय पर बाजार दर के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि कम दरों पर लागत प्राक्कलन बनाने और परिणामस्वरूप न्यून परियोजना लागत के अनुमोदन से बचा जा सके क्योंकि आर०ई०सी० ने डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमानों के आधार पर परियोजना लागत को स्वीकृत किया था। इसके अतिरिक्त, आरोजी०जी०वी०वाई० 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु आर०ई०सी०, बिहार सरकार और डिस्कॉम्स के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार अनुमान से अधिक लागत यदि कोई हो, तो किसी भी आधार पर विचारणीय नहीं होगा और इसे बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

आरोजी०जी०वी०वाई० (12वीं पंचवर्षीय योजना) के तहत 27 परियोजनाओं की डी०पी०आर० तैयार करने के लिए तीन एजेंसियों को कार्य का आवंटन (अप्रैल 2011) किया गया था और डी०पी०आर० को नवंबर 2013 में भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। तदनुसार, भारत सरकार ने आरोजी०जी०वी०वाई० 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ₹ 4,959.64 करोड़¹⁸ लागत की 27 परियोजनाएँ स्वीकृत की (दिसंबर 2013 / जनवरी 2014)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना को स्वीकृत लागत से अधिक लागत पर अगस्त 2014 से दिसंबर 2014 के मध्य ₹ 5,882.36 करोड़, यानि 14.51 प्रतिशत अधिक लागत पर टी०के०सी० को प्रदान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हो गई थी। परियोजना लागत में वृद्धि का मुख्य कारण लागत अनुमानों का अयथार्थ तैयारी थी। चूंकि डिस्कॉम के पास एस०ओ०आर० नहीं था, इसलिए इसने पिछले समान परियोजनाओं के अंतिम अनुबंध के आइटम दरों के आधार पर लागत प्राक्कलन तैयार किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना चरण II की स्वीकृत मद दर के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना की मदों की दरों की तुलना करने पर यह पाया गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की डी०पी०आर० दरें, 11वीं पंचवर्षीय योजना चरण-II के लिए स्वीकृत दरों की तुलना में 2.31 प्रतिशत से 29.66 प्रतिशत कम थी।

इस प्रकार, वितरण कम्पनियों के पास दरों की अनुसूची की अनुपलब्धता से राजकोष पर ₹ 830.47 करोड़ (₹ 922.75 करोड़¹⁹ का 90 प्रतिशत) का अतिरिक्त भार पड़ा।

एस०ओ०आर० की अनुपस्थिति को स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि सभी 27 जिलों के लिए ₹ 8,914.45 करोड़ की कुल डी०पी०आर० लागत के विरुद्ध केवल ₹ 5,220.67 करोड़ ही स्वीकृत किए गए थे। इसलिए भले ही उनके द्वारा एस०ओ०आर० को नियमित रूप से अद्यतन किया गया होता और डी०पी०आर० उस पर तैयार की गई होती फिर भी स्वीकृत राशि पर कोई असर नहीं पड़ता। इस प्रकार राजकोष पर ₹ 830.47 करोड़ के अतिरिक्त भार का कोई सवाल ही नहीं है।

विभाग का जवाब संतोषप्रद नहीं था, क्योंकि आर०ई०सी० द्वारा कम राशि के अनुमोदन का कारण, कार्य के दायरे में विचलन था न कि दरों में विचलन था। इस प्रकार डिस्कॉम द्वारा अद्यतन एस०ओ०आर० तैयार नहीं करने के कारण राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा था।

कार्य आवंटन में परियोजना प्रबंधन एजेंसी को अनुचित लाभ

2.13.5 एस०बी०पी०डी०सी०एल० के सभी 17 जिलों में राज्य योजना (एम०वी०एस०एन०वाई०) के तहत ए०पी०एल० घरों को विद्युत संबंध प्रदान करने की योजना के क्रियान्वयन हेतु सेवाएँ प्रदान करने के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी

¹⁸ स्वीकृत लागत : ₹ 5,220.67 करोड़ में से पाँच प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क घटाकर।

¹⁹ स्वीकृत लागत (पर्यवेक्षण शुल्क हटाकर) एवं आवंटित लागत में अन्तर।

(पी०एम०ए०) की नियुक्ति के लिए निविदा जारी (अगस्त 2016) की गई थी। निविदा की योग्यता मापदंड धारा 1ए के खंड 12 के अनुसार एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए बोली का वित्तीय भाग पहले खोला जाएगा और यदि बोलीदाता को एन०बी०पी०डी०सी०एल० में एल 1 घोषित किया जाता है तो किसी भी स्थिति में एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए बोली का वित्तीय भाग नहीं खोला जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार बोलीदाताओं ने एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए अपनी बोली लगायी। तकनीकी बोली के मूल्यांकन में दो फर्मों को अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने की आधार पर अस्वीकार्य / प्रतिक्रियाहीन घोषित किया गया था। इसके अलावा निविदा के खंड 12 के प्रावधानों को लागू करने के कारण दो योग्य बोलीदाताओं में से केवल एक बोलीदाता का मूल्य भाग खोला (अक्टूबर 2016) गया था। एजेंसी की उद्धृत दर ₹ 77.17 करोड़ थी। एस०बी०पी०डी०सी०एल० ने एजेंसी के साथ बातचीत करने के बाद (अप्रैल 2017) ₹ 44.28 करोड़ पर कार्य आवंटन किया। निदेशक मंडल (जुलाई 2017) से भूतलक्षी अनुमोदन प्राप्त करने हेतु, प्रबंधन ने लागत में कमी का कारण एस०बी०पी०डी०सी०एल० द्वारा ग्रामीण घरों के सर्वेक्षण कार्य को पूरा कर लेने के कारण दायरे से हटा लेना बताया।

लेखा परीक्षा ने इस संबंध में पाया कि:

- निविदा मूल्यांकन समिति ने ऐसे आधार²⁰ पर दो बोलीदाताओं के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसे कि स्पष्टीकरण मांग कर उनसे स्पष्ट किया जा सकता था। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए टी०के०सी० की नियुक्ति के मामले में बोलीदाताओं द्वारा विभिन्न आवश्यक कागजात²¹ प्रस्तुत नहीं किए गए थे, तथापि, कम्पनी ने बोलीदाताओं से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांग कर कार्य का आवंटन किया था।
- इसके अतिरिक्त दो तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं में से एक बोलीदाता को धारा 1ए के खंड 12 के प्रावधान के प्रकाश में विचार नहीं किया गया, क्योंकि उसे एन०बी०पी०डी०सी०एल० में एल 1 घोषित किया जा चूका था। शेष एकल बोलीदाता की बोली (अक्टूबर 2016) खोली गई। बोलीदाता द्वारा उद्धृत दर ₹ 77.17 करोड़ थी। पाँच महीनों के बाद मार्च 2017 में बोली लगाने वाले के साथ वार्ता की गई, जिसमें उद्धृत दर 43 प्रतिशत घटाकर ₹ 44.28 करोड़ कर दी गई। निदेशक मंडल को बताया गया कि वार्ता के दौरान उद्धृत दर में कमी का कारण पी०एम०ए० के कार्य के दायरे में सर्वेक्षण कार्य में पर्याप्त मात्रा में कमी थी जिसके परिणामस्वरूप कम जनशक्ति की आवश्यकता थी। यह तथ्यात्मक रूप से गलत था, क्योंकि निविदा में कार्य के दायरे में ग्रामीण घरों के सर्वेक्षण कार्य शामिल नहीं थे और तदनुसार उद्धृत दर में भी यह शामिल नहीं था।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट था कि एकल वित्तीय बोली खोली गई थी और प्रबंधन उद्धृत मूल्य की प्रतिस्पर्धात्मकता / तर्कशीलता को सत्यापित करने में असमर्थ रहा, जो कम्पनी के हित में नहीं था। इसके अलावा प्रबंधन ने पी०एम०ए० की

²⁰ एक बोलीदाता को इस आधार पर कि यद्यपि बोली वैद्यता अवधि के अंतर्गत एजेंसी ने “हाँ” का उल्लेख किया, लेकिन इससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और साथ ही दस्तावेजों के सत्यता और यर्थात्थता संबंधित कॉलम में “हाँ” करने से संबंधित नोटरीकृत शपथपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया। अन्य बोलीदाता के संबंध में, कम्पनी ने एजेंसी को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इसने वर्ष 2015–16 हेतु अपने वार्षिक लेखांकित लेखे एवं परियोजना लागत के दस्तावेज (अनुभव प्रमाणपत्र) प्रस्तुत नहीं किये। अग्रेतर, इसने नोटरीकृत शपथपत्र में गलत निविदा आमंत्रण सूचना (एन०आई०टी०) संख्या अंकित किया था।

²¹ न्यूनतम वार्षिक औसत टर्नओवर (एम०ए०ए०टी०) विद्युत कार्य में टर्नओवर की गणना हेतु, गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम (क्यू०ए०पी०), संवेदक के पास नकदी की पुष्टि करता बैंक प्रमाणपत्र, ई०पी०एफ० से संबंधित दस्तावेज, विक्रय कर पंजीकरण संख्या, कार्य समाप्ति अनुसूची इत्यादि के शपथपत्र के साथ-ही-साथ सी०ए० का प्रमाण पत्र।

नियुक्ति की मंजूरी के लिए निदेशक मंडल के समक्ष तथ्यात्मक रूप से गलत तथ्य भी रखा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 44.28 करोड़ के मूल्य का कार्य आवंटन कर बोली लगाने वाले को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि निविदा दस्तावेजों में बोलीदाताओं से प्रस्तुत दस्तावेजों के खिलाफ स्पष्टीकरण मांगने का कोई प्रावधान नहीं था। निदेशक मंडल के समक्ष उद्धृत मूल्य को कम करने और तथ्यात्मक रूप से गलत तथ्य रखने के संबंध में यह कहा गया था कि सर्वेक्षण कार्य में कमी के साथ ₹ 10.00 के लिए नए एनोआई०१० को आमंत्रित (अगस्त 2016) किया गया था।

विभाग का उत्तर सही नहीं था, क्योंकि प्रबंधन के लिए निविदा दस्तावेज के कंडिका 18 और कंडिका 20 के तहत जबाबदेह बोलीकर्ताओं से और अधिक स्पष्टीकरण की माँग हेतु प्रावधान उपलब्ध था। इसके अलावा सर्वेक्षण का काम निविदा में ₹ 10.00 के दायरे में नहीं था और दर भी उसी के अनुसार बताई गई थी। हालांकि प्रबंधन ने निदेशक मंडल के समक्ष दर में 43 प्रतिशत की कमी लाने के औचित्य के रूप में काम के दायरे को कम कर देना बताया, जो गलत और भ्रमित करने वाला था।

पी०एम०ए० को अनुचित लाभ

2.13.6 एस०बी०पी०डी०सी०एल० के पांच जिलों²² में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स लुईस बर्जर को आर०जी०जी०वी०वाई०-११वी० पंचवर्षीय योजना चरण II के तहत ₹ 10.00 के रूप में नियुक्त किया गया था। लेटर ऑफ अवार्ड (एल०ओ०ए०) के कंडिका 6.0 के अनुसार ₹ 10.00 को प्रत्येक जिला में न्यूनतम आठ कर्मियों से युक्त एक पर्यवेक्षण टीम और अन्य आवश्यक कर्मियों के साथ कम्पनी मुख्यालय में एक टीम लीडर की तैनाती करनी थी। इसके अलावा कंडिका 16.2 में यह प्रावधान था कि सेवा में अत्यधिक कर्मियों के कारण यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो दंडात्मक कार्रवाई, जिसमें एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासन भी शामिल है, शुरू की जा सकती है। हालांकि, ₹ 10.00 द्वारा चूक की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई का विवरण जैसे कि दंड की राशि, स्टेज दंड आदि को एल०ओ०ए० में शामिल नहीं किया गया था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि ₹ 10.00 ने एल०ओ०ए० के तहत आवश्यक न्यूनतम आठ की संख्या में जनशक्ति को हर जिले में तैनात नहीं किया था। 40 व्यक्तियों (पांच जिलों में से प्रत्येक के लिए आठ) की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 27 व्यक्तियों को तैनात किया गया था। इसके अलावा तीन वर्षों से अधिक समय तक टीम लीडर के बिना ₹ 10.00 की सेवा जारी रखी गई थी और परियोजना के अनुश्रवण की समीक्षा के लिए एस०बी०पी०डी०सी०एल० द्वारा बुलाई गई बैठकों में भी ₹ 10.00 उपस्थित नहीं हुआ था। प्रदान की गई सेवा में कमी के कारण एस०बी०पी०डी०सी०एल० ने ₹ 3.18 करोड़ के भुगतान को रोक दिया (जून 2016) था। हालांकि, बाद में ₹ 10.00 द्वारा सेवाओं में सुधार का आश्वासन देने के बाद इसे (मार्च 2017) जारी कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेवा प्रदान करने में कर्मियों के बावजूद अनुबंध में उपयुक्त प्रावधान नहीं रहने के कारण एस०बी०पी०डी०सी०एल० ने कम जनशक्ति तैनाती के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया था, जिसके कारण ₹ 10.00 को अनुचित लाभ हुआ।

ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि ₹ 10.00 द्वारा टीम लीडर के रिक्त पद को भरने पर विचार करने और भुगतान न होने के कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद संवेदक के प्रदर्शन में सुधार न होने के बारे में बताया गया, जिसके आधार पर एस०बी०पी०डी०सी०एल० द्वारा रोक कर रखी गई राशि को जारी किया गया था। विभाग ने आगे कहा कि जैसा कि इस ₹ 10.00 द्वारा परियोजना के अंतिम

²² पटना, रोहतास, बाँका, गया एवं नालन्दा।

समापन को सुनिश्चित नहीं किया गया था, डिलिवरेबल्स को पूरा नहीं करने के लिए इस फर्म²³ को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पी0एम0ए0 के निवेदन के आधार पर रोकी गई राशि को जारी करना उचित नहीं था, जबकि यह पहले से ही पर्याप्त मानव बल की तैनाती में विफल रहा था। इसके अलावा, भावी निविदा में भाग लेने से फर्म को रोक लगाये जाने की विभाग द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई भी हमारे अवलोकन की पुष्टि करती है।

पी0एम0ए0 पर स्वीकृति से अधिक व्यय

2.13.7 डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 के दिशा—निर्देशों के अनुसार, परियोजना प्रबंधन में डिस्कॉम्स की सहायता और परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पी0एम0ए0 की नियुक्ति की जानी थी। पी0एम0ए0 पर किए गए व्यय के लिए स्वीकृत परियोजना लागत ($\text{₹ } 5,827.22$ करोड़) या आवंटित लागत ($\text{₹ } 6,287.84$ करोड़) का 0.5 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान किया जाना था। पी0एम0ए0 की तैनाती पर इससे अधिक कोई अतिरिक्त लागत डिस्कॉम्स को अपने स्रोतों से वहन करना था। दिशा—निर्देशों के अनुसार पी0एम0ए0 की नियुक्ति की अवधि 33 महीने थी, यानि बोली प्रक्रिया पूरी करने के लिए छह महीने, काम पूरा करने के लिए 24 महीने और काम पूरा होने के बाद संबंधित गतिविधियों के लिए तीन महीने।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- दिशानिर्देशों के अनुसार 33 महीने की अवधि के विरुद्ध दोनों डिस्कॉम्स (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 और एन0बी0पी0डी0सी0एल0) ने पी0एम0ए0 को 42 महीनों की अवधि के लिए (जनवरी 2016) तैनात किया था, यानि नौ महीने की अतिरिक्त अवधि जिसके लिए दस्तावेजों में कोई औचित्य दर्ज नहीं था।
- पी0एम0ए0 को $\text{₹ } 72.49$ करोड़ की लागत पर काम पर रखा गया था, जो कि भारत सरकार द्वारा पी0एम0ए0 के लिए स्वीकृत राशि अर्थात $\text{₹ } 29.14$ करोड़ के ऊपर $\text{₹ } 43.35$ करोड़ की अतिरिक्त लागत पर था।
- इसके अलावा, पी0एम0ए0 की सेवाओं के लिए $\text{₹ } 50.40$ करोड़ का व्यय पहले ही किया (सितंबर 2018) जा चुका था और $\text{₹ } 21.26$ करोड़ का अतिरिक्त व्यय निधि प्राप्त किये बिना आर0ई0सी0 की स्वीकृति के बिना ही डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 परियोजना निधि से विचलन कर किए गए थे।

विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि डिस्कॉम्स की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए पी0एम0ए0 की नियुक्ति 33 महीनों के बजाय 42 महीने की अधिकतम अवधि के लिए की गई थी। विभाग ने आगे कहा कि फरवरी 2019 में पी0एम0ए0 के लिए अतिरिक्त धनराशि को बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दिशा—निर्देशों ने उक्त कार्य के लिए पी0एम0ए0 की नियुक्ति के कार्यकाल को केवल 33 महीने के लिए निर्धारित किया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा सितंबर 2018 में बताये जाने के बाद, राज्य सरकार ने फरवरी 2019 में अतिरिक्त निधि की स्वीकृति दी थी। हालांकि, आर0ई0सी0 की मंजूरी के बिना डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 परियोजना निधि को विचलन करके भुगतान पहले ही किया जा रहा था।

डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 के तहत पी0एम0ए0 पर अत्यधिक व्यय

2.13.8 पी0एम0ए0 की नियुक्ति से संबंधित डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 के दिशा—निर्देशों के अनुसार 10 प्रतिशत भुगतान मोबालाइजेशन अग्रिम के रूप में दिया जाना था, 80

²³ एजेंसी को पत्र निर्गत करने की तिथि से आर0जी0जी0वाई0 11वीं योजना चरण II के विरुद्ध पी0एम0ए0 के कार्यसमापन तक, एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के भविष्य की सभी निविदाओं में भाग लेने से वंचित (अप्रैल 2019) किया गया है।

fMldkW }jk
₹ 29-14 djM-dh
Lohdr jk' k ds Åij
₹ 43-35 djM-dh
vf/ld ykr ij
iH0, e0, 0 dh cgkyh

प्रतिशत परियोजना की उपलब्धि के अनुसार चरणबद्ध तरीके से और शेष काम पूरा होने के तीन महीने बाद जारी किया जाना था।

हालांकि, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर०एफ०पी०) में उपरोक्त दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया था और यह उल्लेखित था कि अनुबंध के मूल्य के 15 प्रतिशत व्याज धारित मोबलाइजेशन अग्रिम, 80 प्रतिशत स्वीकृत विपत्र के मूल्य के आधार पर और शेष पाँच प्रतिशत परियोजना पूर्ण होने के तीन महीने बाद भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, यदि पी०एम०ए० मोबलाइजेशन अग्रिम नहीं लेता है, तो अंतरिम भुगतान 95 प्रतिशत किया जाना था। डिस्कॉम द्वारा पी०एम०ए० की नियुक्ति 42 महीने की अवधि के लिए ₹ 72.49 करोड़ की लागत पर (सेवा कर/आई०जी०एस०टी० को छोड़कर) किया गया था।

पी०एम०ए० ने कोई मोबलाइजेशन अग्रिम नहीं लिया था और डिस्कॉम ने 30 सितंबर 2018 तक पी०एम०ए० को विपत्र मूल्य ₹ 43.12 करोड़ (पी०एम०ए० के संविदा मूल्य का 59.48 प्रतिशत) का 95 प्रतिशत ₹ 40.96 करोड़ का भुगतान किया। डी०डी०य०जी०जे०वाई० के तहत ₹ 6,287.84 करोड़ की कुल परियोजना लागत के विरुद्ध परियोजना पर कुल व्यय (सितंबर 2018) ₹ 1,617.44 करोड़ (कुल परियोजना लागत का 25.72 प्रतिशत) था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने डी०डी०य०जी०जे०वाई० में निर्धारित दिशा-निर्देशों से निविदा की शर्त²⁴ में निम्नलिखित विचलन देखा:

- पी०एम०ए० का भुगतान परियोजना की निर्धारित पड़ावों की उपलब्धि पर आधारित नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप पी०एम०ए० को ₹ 22.03 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान (₹ 72.49 करोड़ का 33.76²⁵ प्रतिशत × 90 प्रतिशत) हुआ।
- दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनुबंध मूल्य के 90 प्रतिशत के बजाय पी०एम०ए० को अंतरिम भुगतान 95 प्रतिशत तक किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पी०एम०ए० को ₹ 2.16 करोड़ (₹ 43.12 करोड़ का 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

इस प्रकार आर०ई०सी० के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुबंध को निष्पादित करने में डिस्कॉम की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 24.19 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि पी०एम०ए० को सभी भुगतान एन०आई०टी० / एल०ओ०ए० की धारा के अनुसार किए गए हैं और भुगतान की शर्त जैसा कि डी०डी०य०जी०जे०वाई० दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है, सांकेतिक है और संवेदक के भुगतान से जुड़ी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि परियोजना के निर्धारित पड़ावों की उपलब्धि पर आधारित पहले के अनुभव के मद्देनजर पी०एम०ए० को प्रति व्यक्ति महीने के आधार पर बहाल किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भुगतान की सांकेतिक शर्तों को डिस्कॉम्स के हित में संशोधित किया जाना चाहिए था। इसलिए डिस्कॉम्स को अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त रूप से निविदा/एल०ओ०ए० की शर्तों में निहित निर्धारित पड़ावों की उपलब्धि पर आधारित तरीके से 80 प्रतिशत चरणबद्ध भुगतान संबंधी धारा शामिल करना चाहिए था।

अयोग्य बोलीदाता को कार्य का आवंटन

2.13.9 लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद और अरवल जिलों के लिए आर०जी०जी०वी०वाई० के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के क्रियान्वयन के लिए दो निविदाएँ टर्नकी आधार पर जारी (अक्टूबर 2014) किए गए थे। निविदा की कंडिका 1.6 में निर्दिष्ट था कि निविदाकर्ता को अपने बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण सीमा और उनकी ऋण चुकाने की योग्यता के आकलन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

²⁴ एन०आई०टी० की शर्त निदेशक मंडल द्वारा मंजूर की गई थी।

²⁵ पी०एम०ए० को भुगतान का प्रतिशत : 59.48 प्रतिशत – टी०के०सी० को भुगतान का प्रतिशत (अर्थात् कार्य सम्पादित 25.72 प्रतिशत) = 33.76 प्रतिशत।

fMldkW } jkj
MOMO; Ut lbt Molk ds
fn' k&funZks ds vuq kj
vuqak dks fu"i knr djus
eafoQyrk ds QyLo: i
i l0, e0, 0 dks ₹ 24-19
djMdk vf/kd Hqxrku
gjk

निविदा के कंडिका 1.10 (ii) मे प्रावधान था कि बोलीदाता बोली लगाने की तारीख से तुरंत पहले के पिछले पांच वर्षों के लिए पूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित खाते प्रदान करेगी। इसके अलावा, कंडिका 1.15 (v) में यह भी कहा गया है कि निविदाकारों द्वारा कार्यशील पूँजी की पर्याप्तता अर्थात् साख की सीमा का आकलन और अन्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का प्रमाण भी शामिल किया जाएगा। कार्य का आवंटन एल 1 बोली लगाने वाले को 24 माह में पूर्ण करने की अवधि के साथ ₹ 307.17 करोड़²⁶ की लागत पर (नवंबर 2014) प्रदान किया गया था।

दोनों उपरोक्त निविदाओं में लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य का आवंटन निविदाओं की धारा की अनदेखी कर निविदा मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर अनियमित रूप से अयोग्य बोलीदाता को किया गया था, क्योंकि एल 1 बोलीदाता तकनीकी रूप से अयोग्य था। लेखापरीक्षा में पायी गई कमियाँ निम्नानुसार थीं:

- निविदा के आवश्यकतानुसार 2009–10 से 2013–14 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित खातों को बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना था। तदनुसार, अन्य बोलीदाताओं ने वर्ष 2009–10 से 2013–14 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। हालांकि, एल 1 बोलीदाता ने 2008–09 से 2012–13 के पांच वर्षों के लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
- निविदा दस्तावेजों की आवश्यकता के अनुसार बोली लगाने वालों को कार्यशील पूँजी की पर्याप्तता का साक्ष्य प्रस्तुत करना था, वर्ष 2013–14 के लिए एल 1 बोलीदाता की कार्यशील पूँजी नकारात्मक थी (–₹ 81.59 करोड़)।
- निधि आधारित ऋण सुविधा के संबंध में एल 1 बोलीदाता द्वारा पहले ही ₹ 64.27 करोड़ (मई 2014) की सीमा के विरुद्ध ₹ 66.90 करोड़ के ऋण सुविधा का लाभ उठाया जा चुका था। इसके अलावा, गैर–निधि आधारित ऋण सुविधा यानि बैंक गारंटी के संबंध में बोलीदाता की स्वीकृत सीमा ₹ 93 करोड़ थी, जिसमें से वह ₹ 53.31 करोड़ (57.32 प्रतिशत) का उपयोग कर चुका था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि, हालांकि नवंबर 2016 तक काम पूरा होना सुनिश्चित था, लेकिन सितम्बर 2018 तक लगभग दो साल बीत जाने के बाद भी वित्तीय प्रगति के संबंध में उपलब्धि केवल 34 प्रतिशत थी। एस०बी०पी०डी०सी०एल० ने संविदा भंग करने का नोटिस (सितंबर 2016) जारी किया, टी०के०सी० को बोली में आगे की भागीदारी से वंचित कर दिया और टी०के०सी० के निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त (अप्रैल 2018) कर लिया। इसके अलावा, टी०के०सी० ने दो बार कार्य को पहले मार्च 2017 और पुनः जनवरी 2018 में पट्टे पर दे दिया था। इन सब के बावजूद भी कार्य पूरा नहीं हुआ।

इस प्रकार, बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन में वितरण कम्पनी द्वारा यथोचित सतर्कता की कमी के कारण खराब वित्तीय स्थिति वाले अयोग्य टी०के०सी० का चयन हुआ जिसके पास अपर्याप्त कार्यशील पूँजी और साख सुविधा का अभाव था। इसके कारण परियोजना कार्यान्वयन पर भी असर पड़ा जो कार्य की खराब प्रगति से भी परिलक्षित है।

ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि निविदा में पांच वर्ष की वार्षिक प्रतिवेदन विनिर्दिष्ट थी और इसमें कहीं भी विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2013–14 अंकित नहीं था।

पर्याप्त कार्यशील पूँजी के साक्ष्य के संबंध में, विभाग ने कहा कि कार्यशील पूँजी की पर्याप्तता का निर्धारण बैंकर (एस०बी०आई०) के निधि आधारित / गैर निधि आधारित

²⁶ लखीसराय : ₹ 113.28 करोड़, शेखपुरा : ₹ 26.41 करोड़, जहानाबाद : ₹ 107.88 करोड़ तथा अरवल : ₹ 59.60 करोड़।

सीमाओं के प्रमाण पत्र के आलोक में किया जाना था। इस प्रमाण पत्र में, फर्म के पास ₹ 37.06 करोड़ की निधि सीमा उपलब्ध थी।

विभाग का जबाब मान्य नहीं था क्योंकि निविदा में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट था कि बोली दाताओं को बोली प्रस्तुत करने के तुरंत पहले के पांच वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करना था। चूंकि बोली अक्टूबर 2014 में आमंत्रित की गई थी, इसलिए बोलीदाता को वर्ष 2013–14 तक के लेखाओं को प्रस्तुत करना आवश्यक था। इस प्रकार बोली का मूल्यांकन करते समय प्रबंधन ने 'तुरंत पहले' शब्द की अनदेखी कर दी और मनमाने ढंग से कार्य किया।

इसके अलावा, पर्याप्त कार्यशील पूँजी के बारे में भी विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपलब्ध ऋण की सीमा और अन्य वित्तीय संसाधन पर विचार करने के बावजूद भी बोलीदाता के कार्यशील पूँजी की पर्याप्तता (–) ₹ 44.53 करोड़ (– ₹ 81.59 करोड़ + ₹ 37.06 करोड़) थी। इसके अतिरिक्त, बैंक के प्रमाण पत्र के अनुसार, प्रदत्त ऋण की सीमा विशेष रूप से केवल इस बोली के लिए नहीं दी गई थी।

आर०जी०जी०वी०वाई० और गैर-पारंपरिक ऊर्जा (डी०डी०जी०) के तहत निविदाओं को आवंटित करने में विवेक की कमी के कारण अतिरिक्त लागत

2.13.10 आर०जी०जी०वी०वाई० योजना के कार्यान्वयन के लिए एन०बी०पी०डी०सी०एल० ने बेगूसराय जिला और दरभंगा जिला के लिए टर्नकी आधार पर एल०ओ०ए० (अगस्त 2014) जारी किया। दोनों जिलों में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का विशिष्टीकरण समान था। लेखा परीक्षा ने देखा कि टर्नकी संवेदक का कारखाना मूल्य²⁷ (एक्स वर्कर्स मूल्य) आस-पास के जिलों को आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों²⁸ के लिए अलग-अलग थी, जो एक ही कार्य के लिए अतिरिक्त लागत के रूप में व्ययित हुआ था।

इसके अलावा, डी०डी०जी० परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए एस०बी०पी०डी०सी०एल० ने एल०ओ०ए० किसी अन्य संवेदक को जारी किया (मई 2017) था। इसी तरह एन०बी०पी०डी०सी०एल० ने भी डी०डी०जी० स्कीम को निष्पादित करने के लिए एल०ओ०ए० उसी संवेदक को जारी (मई 2017) किया था। दोनों अनुबंधों को टर्नकी आधार पर प्रदान किया गया था।

लेखा परीक्षा ने पाया कि उपयोग की गई सामग्री का विशिष्टीकरण दोनों वितरण कम्पनियों में समान था। हालांकि, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट और 50 किलोवाट डी०डी०जी० संयंत्रों के अधिष्ठापन के साथ अनुषंगी कार्यों की उसी टर्नकी संवेदक द्वारा की गई आपूर्ति का कारखाना मूल्य दोनों डिस्कॉम के लिए अलग-अलग थी।

इस प्रकार, एक ही समय में एक ही संवेदक के साथ एक ही मद का कारखाना मूल्य को समान रखने के वित्तीय विवेक का उपयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप डिस्कॉम द्वारा दो योजनाओं में ₹ 8.18 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि देश भर में ऊर्जा क्षेत्र में टर्नकी क्रियान्वयन के तहत, निविदा का निर्णय निविदा विशेष के विरुद्ध बोलीदाता द्वारा उद्द्वृत किए गये एकमुश्त न्यूनतम बोली के आधार पर लिया जाता है और अलग-अलग मद के विरुद्ध उद्वृत व्यक्तिगत दर की निविदा तय करने में कोई भूमिका नहीं होती है।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अंतिम समग्र लागत के साथ काम के प्रत्येक घटक के मदवार दर की बोली लगाना भी बोलीदाता के लिए आवश्यक थी। इस प्रकार, विभिन्न परियोजनाओं के तहत समान वस्तुओं के मामले में ये तुलनीय थे।

²⁷ विक्रेता के कारखाने पर वस्तु का विक्रय मूल्य।

²⁸ 5 एम०भी०ए० लोड टैप चैंजर, आर०सी०सी० बेस प्लेट, गैल्वेनाईज्ड प्री-फैब्रिकेटेड स्टील सामग्री, 63 के०भी०ए० ट्रांसफॉर्मर इत्यादि।

इसके अलावा, वित्तीय विवेक के अनुसार एक ही संवेदक के लिए एकसमान वस्तुओं की कारखाना लागत एस०बी०पी०डी०सी०एल० और एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए भिन्न नहीं हो सकती है। यह टर्नकी अनुबंधों को अंतिम रूप देने में डिस्कॉम्स के बीच खराब समन्वय को भी इंगित करता है।

जले हुए/दोषपूर्ण ट्रांसफॉर्मर के प्रतिस्थापन में कमी

2.13.11 बिहार सरकार ने आर०जी०जी०वी०वाई० –10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना चरण-II के तहत स्थापित 14,822 जले हुए/दोषपूर्ण, 10 / 16 / 25 / 40 के०बी०ए० क्षमता के वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डी०टी०) के प्रतिस्थापन के लिए ₹ 333.49 करोड़ जारी (अक्टूबर 2014) किया। बिहार सरकार की सहमति के साथ डिस्कॉम्स ने कार्य की तात्कालिकता के कारण 11वीं पंचवर्षीय योजना चरण-II और 12वीं पंचवर्षीय योजना के संवेदकों को परिवर्तन खंड के तहत ढाई महीने में कार्यपूर्ण करने की अवधि के साथ कार्य आवंटित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मूल रूप से आकलित 14,822 डी०टी० से अंततः 10,388 डी०टी० की मात्रा को प्रतिस्थापन हेतु शिथिल (मई 2016) किया गया और उतना ही स्थापित किया गया। तदोपरान्त, डिस्कॉम्स ने संचालन एवं अनुरक्षण की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से शेष 4,434 डी०टी० को बदलने का निर्णय लिया (मई 2016) जिसका कारण दस्तावेजों पर अंकित नहीं पाया गया। इस प्रकार, डिस्कॉम्स कुल 14,822 डी०टी० को अधिष्ठापित नहीं कर सकी थी जिसके लिए बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि इसके लिए उपयोग किया गया कुल कोष केवल ₹ 199.60 करोड़ था और शेष ₹ 133.89 करोड़ की राशि 36 महीने की अवधि बीत जाने के बावजूद भी न तो बिहार सरकार को वापस की गई थी और न ही किसी अन्य योजना में उसके उपयोग के लिए बिहार सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि डिस्कॉम्स समाशोधन के बाद शेष राशि बिहार सरकार को वापस कर देगी।

विक्रेता को बढ़ावा देने में डिस्कॉम्स की विफलता

2.13.12 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कई योजनाओं के तहत कई परियोजनाएं लागू की जानी थीं, जिसके लिए कई सामग्रियों को निजी विक्रेताओं से प्राप्त किया जाना था। कई आवश्यक सामग्रियों में से पोल कंडक्टर, वितरण ट्रांसफॉर्मर, केबल, ऊर्जा मीटर और बिजली ट्रांसफॉर्मर जैसी सामग्रियाँ योजना के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण थीं। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सामग्रियों की भारी आवश्यकता के मद्देनजर, महत्वपूर्ण सामग्रियों के लिए डिस्कॉम्स को राज्य में नए निर्माताओं/विक्रेताओं को बढ़ावा देने के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए, जिसमें तकनीकी सहायता प्रदान करना, साख नीति बनाना या कुछ मानदंडों जैसे कर राहत, सुनिश्चित आपूर्ति गांरटी, मूल्य वरीयता इत्यादि को शिथिल करना शामिल हो ताकि पूर्व निर्धारित मानदंडो²⁹ के आधार पर विक्रेताओं की पूर्व अनुमोदित सूची का विस्तार किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स ने विक्रेता को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति नहीं बनाई थी। यह भी देखा गया कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण छ: वस्तुओं में से, प्रबंधन ने केवल एक सामग्री अर्थात् पी०एस०सी० पोल में नए विक्रेता

²⁹ संस्था को कम–से–कम दो वर्षों से व्यवसाय में होना चाहिए तथा इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता आदेशित मात्रा से कम–से–कम पाँच गुना हो तथा संस्था ने विगत दो वर्षों में केन्द्र/राज्य बिजली उपयोगकर्ताओं को समान उपकरण/सामग्री की आपूर्ति की हो।

के लिए छूट विस्तारित की। विक्रेता अनुमोदन के मौजूदा मानदंडों के कारण गया और पटना जिलों के ₹10के०सी० अनुमोदित पर्ट चार्ट के अनुसार ₹०५०८०सी० पोल, कंडक्टर, ₹०१०टी०, केबल और पावर ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति करने में असफल रहे। ₹१०के०सी० को जनवरी 2015 तक लगभग 90 प्रतिशत सामग्री की आपूर्ति करनी थी, लेकिन जनवरी 2015 तक पटना जिले में केवल आठ प्रतिशत से 42 प्रतिशत और गया जिले में आठ प्रतिशत से 56 प्रतिशत की आपूर्ति की गई।

इस प्रकार डिस्कॉम्स विक्रेताओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता की परिकल्पना नहीं कर सका जिससे ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति बाधित हुई।

विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि तेजी से विद्युतीकरण के कारण बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखते हुए नये विक्रेताओं से यह उम्मीद की जाती है कि वो विभिन्न सामग्रियों के लिए राज्य में खुद को स्थापित करें।

जवाब हमारे अवलोकन की पुष्टि करता है, क्योंकि यह डिस्कॉम द्वारा किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण के विशाल कार्य के मद्देनजर राज्य के क्षेत्र में नए विक्रेताओं को विकसित करने के लिए किए गए प्रयासों पर मौन है।

अनुशंसाएँ:

डिस्कॉम्स को:

1. काम आवंटित करने से पहले दरों की औचित्यता/प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करनी चाहिए।
2. वर्तमान ₹१०००आर० के आधार पर ₹०५००क्य० को निर्मित करना चाहिए और स्वीकृत लागत और आवंटित लागत के अंतर का भार उठाने के लिए बिहार सरकार के साथ मामला उठाना चाहिए तथा
3. परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करना चाहिए।

वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रदर्शन और कार्य परिणाम

2.14.1 2013–14 से 2017–18 के दौरान डिस्कॉम्स के वित्तीय प्रदर्शन और कार्य परिणामों को परिशिष्ट 2.9 और 2.10 में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट से यह स्पष्ट है कि:

- इस अवधि के दौरान डिस्कॉम्स ऊर्जा की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में असफल रहा, क्योंकि प्रति रुपये लागत की तुलना में प्राप्त आय ₹१०००पी०सी०एल० में ₹ 0.94 से घटकर ₹ 0.73 और ₹०५००पी०डी०सी०एल० में ₹ 0.97 से घटकर ₹ 0.87 हो गयी।
- डिस्कॉम्स नियोजित पूँजी पर नकारात्मक आय प्राप्त कर रही थी। इसके फलस्वरूप, वे अपने पूँजीगत व्यय के लिये सरकारी अनुदान तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को आपूर्ति विद्युत एवं बिहार विद्युत विनियामक आयोग (₹०५००आर०सी०) द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तुलना में अधिक संचरण एवं वितरण हानि के लिए राजस्व सब्सिडी पर निर्भर थे। उपर्जन क्षमता में वृद्धि न होना डिस्कॉम्स के दयनीय वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है जो कि परिचालन कार्य के निरंतरता को बनाए रखने के लिए उनका सब्सिडी पर लगातार निर्भरता को झंगित करता है।

ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि पिछले कुछ वर्षों में डिस्कॉम्स की कमाई की क्षमता में सुधार हुआ है और सरकारी सब्सिडी और अनुदान पर निर्भरता भी कम हुई है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 में परिचालन से राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्व सब्सिडी और अनुदान में 43 प्रतिशत की कमी आई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दी गई अवधि के दौरान मुख्यतः ऊर्जा क्रय लागत में वृद्धि तथा बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित सीमाओं से ए0 टी0 एण्ड सी0 हानि के आधिक्य के कारण, प्रति रूपया व्यय पर अर्जित आय कम हुआ था।

नियोजित पूँजी पर नकारात्मक प्रतिफल के संबंध में विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया।

ग्रामीण उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण और सब्सिडी

2.14.2 वर्ष 2017–18 के लिए दोनों डिस्कॉम्स द्वारा विपत्रित की गई कुल ऊर्जा 18,247.80 एम0यू0 थी, जिसमें से ग्रामीण उपभोक्ताओं को विक्रय की गई विद्युत { (कुटीर ज्योति (के0जे0), घरेलू उपभोक्ता—I (डी0एस0—I), गैर घरेलू—I (एन0डी0एस0—I) और सिंचाई और कृषि सेवा—I (आई0एस0—I)} 6,092.64 एम0यू0 (33.39 प्रतिशत) थी। वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान ग्रामीण उपभोक्ताओं के संबंध में विपत्रीकरण एवं सब्सिडी का विवरण तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका संख्या 2.2: ग्रामीण उपभोक्ताओं के संबंध में विपत्रीकरण और सब्सिडी का विवरण

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आपूर्ति की औसत लागत (ए0सी0एस0)/ इकाई (₹ में)	6.73	6.79	6.84	6.81	7.73
ग्रामीण उपभोक्ताओं का भारित औसत विपत्रीकरण दर (ए0बी0आर0) ₹/यूनिट में	1.24	2.27	2.03	2.24	1.51
अन्तर	5.49	4.52	4.81	4.57	6.22
ए0सी0एस0 के सम्बन्ध में ए0बी0आर0 की प्रतिशतता	18.42	33.43	29.68	32.89	19.53
सभी उपभोक्ताओं का ए0बी0आर0 ₹/यूनिट में बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गई राजस्व सब्सिडी (₹ करोड़ में)	4.56	4.28	4.30	4.32	4.57
	1,151.21	909.35	1,994.82	1,970.59	1,554.31

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2013–14 में 25.21 लाख से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 79.80 लाख हो गई। उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं की औसत विपत्रीकरण दर में अंतर भी ₹ 5.49 प्रति यूनिट (वर्ष 2013–14) से बढ़कर ₹ 6.22 प्रति यूनिट (वर्ष 2017–18) हो गया। ग्रामीण उपभोक्ताओं को आपूर्ति की औसत विपत्रीकरण दर और औसत लागत में अंतर के कारण, बिहार सरकार ने 2013–14 से 2017–18 के दौरान ₹ 7,580.28 करोड़ की राजस्व सब्सिडी प्रदान की, जिसके कारण राजकोष पर भार ₹ 1,151.21 करोड़ (वर्ष 2013–14) से बढ़कर ₹ 1,554.31 करोड़ (वर्ष 2017–18) हो गया। लंबे समय में, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के संपोषण हेतु डिस्कॉम्स को राजस्व प्राप्ति और आपूर्ति की लागत के बीच अंतर को कम करना अपेक्षित है।

विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि डिस्कॉम्स के ए0 टी0 एण्ड सी0 हानियों को कम करने के लिए वास्तविक टैरिफ वृद्धि एवं तर्कसंगतता के साथ विपत्रीकरण एवं संग्रह दक्षता में सुधार, लागतों को पर्याप्त रूप से पूरा करने हेतु डिस्कॉम्स के व्यापक योजना ने इसे वित्तीय रूप से अधिक सक्षम बना दिया है।

विभाग का जवाब तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ग्रामीण उपभोक्ताओं के औसत विपत्रीकरण दर तथा आपूर्ति की औसत लागत के अंतर में वृद्धि हुई थी।

वितरण हानि हेतु परिहार्य सब्सिडी

2.14.3 राज्य के ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कंडिका 3.9 के अनुरूप, राज्य सरकार, डिस्कॉम्स को सब्सिडी/संसाधन अंतर प्रदान करता है। डिस्कॉम्स को राजस्व

fMldW jkt Lo dh
iMr vkj vki frZ
dh ykxr ds chp
vUkj dk de djus
eavl Qy jgk

सब्सिडी प्रदान करने के अलावा, बिहार सरकार ने, वर्ष 2013–14 से 2016–17³⁰ के दौरान, वास्तविक वितरण हानि और बी0ई0आर0सी0 के द्वारा अनुमोदित वितरण हानि में अंतर के कारण, अस्वीकृत विद्युत क्रय के व्ययों को पूरा करने के लिए सब्सिडी के रूप में ₹ 7,745.86 करोड़ की राशि भी प्रदान की। इसके अलावा, वर्ष 2017–18 में बिहार सरकार ने वास्तविक वितरण हानि और बी0ई0आर0सी0 के द्वारा अनुमोदित वितरण हानि के अंतर को खत्म करने के लिए अंशपूँजी में निवेश के रूप में ₹ 1,476.00 करोड़ प्रदान किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि बी0ई0आर0सी0 के द्वारा अस्वीकृत विद्युत क्रय व्यय, डिस्कॉम्स की प्रबंधकीय अक्षमता को इंगित करता है।

इस प्रकार, बी0ई0आर0सी0 के द्वारा अनुमोदित हानि के अतिरिक्त वितरण हानि के लिए राज्य सरकार ने निधि उपलब्ध कराया, जिसने डिस्कॉम्स की दक्षता, लाभप्रदता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य को विफल किया।

ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि घरेलू उपभोक्ताओं के विशाल आधार के कारण, डिस्कॉम्स के लिए निर्धारित समय के भीतर बी0ई0आर0सी0 के द्वारा निर्धारित ए0 टी0 एण्ड सी0 हानियों के लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल था। बी0ई0आर0सी0 द्वारा लक्ष्य के अनुसार ए0 टी0 एण्ड सी0 हानियों को कम करने में व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, अंतर को पूरा करने के लिए, बिहार सरकार ने, सोच समझकर, डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, विभाग ने कहा कि डिस्कॉम्स के बेहतर प्रदर्शन के कारण, वितरण हानि लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी के प्रति राज्य सरकार का समर्थन भी पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है।

विभाग का जवाब तर्कपूर्ण नहीं है, क्योंकि डिस्कॉम्स की अक्षमता के कारण बनी खाई को भरने के लिए, सरकार ने डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता प्रदान की और बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित लक्ष्य³¹ की तुलना में, वर्ष 2016–17 और वर्ष 2017–18 में उदय योजना का कार्यान्वयन के उपरांत, वितरण हानि के लक्ष्य में वृद्धि के फलस्वरूप, राज्य सरकार के सहयोग में कमी हुई है।

प्राप्त निधि एवं उनका उपयोग

2.14.4 बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, निम्नलिखित योजनाओं के तहत मार्च 2019 तक भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा ₹ 12,316.73 करोड़ प्रदान किए गए। मार्च 2019 तक योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की लागत के विरुद्ध प्राप्त निधि और व्यय की वित्तीय प्रगति तालिका 2.3 में दर्शाई गई है।

³⁰ एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के मामले में 2013–14 के दौरान वितरण हानि 46.65 प्रतिशत थी तथा एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के मामले में 33.48 प्रतिशत थी जबकि दोनों डिस्कॉम्स के लिए बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित लक्ष्य 23 प्रतिशत था। इसी प्रकार, बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित 24 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के मामले में 2017–18 के दौरान वितरण हानि 30 प्रतिशत थी तथा एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के मामले में 25.22 प्रतिशत थी।

³¹ दोनों डिस्कॉम्स के लिए बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2016–17 एवं 2017–18 के लिए क्रमशः 19.25 प्रतिशत तथा 18.25 प्रतिशत था।

उदय के अनुसार लक्ष्य : 2016–17 : एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए 34 प्रतिशत तथा एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए 38 प्रतिशत, 2017–18 : एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए 28 प्रतिशत तथा एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए 30 प्रतिशत।

योजना का नाम	सम्मिलित जिले की संख्या	अनुमोदित लागत	आरोड़०सी० से प्राप्त निधि	राज्य सरकार से प्राप्त निधि	कुल प्राप्त निधि	व्यय की राशि	प्राप्त निधि के विरुद्ध व्यय की गई राशि का प्रतिशतता (प्रतिशत में)	(₹ करोड़ में)	
आर०जी०जी०वी०वाई०	38 जिले	8,350.69	5,422.70	1,076.88	6,499.58	7,514.57	115.62	89.99	
डी०डी०यू०जी०जे०वाई०	38 जिले	5,827.22	2,758.53	897.91	3,656.44	2,981.91	81.55	51.17	
गाँवों का पूर्ण विद्युतीकरण	11 जिले	837.62	-	834.87	834.87	686.20	82.19	81.92	
जले हुए/ दोषपूर्ण ट्रांसफॉर्मर का प्रतिस्थापन	38 जिले	333.49	-	333.49	333.49	199.60	59.85	59.85	
एम०वी०एस०एन०वाई०	14 अंचल (38 जिले)	1,897.50	-	992.35	992.35	795.29	80.14	41.91	
कुल		17,246.52	8,181.23	4,135.50	12,316.73	12,177.57	98.87	70.61	

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

- डी०पी०आर० में विद्युत संबंधों की अनुमानित संख्या की तुलना में, बी०पी०एल० विद्युत संबंधों की संख्या में कमी के कारण आर०जी०जी०वी०वाई० के तहत निधि की कम प्राप्ति हुई थी, जिसकी चर्चा कंडिका 2.16.2 में है। प्राप्त धनराशि के तुलना में अतिरिक्त व्यय का मुख्य कारण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं³² के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय था, जो अस्थायी रूप से, अन्य योजनाओं³³ की उपलब्ध निधि और परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज से पूरा किया गया था। डिस्कॉम्स ने आरोड़०सी० से, आधारभूत घटक के तहत, बी०पी०एल० घरों को विद्युत संबंध देने में हुई बचत का उपयोग करने का अनुरोध किया। अनुरोध विचाराधीन था (मार्च 2019)।
- डी०डी०यू०जी०जे०वाई० के तहत निधि की कम प्राप्ति, योजना की खराब भौतिक प्रगति के कारण थी, जैसाकि कंडिका 2.13.2 में उद्धृत है।
- 14,822 ट्रांसफॉर्मरों के अधिष्ठापन के विरुद्ध, केवल 10,388 जले/ दोषपूर्ण ट्रांसफॉर्मर का प्रतिस्थापन योजना के तहत कम खर्च का कारण था, जिसकी चर्चा कंडिका 2.13.11 में की गई।
- एम०वी०एस०एन०वाई० के तहत फंड की कम प्राप्ति, मुख्य रूप से 50 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत संबंध प्रदान करने की योजना के अनुमोदन के विरुद्ध, सर्वेक्षण के उपरांत योजना के कार्यान्वयन के दौरान उसे 15.26 लाख उपभोक्ताओं तक कम कर दिया जाना था। इसके अलावा, भारत सरकार के सौभाग्य योजना के साथ योजना के विलय के कारण दिसंबर 2017 के बाद कोई निधि की प्राप्ति नहीं हुई थी।

आर०जी०जी०वी०वाई० के तहत निधि की कम प्राप्ति से संबंधित अवलोकन को स्वीकार करते हुए, ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि अनुमोदन के लिए आरोड़०सी० को डी०पी०आर० प्रस्तुत किया गया था। ऊर्जा विभाग ने, डी०डी०यू०जी०जे०वाई० की खराब भौतिक प्रगति, जले हुए/ दोषपूर्ण ट्रांसफॉर्मर के प्रतिस्थापन के लिए योजना

³² ग्रामीण विद्युत वितरण आधार एवं ग्रामीण विद्युत अवसंरचना।

³³ डी०डी०यू०जी०जे०वाई०, जले हुए/ खराब ट्रांसफॉर्मरों का प्रतिस्थापन तथा सौभाग्य।

के तहत कम खर्च और एम०वी०एस०एन०वाई० के तहत निधि की कम प्राप्ति पर जवाब नहीं दिया है।

अन्य वित्तीय अनयिमितताएं

आर०ई०सी० द्वारा विमुक्त निधि का असमाशोधन

2.14.5 विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के रूप में, डिस्कॉम द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा हेतु परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आर०ई०सी० से विमुक्त निधियों का नियमित अंतराल पर समाशोधन किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2013 से मार्च 2018 के दौरान आर०ई०सी० से विमुक्त निधि एवं एस०बी०पी०डी०सी०एल० द्वारा प्राप्त निधि के बीच ₹ 82.04 करोड़ का अंतर था। तथापि कम्पनी निधि की कम प्राप्ति के कारण का पता लगाने में विफल रही एवं साथ ही अंतर की राशि के समाशोधन के लिए आर०ई०सी० से संपर्क भी नहीं किया। इसके समाशोधन में कम्पनी के असफल रहने के परिणामस्वरूप, आर०जी०जी०वी०वाई० 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ₹ 82.04 करोड़ की निधि की कमी हुई।

ऊर्जा विभाग ने उत्तर में कहा (मार्च 2019) कि आर०ई०सी० के साथ निधि के समाशोधन को अंतिम रूप दे दिया गया है और डिस्कॉम्स (फरवरी 2019) के द्वारा ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को उसके प्रतिपूर्ति के लिए पत्र भेजा गया है।

बिहार सरकार द्वारा निधि की प्रतिपूर्ति नहीं किया जाना

2.14.6 बिहार सरकार द्वारा, उसको स्वीकृत आर०जी०जी०वी०वाई० ऋण के विरुद्ध, आर०ई०सी० को ₹ 59.89 करोड़ की राशि भुगतेय (फरवरी 2015) थी। ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार ने आर०जी०जी०वी०वाई० के निधि के दावों के विरुद्ध उक्त राशि को समायोजित करने के लिए आर०ई०सी० से अनुरोध (मार्च 2015) किया। तदनुसार, आर०ई०सी० ने अगली किस्त से राशि काट ली (दिसम्बर 2017)। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि राशि काटे जाने के बाद तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है, लेकिन बिहार सरकार से निधि की प्रतिपूर्ति के लिए डिस्कॉम्स ने कोई प्रयास नहीं किया है। विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (मार्च 2019) कि डिस्कॉम्स के द्वारा विभाग को उसकी प्रतिपूर्ति हेतु पत्र भेजा (फरवरी 2019) गया है।

भारत सरकार को योजना निधि पर अर्जित ब्याज का प्रेषण नहीं किया जाना

2.14.7 आर०जी०जी०वी०वाई० के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुप्रयुक्त आर०जी०जी०वी०वाई० निधि पर ब्याज के रूप में अर्जित राशि को वार्षिक आधार पर ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जाना है। इसके अलावा, डी०डी०य०जी०जे०वाई० के दिशा-निर्देशों में दर्शाया गया है कि डी०डी०य०जी०जे०वाई० के तहत पूँजीगत सब्सिडी / अनुदान की राशि पर अर्जित ब्याज तिमाही में कम से कम एक बार ऊर्जा मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में, आर०जी०जी०वी०वाई० 11वीं पंचवर्षीय योजना के चरण II, 12वीं पंचवर्षीय योजना और डी०डी०य०जी०जे०वाई० के तहत अप्रयुक्त निधि पर ₹ 52.75 करोड़ का अर्जित ब्याज ऊर्जा मंत्रालय को प्रेषित नहीं किया गया। इसके अलावा, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मोबिलाइजेशन अग्रिम पर अर्जित ब्याज को भी ऊर्जा मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए था। तथापि, उपरोक्त उल्लिखित योजनाओं के तहत मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ₹ 109.95 करोड़ की अर्जित ब्याज की राशि को भी ऊर्जा मंत्रालय को प्रेषित नहीं किया गया।

अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि ऊर्जा मंत्रालय को ₹ 46.13 करोड़ की राशि प्रेषित नहीं की गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत निधि की कमी के कारण, शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है। यद्यपि, ब्याज की राशि की गणना कर ली गई है एवं उसे आर०ई०सी० से निधि प्राप्ति के उपरांत ऊर्जा मंत्रालय को भेज दी जायेगी।

t gykbZ2013 1 sekpZ
2018 rd vkjObDl 10
1 siMr fuf/k ds
1 ek kslu eavl Qy
jgus ds dlkj .k
₹ 82-04 djkM ds
fuf/k dh deh gbjZ

fMdkH ; kt uk
fuf/k kaij vft Z
C kt ds
₹ 116-57 djkM Hkj r
1 jdlkj dks i fkr
djus e foQy jgk

राज्य और स्थानीय करों की आंशिक प्रतिपूर्ति और दावा नहीं किया जाना

2.14.8 आर0जी0जी0वी0वाई0 और डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 के तहत आर0ई0सी0, बिहार सरकार तथा डिस्कॉम्स के बीच हुए त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार, राज्य और स्थानीय करों को बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान, प्रवेश कर के रूप में आर0जी0जी0वी0वाई0 / डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 निधि से भुगतान की गई राशि के विरुद्ध डिस्कॉम्स ने ₹ 458.70 करोड़ की राशि का दावा किया और बिहार सरकार ने केवल ₹ 94.18 करोड़ की प्रतिपूर्ति की। इस प्रकार, प्रवेश कर के रूप में, ₹ 364.52 करोड़ की राशि बिहार सरकार से अप्राप्त थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स द्वारा बिहार सरकार से प्रवेश कर का दावा करने में एक महीने से 27 महीने तक की देरी हुई थी।
- डिस्कॉम्स ने, वर्ष 2013–17 के अवधि के दौरान, मूल्य वर्द्धित कर (वैट) के रूप में, आर0जी0जी0वी0वाई0 निधि से ₹ 48.56 करोड़ की राशि का भुगतान किया। तथापि, योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, डिस्कॉम्स ने पाँच वर्ष की अवधि के बाद भी, बिहार सरकार से वैट के रूप में भुगतान की गई राशि का दावा नहीं किया था।

अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि दोनों डिस्कॉम्स से संबंधित प्रवेश कर की ₹ 307.50 करोड़ की राशि लंबित थी और यह प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में थी। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि डिस्कॉम, वैट की प्रतिपूर्ति हेतु दावा करने की प्रक्रिया में थी।

भूमि की खरीद में डी0डी0यू0जी0जे0वाई के निधि का विचलन

2.14.9 डी0डी0यू0जी0जे.वाई0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सब-स्टेशन के भूमि की लागत को योजना के तहत शामिल नहीं किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 निधि के विचलन द्वारा पावर सब-स्टेशनों के भूमि की लागत के लिए डिस्कॉम्स ने, दिशा-निर्देशों के उल्लंघन कर ₹ 14.29 करोड़ (सितंबर 2016 से सितंबर 2018) का भुगतान किया।

ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि वह सब-स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है। परियोजना के समय पर निष्पादन के लिए, भूमि की खरीद आवश्यक थी और इसका भुगतान, उपलब्ध निधि से किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सब-स्टेशन की भूमि की लागत योजना के तहत शामिल किये जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा, विभाग द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति अबतक नहीं किया गया (जनवरी 2020) है।

अनुशंसाएँ :

1. डिस्कॉम्स को प्रबंधकीय दक्षता, लाभप्रदता और व्यवहार्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित वितरण हानि के लक्ष्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इस कारण राजकोष पर पड़ने वाले भार को टाला जा सके।
2. डिस्कॉम्स को निधि प्रबंधन से संबंधित योजना के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए, तथा
3. डिस्कॉम्स को समयबद्ध तरीके से संवितरण और निधियों की प्राप्ति में अंतर का समाशोधन करना चाहिए, क्योंकि इसमें कपट/दुर्विनियोजन आसानी से हो सकते हैं।

अनुश्रवण प्रक्रिया

2.15 अनुश्रवण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो उद्देश्यों तक पहुँचने और प्रबंधन निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने में उपयोग की जाती है। डिस्कॉर्स की अनुश्रवण प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियों को देखा गया है:-

राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एस०एल०एस०सी०) और जिला विद्युत समिति (डी०ई०सी०) की बैठक का आयोजन नहीं करना

2.15.1 राज्यस्तरीय स्थायी समिति³⁴ द्वारा आर०जी०जी०वी०वाई० योजना के तहत शामिल किए जाने वाले गावों, बस्तियों, बी०पी०एल० घरों की जिलेवार सूची को जाँच करना एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश करना अपेक्षित था। एस०एल०एस०सी० को योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करना, गुणवत्ता नियंत्रण का प्रयोग करना और स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान करना था। जैसे उप-स्टेशनों के लिए भूमि का आवंटन, मार्ग का अधिकार, वन विभाग से मंजूरी, रेलवे से मंजूरी, सुरक्षा मंजूरी आदि।

इसके अलावा, ऊर्जा मंत्रालय के अनुरोध के अनुसार, बिहार सरकार ने बिहार के प्रत्येक जिले में उस जिले के वरिष्ठतम सांसद की अध्यक्षता में डी०ई०सी०³⁵ के गठन को अधिसूचित (मई 2015) किया। यह भी अधिसूचित किया गया था कि जिला मुख्यालय स्तर पर डी०ई०सी० तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी। डी०डी०य०जी०जे०वाई० के तहत डी०पी०आर० की तैयारी के लिए डी०ई०सी० से परामर्श किया जाना था। डी०ई०सी० को विजली आपूर्ति और उपभोक्ता संतुष्टि की गुणवत्ता की समीक्षा करने और ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी समीक्षा करनी थी। यह सदस्य सचिव (संबंधित डिस्कॉर्स के मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता) की जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक बैठकें होना सुनिश्चित करें और ट्रैमासिक रिपोर्ट नोडल एजेंसी यानि आर०ई०सी० को भेजा जाए।

- लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि एस०एल०एस०सी० की तीन बैठकें (नवंबर 2013, जून 2015 और अगस्त 2018 में), इसके नवम्बर 2013 में गठन के बाद से लेखापरीक्षा की तारीख (नवम्बर 2018) तक की गई। बैठक की कार्यवाही की जाँच से पता चला कि ये बैठकें मुख्य रूप से परियोजनाओं के डी०पी०आर० की सिफारिश करने के लिए आयोजित की गई थीं। अगस्त 2018 की बैठक में चल रही योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

अवलोकन को स्वीकार करते हुए ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि इन तीन बैठकों के अलावा वितरण कंपनियों के पूरे कामकाज का अनुश्रवण मुख्य सचिव स्तर के साथ-साथ ऊर्जा सचिव और अन्य संबंधित सचिवों के साथ जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय कम्पनी के अधिकारियों के साथ मासिक रूप से की जाती है।

- इसी प्रकार, डी०ई०सी० की बैठक वर्ष 2015 में चार जिलों³⁶ में केवल एक बार बुलाई गई थी। उसके बाद कैलेण्डर वर्ष 2016, 2017 और 2018 (सितंबर 2018

³⁴ एस०एल०एस०सी० की स्थापना बिहार सरकार द्वारा नवम्बर 2013 की गई थी। इसमें मुख्य सचिव (अध्यक्ष) तथा ऊर्जा, ग्रामीण विकास, वित्त, पंचायती राज, वन, राजस्व के सचिव तथा आर०ई०सी० के प्रतिनिधि होते हैं।

³⁵ डी०ई०सी० में सम्बन्धित जिले के वरिष्ठतम सांसद अध्यक्ष, जिले के अन्य सांसद (उपाध्यक्ष), जिला समाहर्ता (संयोजक), जिला पंचायत अध्यक्ष (सदस्य), जिले के सभी विधायक (सदस्य), सम्बन्धित जिले में यदि स्थापित हो तो ऊर्जा, कोयला तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के केन्द्रीय सांक्षेपों ज० के वरिष्ठतम प्रतिनिधि (सदस्य) तथा सम्बन्धित डिस्कॉर्स के मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता (सदस्य / सचिव) शामिल हैं।

³⁶ अरवल, भागलपुर, जहानाबाद तथा नालन्दा।

तक) के दौरान कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। इस प्रकार, डिस्कॉम्स डी0ई0सी0 की बैठकें नियमित रूप से होना सुनिश्चित नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप बिजली की आपूर्ति, उपभोक्ता संतुष्टि, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण की गुणवत्ता पर पर्याप्त निगरानी नहीं किया जा सका।

विभाग ने अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा कि जिला विद्युत समिति की बैठकें आयोजित की जा रही है, लेकिन समन्वय के मुद्दों के कारण, यह बैठक नियमित रूप से निर्धारित समयावधि पर आयोजित नहीं की जा सकी।

बिजली की गुणवत्ता

2.15.2 बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित निष्पादन मानक के अध्याय चार की कंडिका 13 के अनुसार, लाईसेंसधारी यह प्रयास करेगा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति हो तथा विद्युत आपूर्ति में कम से कम रुकावटें एवं खराबी हो। बिजली की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, हर फीडर और वितरण ट्रांसफॉर्मर को उच्च गुणवत्ता वाले ऊर्जा मीटर लगाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आपूर्ति की गई बिजली की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए, पांच विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों के 14 पी0एस0एस0³⁷ के अभिलेखों की जाँच-पड़ताल लेखापरीक्षा द्वारा दिसंबर 2018 में की गई, जिसमें यह पता चला कि:

- गर्मी के मौसम में पी0एस0एस0 का औसत ट्रिपिंग/शट डाउन एक महीने (अप्रैल 2018) में प्रतिदिन एक से 20 बार तक हुआ, जबकि ठंड के मौसम (नवंबर 2018) के दौरान एक महीने में यह एक से 13 बार प्रतिदिन थी। एक महीने में पी0एस0एस0 के प्रति ट्रिपिंग/शट डाउन की समय सीमा 27 मिनट से 270 मिनट थी, जबकि ठंड के एक महीने में यह 15 मिनट से 112 मिनट तक की थी। इस प्रकार, डिस्कॉम्स द्वारा उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने का प्रयास उस सीमा तक नहीं किया जा सका।
- डिस्कॉम्स द्वारा उपभोक्ताओं को उचित वोल्टेज प्रदान दिए जाने के संदर्भ में बिजली की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु पी0एस0एस0 और विद्युत वितरण ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज और पावर फैक्टर की निगरानी नहीं की जा रही थी।
- जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक की अवधि के दौरान, जाँच की गई इकाईयों में 5,350 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 3,924 शिकायतें एल0टी0 लाईने/एच0टी0 लाईनों के एक फेज में फ्यूज जलने से संबंधित थी, 607 कम/उच्च वोल्टेज से संबंधित थी और 819 अर्थिंग की खराबी, जम्फर फॉल्ट और पोल पर आग लगने से संबंधित थी। यह दर्शाता है कि पी0एस0एस0 एवं वितरण ट्रांसफॉर्मरों पर भार का अनुश्रवण अपर्याप्त था।
- व्यापक ऊर्जा लेखा प्रणाली का विकास, प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही नुकसान की मात्रा बताने में सक्षम बनाता है और ऊर्जा की लेखापरीक्षा, ऊर्जा का रिसाव, अपव्यय एवं अक्षम उपयोग के क्षेत्रों की पहचान करने का साधन प्रदान करता है। ऊर्जा लेखांकन, लेखापरीक्षा और वितरण हानि की जाँच के लिए वितरण ट्रांसफॉर्मरों पर मीटर स्थापित किया गया था। जाँच किए गए जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण ट्रांसफॉर्मरवार ऊर्जा लेखांकन, लेखापरीक्षा और जाँच नहीं की जा रही थी। इस प्रकार डिस्कॉम्स द्वारा वितरण ट्रांसफॉर्मरवार वास्तविक वितरण हानि का पता नहीं लगाया जा रहा था। इस प्रकार आर0जी0जी0वी0वाई0 के तहत लगाए गए वितरण ट्रांसफॉर्मर मीटरों की स्थापना और उस पर किए गए ₹ 4.09 करोड़³⁸ के व्यय का उद्देश्य निष्फल हो गया था।

³⁷ एस0बी0पी0डी0सी0एल0 में आठ पी0एस0एस0 तथा एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में छ: पी0एस0एस0।

³⁸ कुल स्थापित डी0टी0 मीटर = $9,663 \times ₹ 4,236.83$ प्रति डी0टी0 मीटर = ₹ 4,09,40,488.29

इस प्रकार उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स द्वारा पी0एस0एस0 स्तर और वितरण ट्रांसफॉर्मर स्तर पर बिजली की गुणवत्ता से संबंधित आंकड़ों का अनुश्रवण नहीं किया गया था।

विभाग ने अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2019) कि उपभोक्ता को बिजली की गुणवत्ता के उचित मूल्यांकन के लिए बिहार में पहले से पहचान किए गए 71 शहरों में मीटिंग की व्यवस्था स्थापित की गई, जिसे शेष शहरों और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा रहा है।

एन0क्यू0एम0, आर0क्यू0एम0 और टी0पी0आई0ए0 द्वारा पाए गए दोषों का सुधार नहीं किया जाना

2.15.3 आर0जी0जी0बी0वाई0 योजना में त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र (क्यू0सी0एम0) की परिकल्पना की गई थी, जिसमें टियर-I स्तर पर तृतीय पक्ष जाँच एजेंसी (टी0पी0आई0ए0), टीयर-II स्तर पर आर0ई0सी0 गुणवत्ता निरीक्षण (आर0क्यू0एम0) और टियर-III स्तर पर राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण (एन0क्यू0एम0) शामिल है। गुणवत्ता प्रणाली लागू करने की जिम्मेदारी टियर-I के लिए परियोजना लागू करने वाली एजेंसी (पी0आई0ए0), टियर-II के लिए आर0ई0सी0 और टियर-III के लिए ऊर्जा मंत्रालय के पास है।

अगस्त 2016 से अगस्त 2018 के दौरान एन0क्यू0एम0, आर0क्यू0एम0 और टी0पी0आई0ए0 द्वारा किए गए सभी निरीक्षणों एवं उनके अनुपालन की जाँच से पता चला है कि उपरोक्त एजेंसियों द्वारा दोनों डिस्कॉम्स से संबंधित 10,840 गाँवों में 2,16,812 त्रुटियाँ पायी गई थीं, जिसमें से केवल 71,026 त्रुटियाँ अगस्त 2018 तक सुधार कर दिए गए थे, जो जो कि कुल त्रुटियों का 32.76 प्रतिशत है। कुल अनुपालन एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के संबंध में 24.62 प्रतिशत था, जबकि एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के मामले में यह 41.53 प्रतिशत था।

विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि एन0क्यू0एम0, आर0क्यू0एम0 और टी0पी0आई0ए0 द्वारा पायी गई त्रुटियों के अनुपालन को बहुत गंभीरता से देखा गया था। हालांकि, उत्तर एन0क्यू0एम0, आर0क्यू0एम0 और टी0पी0आई0ए0 के प्रतिवेदन के अनुसार त्रुटियों के लंबित सुधार पर मौन है। डिस्कॉम्स ने जवाब में आगे कहा (फरवरी 2020) कि अवलोकन का अनुपालन³⁹ अभी भी किया जा रहा है।

मूल्य समायोजन बिल प्रस्तुत नहीं करना

2.15.4 डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 योजना के क्रियान्वयन में आर0ई0सी0, बिहार सरकार और डिस्कॉम्स के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, मूल्य समायोजन केबल/कंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर और उपकरणों पर दिया जाएगा। मूल्य घटकों के लिए मूल्य समायोजन राशि कारखाना मूल्य के बीस प्रतिशत (+/- 20 प्रतिशत) की सीमा में होगी। इसके अलावा, संवेदक को लदान/कार्य किये जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर मूल्य समायोजन विपत्र प्रस्तुत करना था, चाहे वो समायोजन सकारात्मक हो या नकारात्मक। लेखापरीक्षा किए गए आठ जिलों के भुगतान संचिकाओं की जाँच से पता चला है कि संवेदकों द्वारा मूल्य समायोजन विपत्र जमा नहीं किए गए थे। डिस्कॉम्स भी अनुबंध की शर्त के अनुसार इन विपत्रों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने में विफल रहा। नतीजतन, मूल्य समायोजन, यदि कोई हो, का आकलन/सत्यापन नहीं किया जा सका।

विभाग ने टिप्पणी को स्वीकार किया और जवाब (मार्च 2019) दिया कि अब एजेंसियाँ मूल्य समायोजन बिल प्रस्तुत कर रही हैं।

³⁹ फरवरी 2020 तक, गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों द्वारा 24,628 गाँवों में कुल 4,07,811 खामियों में से 2,98,763 ठीक कर लिये गये थे।

लाभार्थियों का सर्वेक्षण और संयुक्त निरीक्षण के दौरान पायी गई विसंगतियाँ

2.15.5 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रभावशीलता और दक्षता का पता लगाने के लिए 160 लाभार्थियों जो कि डिस्कॉम्स, जिसमें एस0बी0पी0डी0सी0एल0 और एन0बी0पी0डी0सी0एल0 दोनों ही शामिल हैं, के आठ जिलों के 32 गांवों में चुने गये थे, का संयुक्त निरीक्षण—सह—लाभार्थी सर्वेक्षण (अक्टूबर 2018) लेखापरीक्षा दलों एवं वितरण कंपनियों के अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने इन गांवों में विभिन्न खामियों और कमियों को देखा था, जिसके कारण ऊर्जा की गुणवत्ता बरकरार नहीं रखी गई थी, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- (i) आठ लेखापरीक्षा गाँवों (शेखपुरा जिले के कुटौट, कन्हौली और बिरदावन गाँव, मुजफ्फरपुर जिले के अली नेउरा और प्रसाद गाँव, सीतामढ़ी जिले के बैंगाही और मेहथी गाँव और जहानाबाद जिले के गंधार गाँव) में बिजली के बुनियादी ढांचे पर काम नहीं किया गया था, जबकि ये गाँव आर0जी0जी0वी0वाई0 के तहत सम्मिलित थे।
- (ii) बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था। (42 उपभोक्ताएँ)
- (iii) विद्युत ट्रांसफॉर्मर का तड़ित चालक जला हुआ पाया गया, जो कि बदला नहीं गया था (आठ विद्युत ट्रांसफॉर्मर)
- (iv) विद्युत ट्रांसफॉर्मर का ब्रीदर खुला पाया गया। (16 विद्युत ट्रांसफॉर्मर)
- (v) पोल जमीन के स्तर से ठीक से संरेखित नहीं किया गया/गाड़ा नहीं गया था और झुकी हुई स्थिति में पाया गया। (108 पोल)
- (vi) कुछ कंडक्टरों के संबंध में झुकाव सीमा⁴⁰ से अधिक था। (236 पोल के बीच तारों का झुकाव)
- (vii) एंटी-क्लाइम्बिंग कंटीले तार भी एच0टी0 साईड और एल0टी0 साईड में नहीं पाया गया। (एच0टी0 साईड 102 पोल पर और एल0टी0 साईड 343 पोल पर)

जवाब में विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कमियों को ठीक कर लिया गया है। आगे कहा गया था कि अनुबंध में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत त्रुटि निवारण अवधि के दौरान एजेंसियों द्वारा कमियों को नियमित रूप से सुधारा जाता है।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि संयुक्त निरीक्षण के समय त्रुटियाँ पायी गयी थीं और बाद में लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित किए जाने के आधार पर सुधारा गया।

ग्रामीण विद्युतीकरण की समग्र उपलब्धि

2.16 वर्ष 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स द्वारा बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण आर0जी0जी0वी0वाई0, डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 और एम0भी0एस0एन0वाई0 के तहत किया गया था। डिस्कॉम्स ने यह दावा किया है कि ग्रामीण घरों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण अक्टूबर 2018 तक कर लिया गया है। विभिन्न मापदंडों जैसे कि ग्रामीण घरों और बी0पी0एल0 घरों का कवरेज कुल भार, गुणवत्ता युक्त बिजली आदि की उपलब्धि **परिशिष्ट 2.11** में दर्शायी गई है। योजना के लक्ष्यों/उद्देश्यों की उपलब्धि में पायी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

⁴⁰ निर्धारित झुकाव सीमा : 1000 मीटर पर तीन प्रतिशत।

ग्रामीण घरों की पहचान में अंतर

2.16.1 लेखापरीक्षा द्वारा सौभाग्य डैशबोर्ड पर दिखाए गए ग्रामीण विद्युतीकरण के आंकड़ों की जनगणना 2011 के आंकड़ों के साथ तुलना की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण घरों की संख्या का जिलेवार विवरण और विद्युतीकृत की गई ग्रामीण घरों की संख्या **परिशिष्ट 2.12** में दी गई है। डिस्कॉम्स द्वारा ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण की संक्षिप्त स्थिति तालिका 2.4 में दी गई है :

तालिका 2.4 : अक्टूबर 2018 को ग्रामीण घरों में विद्युतीकरण की स्थिति

क्र0 सं0	डिस्कॉम का नाम	2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण घरों की संख्या	डी0पी0आर0 (आर0जी0जी0वी0वाई0) के अनुसार ग्रामीण घरों की संख्या	सौभाग्य डैशबोर्ड के अनुसार ¹ विद्युतीकृत ग्रामीण घरों की संख्या	2011 की जनगणना के तुलना में वास्तविक विद्युतीकृत ग्रामीण घरों की संख्या का प्रतिशत	डी0पी0आर0 की तुलना में वास्तविक विद्युतीकृत ग्रामीण घरों की संख्या का प्रतिशत
1	एस0बी0पी0डी0सी0एल0	52,22,193	55,97,987	40,20,779	76.99	71.83
2	एन0बी0पी0डी0सी0एल0	1,16,40,747	1,17,38,605	78,86,760	67.75	67.19
	कुल	1,68,62,940	1,73,36,592	1,19,07,539	70.61	68.68

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है:

- हालांकि, डिस्कॉम्स ने ग्रामीण घरों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का दावा किया है लेकिन दोनों डिस्कॉम्स में 2011 की जनगणना एवं डी0पी0आर0 के अनुसार ग्रामीण घरों की तुलना में घरों की विद्युतीकरण (अक्टूबर 2018) की प्रतिशत उपलब्धि क्रमशः 70.61 प्रतिशत और 68.68 प्रतिशत थी।
- इसके अतिरिक्त एस0बी0पी0डी0सी0एल0 में डी0पी0आर0 के लक्ष्य के मुकाबले ग्रामीण घरों में विद्युतीकरण की जिलेवार उपलब्धि 35.90 प्रतिशत (जहानाबाद) से 155.38 प्रतिशत (पटना) के बीच रही, वहीं यह जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण घरों की कुल संख्या का 49.76 प्रतिशत (जहानाबाद) से 102.66 प्रतिशत (नवादा) रहा।
- इसी प्रकार, एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में डी0पी0आर0 के लक्ष्य की तुलना में ग्रामीण घरों में विद्युतीकरण की जिलेवार उपलब्धि 47.55 प्रतिशत (कटिहार) से 126.28 प्रतिशत (किशनगंज) के बीच रही, वहीं यह जनगणना 2011 में ग्रामीण घरों की कुल संख्या की तुलना में 49.47 प्रतिशत (सीतामढ़ी) से 91.52 प्रतिशत (गोपालगंज) के बीच रही।

इस प्रकार डिस्कॉम्स द्वारा सभी ग्रामीण घरों को बिजली प्रदान करने की समग्र उपलब्धि का दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था।

विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि योजनाओं के निष्पादन के दौरान यह पाया गया कि एक ही छत के नीचे रहने वाले अलग—अलग परिवारों के अंतर्गत वर्गीकृत सभी परिवार अलग—अलग विद्युत संबंध लेने के इच्छुक नहीं थे और इस कारण ग्रामीण घरों और दी गई विद्युत संबंधों की संख्या में अंतर है। इसके अलावा दोनों हीं डिस्कॉम्स ने सभी इच्छुक घरों के विद्युत संबंध को ऊर्जान्वित करने के बाद 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का दावा किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डी0पी0आर0 सलाहकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित था, जिसे आर0ई0सी0 द्वारा भी स्वीकार किया गया था। इसके अलावा, डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान किया गया विद्युत संबंध विभाग के प्रत्युत्तर का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि चार जिलों में विद्युत संबंध प्रदान की गई ग्रामीण परिवारों की

वास्तविक संख्या डी०पी०आर० की अनुमानित संख्या से 102 प्रतिशत से 155 प्रतिशत तक थी। आगे, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मुजफ्फरपुर के लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया (जुलाई 2019) कि बी०पी०एल० परिवारों से संबंधित मुजफ्फरपुर जिले में मुशहरी प्रखंड के अंतर्गत माधोपुर के तीन घरों तथा गंगापुर गांव के 25 घरों और कांटी प्रखंड के नारायण भेरियाही के नौ घरों और बंगरा चौपान के पाँच घरों को विद्युत संबंध प्रदान नहीं की गई थी जबकि ये घर पाँच से 10 वर्षों से अस्तित्व में हैं।

लाभार्थियों के अनुमान और पहचान में अंतर

2.16.2 चूंकि गैर-विद्युतीकृत बी०पी०एल० घरों के विद्युतीकरण के लिए 100 प्रतिशत वित्तपोषण पूँजी सब्सिडी के रूप में किया जाना था अतएव ऐसे घरों की पहचान न केवल योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि योग्य लाभार्थियों तक पहुंचने और वित्तीय विवेक बनाए रखने के लिए भी आवश्यक थी। हालांकि, सलाहकारों द्वारा तैयार किए गए डी०पी०आर० के अनुसार बी०पी०एल० घरों के आंकड़ों तथा डिस्कॉम द्वारा शिथिल किए गये बी०पी०एल० विद्युत संबंधों की संख्या में व्यापक भिन्नता थी, जिसे तालिका 2.5 में दर्शाया गया है :

तालिका 2.5 : बी०पी०एल० घरों के विद्युतीकरण की स्थिति

योजना का नाम	डिस्कॉम का नाम	बी०पी०एल० घरों की संख्या			डी०पी०आर० की तुलना में वास्तविक रूप से संपन्न (मार्च 2019)	डी०पी०आर० के तुलना में शिथिल की गई संख्या (प्रतिशत में)
		डी०पी०आर० के अनुसार	शिथिल की गई संख्या	वास्तविक रूप से संपन्न		
आर०जी०जी०वी०वाई० 11वीं पंचवर्षीय योजना फे०ज-II एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना (डी०डी०यू०जी०जे०वाई० में आर०ई० घटक के रूप में शामिल)	एस०बी०पी०डी०सी०एल०	30,83,064	13,28,300	10,47,075	33.96	43.08
	एन०बी०पी०डी०सी०एल०	53,64,312	24,25,661	24,32,777	45.35	45.22
कुल योग		84,47,376	37,53,961	34,79,852	41.19	44.44

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि डी०पी०आर० में दिए गये आंकड़ों की तुलना में वास्तविक ऊर्जान्वित किये गये बी०पी०एल० घरों की संख्या काफी कम थी। हालांकि बी०पी०एल० परिवारों का अनुमान सर्वेक्षण के बाद अधिक सटीक होना चाहिए था, किन्तु सभी 38 परियोजनाओं में शिथिल किये गए विद्युत संबंधों की संख्या और डी०पी०आर० की संख्या के बीच 46.93 लाख से अधिक का अंतर था। इसके अलावा समग्र उपलब्धि निर्धारित तिथि (नवम्बर 2016) से तीन साल की समाप्ति के बाद भी शिथिल की गई मात्रा से 7.30 प्रतिशत कम थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि परिभाषा के अनुसार घर का वर्गीकरण परिवार के सदस्यों के बीच चुल्हा के अलगाव पर निर्भर है, भले ही वे एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हों। इसलिए घरों की कुल संख्या के आंकड़ों को इस परिभाषा के द्वारा निर्देशित किया गया, जबकि, ग्रामीण विद्युतीकरण के डी०डी०यू०जी०जे०वाई० के तहत बी०पी०एल० घरों को विद्युत संबंध जारी करने के दौरान यह पाया गया कि एक ही छत के नीचे रहने वाले अलग-अलग घरों में वर्गीकृत सभी परिवार अलग-अलग विद्युत संबंध लेने के इच्छुक नहीं थे। इसके अलावा दोनों डिस्कॉम्स ने सभी इच्छुक घरों में विद्युत संबंधों के ऊर्जान्वयन के बाद 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का दावा किया था।

विभाग का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि:

- चुल्हा की परिभाषा किसी भी विद्युतीकरण योजना में परिभाषित नहीं की गई है।
- इसके अलावा भारत सरकार के प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पी0एम0यू0वाई0) जिसका उद्देश्य बी0पी0एल0 परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करना है, का उदाहरण मौजूद है। पी0एम0यू0वाई0 जो घरों को एल0पी0जी0 संबंध जारी करने के मामले में समान योजना है, में प्राप्त लाभार्थियों/परिवारों की संख्या 68.25 लाख⁴¹ (फरवरी 2019) थी।
- इसके अलावा बी0ई0आर0सी0 (नवम्बर 2015) को दिए गये प्रस्तुतीकरण में डिस्कॉम्स ने मार्च 2018 तक 54 लाख बी0पी0एल0 घरों को विद्युत संबंध देने का अनुमान लगाया था, जिसके विरुद्ध मार्च 2019 तक बी0पी0एल0 घरों को दिए गए विद्युत संबंधों की वास्तविक संख्या केवल 34.80 लाख थी।

इस प्रकार, बी0पी0एल0 लाभार्थियों के संबंध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में डिस्कॉम्स विफल रहा। इसके अलावा डिस्कॉम्स ने विभिन्न प्राधिकरणों को अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत किये जो इन आँकड़ों की सत्यता के बारे में संदेह पैदा करता है।

फ्रेंचाइजी क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों का कार्यान्वयन नहीं किया जाना

2.16.3 एस0बी0पी0डी0सी0एल0 एवं एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के द्वारा भागलपुर और मुजफ्फरपुर के शहरी एवं आस-पास के क्षेत्रों में बिजली वितरण के लिए फ्रेंचाइजी नियुक्त किये गये थे, जिन्होंने अपने कार्यों की शुरुआत क्रमशः जनवरी 2014 और नवम्बर 2013 में किया था। समझौते में यह निर्धारित किया गया था कि प्रशासनिक और नियामक अनुमोदन के बाद बिहार राज्य विद्युत बोर्ड मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों सहित वितरण फ्रेंचाइजी (डी0एफ0) के क्षेत्र में आर0जी0जी0वी0वाई0 के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य कर सकता है। इसके अलावा, डी0एफ0 समझौते के खंड 5.2.5 के अनुसार भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना के निष्पादन के लिए वितरण लाइसेंसधारी और डी0एफ0 के बीच बैक-टू-बैक व्यवस्था होगी।

अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि आर0ई0सी0 ने भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में डी0एफ0 क्षेत्रों सहित विद्युतीकरण के लिए डी0पी0आर0 की स्वीकृति (जनवरी 2014) दे दी थी। तब भी, बिहार सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति, बिहार विद्युत नियामक आयोग की विनियामक स्वीकृति और बैक-टू-बैक व्यवस्था की अनुपलब्धता के कारण डिस्कॉम्स द्वारा टी0के0सी0 को भागलपुर और मुजफ्फरपुर के डी0एफ0 क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन की अनुमति नहीं दी गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य के प्रशासनिक और विनियामक निकाय की स्वीकृति की शर्त पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बैक-टू-बैक व्यवस्था करने के बजाय डिस्कॉम्स ने आर0ई0सी0 और ऊर्जा मंत्रालय से गलत तरीके से प्रशासनिक स्वीकृति माँगी। परिणामस्वरूप, भागलपुर के डी0एफ0 क्षेत्रों में सात ब्लॉक (700 गाँव, 2,182 बस्तियाँ, 2,00,664 बी0पी0एल0 घरों) और मुजफ्फरपुर के डी0एफ0 क्षेत्रों में आठ ब्लॉक (875 गाँव, 1,498 बस्तियाँ, और 1,63,589 बी0पी0एल0 घरों) में कार्य टी0के0सी0 की नियुक्ति की तारीख से लगभग तीन साल की देरी में शुरू (दिसम्बर 2017) हुआ। इस प्रकार, प्रबंधन की शिथिलता के कारण भागलपुर और

⁴¹ जनगणना 2011 के ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किया गया है अर्थात फरवरी 2019 तक कुल 76.68 लाख लाभार्थी/घरों का (पी0एम0यू0वाई0 के अंतर्गत संबंध) 89 प्रतिशत ग्रामीण तथा 11 प्रतिशत शहरी।

मुजफ्फरपुर क्षेत्र में पूर्ण पैमाने पर विद्युतीकरण के समग्र उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, मार्च 2019 तक कार्य पूरे नहीं हुए।

ऊर्जा विभाग ने कहा (मार्च 2019) की प्रशासनिक और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मुजफ्फरपुर फ्रेंचाइजी के साथ अत्यधिक चर्चा के कारण काम के निष्पादन के लिए बैक-टू-बैक व्यवस्था और अनुबंध को अंतिम रूप देने में समय लगा।

किन्तु तथ्य यह है कि डिस्कॉम्स ने प्रशासनिक और विनियामक अनुमोदन, जिसे जून 2017 में प्रदान किया गया था, को प्राप्त करने में असामान्य समय लिया। इससे न केवल भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिले के डी०एफ० क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति में विलम्ब हुई, बल्कि लाभार्थियों को भी बिजली की सुविधा से वंचित होना पड़ा।

अनुशंसा:

डिस्कॉम्स को सभी घरों (बी०पी०एल० परिवारों सहित) को बिजली की सुविधा प्रदान करने के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

निष्कर्ष

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण का समग्र उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। हालांकि, डिस्कॉम ने 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का दावा किया है परन्तु जनगणना आंकड़ों और डी०पी०आर० के आंकड़ों की तुलना में वास्तविक रूप में ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण क्रमशः 70.61 प्रतिशत से 68.68 प्रतिशत के बीच थी और घरों की कुल संख्या और विद्युतीकृत घरों की संख्या में अंतर था। इसके अलावा, गरीबी रेखा के नीचे के घरों के मामले में भी बिजली प्रदान करने के संबंध में वास्तविक उपलब्धि भी डी०पी०आर० लक्ष्य का 41.19 प्रतिशत थी।

डी०पी०आर० वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर तैयार नहीं किये गये थे। परिणामस्वरूप, डी०पी०आर० में परिकल्पित मात्रा और वास्तविक निष्पादित मात्रा में काफी अधिक अंतर था। आर०जी०जी०वी०वाई० / डी०डी०य०जी०जे०वाई० योजनाओं के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में दोषपूर्ण अनुबंध प्रबंधन, निगरानी की कमी और अक्षम निष्पादन के कारण देरी हुई थी। कार्य का आवंटन भी अयोग्य बोलीकर्त्ताओं को किया गया था।

लंबे समय में, डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता भी जोखिमपूर्ण है क्योंकि पिछले पांच वर्षों के दौरान खर्च किये गये प्रत्येक रूपये पर डिस्कॉम्स की आय निरंतर घट रही थी। डिस्कॉम्स का वित्तीय प्रबंधन भी दोषपूर्ण था क्योंकि डिस्कॉम्स द्वारा असमाशोधन / दावा न करने के कारण विभिन्न योजनाओं में ₹ 512.28 करोड़ की निधि अवरुद्ध थी।

राज्य सरकार/डिस्कॉम के स्तर पर नियंत्रण प्रणाली दोषपूर्ण थी क्योंकि परियोजनाओं की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय स्थायी समिति और जिला विद्युत समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं की जाती थी। तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी, आर०ई०सी० गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं और राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं द्वारा प्रेक्षित किये गये त्रुटियों के सुधार प्रतिवेदन भेजने में डिस्कॉम्स तत्पर नहीं थे और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख संधारित नहीं कर रहे थे।

अध्याय-III

**ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित
अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण**

अध्याय III

3. अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.1 परिहार्य भुगतान के कारण नुकसान

निविदा के माध्यम से संविदा को आवंटित करने में डिस्कॉम्स की विफलता के परिणामस्वरूप उच्च ट्रेडिंग मार्जिन के रूप में ₹12.69 करोड़ का परिहार्य भुगतान।

बिहार वित्त (संशोधित) नियम 2005 (बी०एफ०आर०) का नियम 131 जेड०एल०(ब) निर्धारित करता है कि सभी कार्य और सेवाएँ, जिनका अनुमानित मूल्य ₹ 10 लाख से ऊपर है, निविदा के माध्यम से आवंटित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी०वी०सी०) के दिशा-निर्देश¹ भी निविदा के माध्यम से अनुबंध के आवंटन पर जोर देते हैं ताकि सभी निविदाकारों के साथ पारदर्शिता, निष्पक्षता और समानता का व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके और भ्रष्ट/अनियमित प्रथाओं को दूर किया जा सके।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2017) से पता चला कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी०एस०ई०बी०) की तरफ से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आई०ई०एक्स०) से बिजली की खरीद और बिक्री के लिए, व्यापारिक सदस्य और बी०एस०ई०बी० के बीच एक “सदस्य ग्राहक अनुबंध”² हुआ (अक्टुबर 2012)। इन सेवाओं के लिए व्यापारिक सदस्य का ट्रेडिंग मार्जिन (पैशेवर शुल्क) ऊर्जा की खरीद पर तीन पैसे प्रति किलोवाट घंटा और ऊर्जा की बिक्री पर एक पैसे प्रति किलोवाट घंटा थी। अनुबंध की वैधता एकरारनामे की तारीख से एक वर्ष थी और इसे आपसी सहमति से निर्धारित नियमों और शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता था। व्यापारिक सदस्य अब तक (दिसम्बर 2018), इन दरों पर सेवाएँ उपलब्ध करा रहा था। डिस्कॉम्स³ (एन०बी०पी०डी०सी०एल० और एस०बी०पी०डी०सी०एल०, बी०एस०ई०बी० की उत्तराधिकारी कम्पनियाँ) ने व्यापारिक सदस्य के माध्यम से अगस्त 2015 से दिसम्बर 2018 के बीच 11,532.8 मिलियन यूनिट्स ऊर्जा खरीदा।

लेखा परीक्षा ने पाया कि:

- व्यापारिक सदस्य को नामांकन के आधार पर ऊर्जा की खरीद और बिक्री के लिए अनुबंध दिया गया था (अक्टुबर 2012) यानी बिना निविदा आमंत्रित किये जोकि बी०एफ०आर० और सी०वी०सी० के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था। इसके अलावा, बोली के अभाव में, अनुबंध के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त नहीं की जा सकी थी।

¹ 2006 के एसएलपी (सिविल) संख्या 10174 पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित आदेश संख्या 23/07/07 (जुलाई 2007)।

² सदस्य ग्राहक समझौता एक समझौता है जो व्यापारी एक्सचेंज के सदस्य और ग्राहक के बीच निष्पादित होता है जो कि पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर पावर (बिक्री/खरीद) के व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। यह सदस्य द्वारा पावर एक्सचेंज को ग्राहक की ओर से ॲर्डर स्वीकार करने और रखने की अनुमति देता है।

³ बी०एस०ई०बी० का पुर्णगठन (नवम्बर 2012) पाँच कम्पनियों में किया गया था, यानि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस०बी०पी०डी०सी०एल०) और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन०बी०पी०डी०सी०एल०)।

- यद्यपि प्रबंधन द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से व्यापारियों का चयन करने का निर्णय (नवम्बर 2015) लिया गया था, लेकिन दोनों डिस्कॉम द्वारा प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) और निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, ऐसा नहीं किया जा सका था।
- समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद (अक्टूबर 2013), नयी निविदा आमंत्रित करने के बजाय, डिस्कॉम ने मूल रूप से निष्पादित समझौते की ट्रेडिंग मार्जिन दरों और नियम और शर्तों पर हीं उक्त समझौते की वैधता (अक्टूबर 2017 तक) बढ़ा⁴ दी। अक्टूबर 2017 में समझौते की विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद भी, डिस्कॉम ने अब तक (दिसम्बर 2018 तक) उन्हीं ट्रेडिंग मार्जिन पर व्यापारिक सदस्य की सेवाएँ लेना जारी रखा है।
- लेखा परीक्षा ने आगे पाया कि पड़ोसी राज्य झारखण्ड में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ने ऊर्जा की खरीद और बिक्री के लिए इसी तरह का अनुबंध (जनवरी 2011) उसी व्यापारिक सदस्य के साथ समान ट्रेडिंग मार्जिन दरों, तीन पैसे प्रति किलोवाट घंटा की दर पर बिजली की खरीद और एक पैसे प्रति किलोवाट घंटा की दर पर बिक्री के लिए किया था, जिसे बाद में झारखण्ड के डिस्कॉम⁵ द्वारा क्रमशः 1.9 पैसे प्रति किलोवाट घंटा और 0.9 पैसे प्रति किलोवाट घंटा की दर से पुनरीक्षित किया गया (जुलाई 2015)।

इस प्रकार, निविदा के माध्यम से अनुबंध के आवंटन में डिस्कॉम की विफलता के परिणामस्वरूप अप्रतिस्पर्धी दरों पर एक ही पार्टी के अनुबंध को बी0एफ0आर0 नियमों और सी0बी0सी0 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए विस्तारित किया गया। जिसके कारण झारखण्ड के डिस्कॉम द्वारा भुगतान की गयी ट्रेडिंग मार्जिन दरों की तुलना में व्यापारिक सदस्य को उच्च ट्रेडिंग मार्जिन के रूप में ₹ 12.69 करोड़⁶ (अगस्त 2015 से दिसम्बर 2018) का परिहार्य भुगतान किया गया।

विभाग ने जवाब में कहा (दिसम्बर 2018) कि निविदा नहीं करने का मुख्य कारण डिस्कॉम्स को 30 दिनों के लिए उपलब्ध करायी गयी साख सुविधा थी जो कि कभी-कभी बढ़कर तीन महीने की हो जाती थी। उन्होंने आगे कहा कि सी0ई0आर0सी0 के विनियमनों के अनुसार, यदि बिजली की बिक्री दर ₹ 3/किलोवाट घंटा से कम या बराबर हो तो ट्रेडिंग मार्जिन चार पैसे/किलोवाट घंटा है, और यदि बिजली की बिक्री दर ₹ 3/किलोवाट घंटा से ज्यादा हो तो ट्रेडिंग मार्जिन की दर सात पैसे प्रति किलोवाट घंटा है। जे0बी0वी0एन0एल0, झारखण्ड द्वारा ऊर्जा विनियम से खरीदी जाने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा बिहार के डिस्कॉम से बहुत कम थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि साख सुविधा का प्रावधान अनुबंध का भाग नहीं था, साथ ही प्रबन्धन आर0एफ0पी0 और बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध का विस्तार किया गया। सी0ई0आर0सी0 विनियमनों के द्वारा निर्धारित दरें, ट्रेडिंग मार्जिन की अधिकतम दरें थीं और सी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित दरों के नीचे ट्रेडिंग मार्जिन को तय करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। निविदा के अभाव में, डिस्कॉम ट्रेडिंग मार्जिन की प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने में विफल

⁴ दिनांक 06 जुलाई 2013, 15 दिसम्बर 2015 और 28 अगस्त 2018 को तीन पूरक अनुबंध निष्पादित कर।

⁵ झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के विघटन के बाद झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जे0बी0वी0एन0एल0) का गठन झारखण्ड के डिस्कॉम के रूप में किया गया (जनवरी 2014)।

⁶ 11,532.8 मिलियन यूनिट \times 10,00,000 \times 1.1 (3.0 पैसे – 1.9 पैसे = ₹ 12.69 करोड़; एस0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 7.04 करोड़ एवं एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 5.65 करोड़ (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 और एन0बी0पी0डी0सी0एल0 की गणना 60:40 (अगस्त 2015 से सितम्बर 2015), 58:42 (अक्टूबर 2015 से मार्च 2017) और 54:46 (अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2018) के अनुपात में किया गया है।

रहा। इसके अलावा, झारखण्ड में खरीदी गयी बिजली की मात्रा से निरपेक्ष उपरोक्त दरों पर अनुबंध प्रदान किया गया था और बाद में पुनरीक्षित करके दरों को कम भी किया गया था। लेकिन बिहार के डिस्कॉम प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य भुगतान किया गया।

3.2 विचलन के कारण अतिरिक्त शुल्क का भुगतान

बिजली की मांग का पूर्वानुमान लगाने एवं सी0ई0आर0सी0 विनियमन 2014 के अनुसार बिजली के आहरण को सीमित करने में विफलता के कारण डिस्कॉम्स ने विचलन के लिए ₹ 115.23 करोड़ के अतिरिक्त शुल्क का वहन किया।

वाणिज्यिक तंत्र के माध्यम से ग्रिड अनुशासन और ग्रिड सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी0ई0आर0सी0—विचलन निपटान तंत्र और सम्बन्धित मामले) विनियमन 2014 निर्गत किया (जनवरी 2014)।

विनियमन सात, जो अन्य बातों के साथ यह निर्दिष्ट करता है कि जब ग्रिड की आवृत्ति 49.70 हर्टज और अधिक हो, तो किसी भी क्रेता द्वारा एक समयावधि में बिजली का अधिक आहरण / कम आहरण, अपने निर्धारित आहरण के 12 प्रतिशत या 150 मेगावाट, दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, विनियमन 7 (3) निर्दिष्ट करता है कि किसी समयावधि में निर्धारित सीमा से विचलन कर अधिक बिजली के आहरण के लिए निर्दिष्ट दरों⁷ पर अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

तदोपरांत, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बी0ई0आर0सी0—मल्टी इयर डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ रेगुलेशन, 2015 निर्गत किया (सितम्बर 2015) जिसमें यह स्पष्ट किया गया है {रेगुलेशन 20.2(4)} कि विचलन के कारण उच्च दर पर ऊर्जा खरीदने के कारण वृद्धिशील ऊर्जा खरीद की लागत को आयोग तभी स्वीकृत करेगा जब यह आयोग की संतुष्टि में तर्कसंगत हो। इसके अलावा, विनियमन 20.2(5) यह स्पष्ट करता है कि लाइसेंस धारक के द्वारा अर्थ दंड देने के कारण बिजली खरीद की लागत में हुई वृद्धि की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

डिस्कॉम्स⁸ के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2019) से पता चला कि :—

- डिस्कॉम्स और पूर्व क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र से परामर्श कर एवं शक्ति के सभी स्रोतों यानि केन्द्रीय क्षेत्रों का आवंटन, दीर्घावधि और अल्पावधि ऊर्जा खरीद समझौते, द्विपक्षीय और सामूहिक लेन देने इत्यादि, को समिलित करते हुए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र आने वाले दिन के आधार पर ऊर्जा के आहरण के लिए आहरण अनुसूची तैयार करता है। तदैव, किसी भी तरह के दंड शुल्क के भुगतान से बचने के लिए ऊर्जा का आहरण इस तरह होना चाहिए कि निर्धारित और वास्तविक ऊर्जा आहरण

⁷ शर्त ब : जब आहरण अनुसूची का 12 प्रतिशत 150 मेगावाट से अधिक हो :

i	किसी एक समय खंड में किसी भी खरीदार द्वारा बिजली का आहरण 150 मेगावाट से अधिक और 200 मेगावाट तक होने पर।	समय खंड की औसत ग्रिड आवृत्ति के अनुरूप विचलन के लिए 20 प्रतिशत प्रभार के बराबर।
ii	किसी एक समय खंड में किसी भी खरीदार द्वारा बिजली का आहरण 200 मेगावाट से अधिक और 250 मेगावाट तक होने पर।	समय खंड की औसत ग्रिड आवृत्ति के अनुरूप विचलन के लिए 40 प्रतिशत प्रभार के बराबर।
iii	किसी एक समय खंड में किसी भी खरीदार द्वारा बिजली का आहरण 250 मेगावाट से अधिक होने पर।	समय खंड की औसत ग्रिड आवृत्ति के अनुरूप विचलन के लिए 100 प्रतिशत प्रभार के बराबर।

⁸ नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन०बी०पी०डी०सी०एल०) एवं साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस०बी०पी०डी०सी०एल०)।

के बीच हुए विचलन अनुमत्य सीमा के अन्दर रहे। तथापि, डिस्कॉम्स ऊर्जा का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहा और अप्रैल 2014 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान विद्युत आहरण की निर्धारित सीमा से लगातार अधिक विचलन करता रहा, जिसके फलस्वरूप विचलन के लिए ₹ 115.23 करोड़ (एस०बी०पी०डी०सी०एल० ₹ 66.77⁹ करोड़ और एन०बी०पी०डी०सी०एल० ₹ 48.46¹⁰ करोड़) के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

- इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित विनियमों के अनुसार, बी०ई०आर०सी० ने वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 के टैरिफ दरों (डिस्कॉम्स) के अन्तिमीकरण के दौरान वृद्धिशील ऊर्जा खरीद की लागत पर विचार करते समय, विचलन के कारण अतिरिक्त शुल्क के भुगतान (वर्ष 2014–15 से 2017–18) को अस्वीकृत कर दिया और विचलन के लिए किसी भी अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए निर्धारित सी०ई०आर०सी० नियमों के पालन करने पर जोर दिया।

इस प्रकार, सी०ई०आर०सी० विनियमन 2014 के तहत निर्धारित सीमा के अंदर ऊर्जा आहरण को सीमित रखने में विफलता के कारण, डिस्कॉम्स को विचलन के कारण ₹ 115.23 करोड़ का अतिरिक्त शुल्क वहन करना पड़ा, जिसमें से, बी०ई०आर०सी० ने टैरिफ आदेशों के अन्तिमीकरण के समय, ₹ 84.46 करोड़¹¹ की राशि को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि यह सी०ई०आर०सी० (विचलन, निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियमन, 2014 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऊर्जा आहरण पर भारित किये गये थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 के लिए विचलन के कारण ₹ 30.77 करोड़ के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया गया जिस पर बी०ई०आर०सी० द्वारा विचार किया जाना था।

ऊर्जा विभाग ने जवाब में कहा (अगस्त 2019) कि सभी के लिए 24×7 बिजली, योजना के क्रियान्वयन, उत्पादन इकाई के अवरोधन, गाँवों एवं सूखा प्रभावित जिले में बिजली की आपूर्ति और कानून—व्यवस्था के कारण बिजली की आपूर्ति इत्यादि के कारण बिजली की माँग में वृद्धि हुई थी जिसके कारण निर्धारित आहरण से विचलन हुआ।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब डिस्कॉम्स द्वारा माँग का पूर्वानुमान लगाया जा रहा था तो निर्धारित आहरण से विचलन के कारणों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। इसलिए, किसी भी अतिरिक्त विचलन शुल्क से बचने के लिए, कम आहरण / अधिक आहरण निश्चित रूप से निर्दिष्ट सीमा के अन्दर होनी चाहिए। इसके अलावा, बी०ई०आर०सी० ने 2014–15 से 2017–18 के टैरिफ आदेशों में कहा है कि विचलन के कारण किसी भी अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए, कम आहरण / अधिक आहरण निश्चित रूप से विनिर्दिष्ट सीमा के अन्दर होनी चाहिए। यद्यपि, डिस्कॉम ऐसा सुनिश्चित करने में विफल रहा।

⁹ एस०बी०पी०डी०सी०एल० : 2014–15 – ₹ 25.07 करोड़ का 58 प्रतिशत, 2015–16 – ₹ 19.87 करोड़ का 58 प्रतिशत, 2016–17 – ₹ 21.43 करोड़ का 58.11 प्रतिशत, 2017–18 एवं 2018–19 – ₹ 48.86 करोड़ (₹ 18.09 करोड़ + ₹ 30.77 करोड़) का 57.82 प्रतिशत।

¹⁰ एन०बी०पी०डी०सी०एल० : 2014–15 – ₹ 25.07 करोड़ का 42 प्रतिशत, 2015–16 – ₹ 19.87 करोड़ का 42 प्रतिशत, 2016–17 – ₹ 21.43 करोड़ का 41.89 प्रतिशत, 2017–18 एवं 2018–19 – ₹ 48.86 करोड़ (₹ 18.09 करोड़ + ₹ 30.77 करोड़) का 42.18 प्रतिशत।

¹¹ 2014-15: ₹ 25.07 करोड़, 2015-16: ₹ 19.87 करोड़, 2016-17: ₹ 21.43 करोड़, 2017-18: ₹ 18.09 करोड़।

भाग-II

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

अध्याय-IV

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप

अध्याय IV

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप

परिचय

4.1 31 मार्च 2018 को बिहार में, 70 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा०क्षे०उ०) थे, जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। ये राज्य सा०क्षे०उ० 1953–54 से 2017–18 के मध्य निगमित हुए थे एवं इनमें 67 सरकारी कम्पनियाँ तथा तीन सांविधिक निगमें अर्थात् बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार राज्य भण्डारण निगम तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम सम्मिलित थे। 2017–18¹ तक छः सरकारी कम्पनियों ने वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन प्रारंभ नहीं किया था। इन सरकारी कम्पनियों में अग्रेतर 44 अकार्यशील कम्पनियों तथा अन्य सरकारी कम्पनियों के स्वामित्व वाली 25 अनुषंगी कम्पनियाँ² सम्मिलित हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान पांच³ नई कम्पनियां शामिल हुईं।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सा०क्षे०उ० की प्रकृति तालिका 4.1 में दर्शाई गई है:

तालिका 4.1 : बिहार में सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की प्रकृति

सा०क्षे०उ० की प्रकृति	कुल संख्या	बिहार में सा०क्षे०उ० की संख्या				सा०क्षे०उ० की संख्या जिन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया
		2017–18 हेतु लेखे	2016–17 हेतु लेखे	2015–16 हेतु लेखे	कुल	
सरकारी कम्पनियां	64	0	4	5	9	55
सांविधिक निगमें	3	1	0	0	1	2
कुल कम्पनियाँ/निगमें	67	1	4	5	10	57
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां	3	-	-	-	-	3
कुल	70	1	4	5	10	60

इस प्रतिवेदन में 10 सा०क्षे०उ० के वित्तीय प्रदर्शन को शामिल किया गया है, जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है। इसमें 60 सा०क्षे०उ० शामिल नहीं हैं, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया में थे या मृतप्राय/परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे जैसा कि **परिशिष्ट 4.2** में वर्णित है।

राज्य सरकार, राज्य सा०क्षे०उ० को समय—समय पर अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार ने 25 कम्पनियों जो उपरोक्त राज्य सा०क्षे०उ० की सहायक कम्पनियों हैं, में कुछ भी निवेश नहीं किया था। इन 25 सहायक कम्पनियों में अंश पूँजी इनकी संबंधित साझीदार/होलिंग कम्पनियों द्वारा निवेश किया गया था।

¹ स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगोल; स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डेहरी; स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा; स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद; स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनियाँ तथा स्काडा एग्रो फारेस्टरी कंपनी लिमिटेड, खगोल।

² **परिशिष्ट 4.2** के क्र० स० ब 7, ब 8, ब 9, ब 10, ब 11, ब 12, ब 13, ब 19, ब 20, ब 21, ब 22, ब 23, ब 25, ब 27, ब 28, ब 31, ब 32, ब 33, ब 34, ब 35, ब 36, ब 37, ब 38, सी 1 तथा सी 2.

³ बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार स्टेट एजुकेशन फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

4.2 इस प्रतिवेदन में शामिल 10 साठें०उ० के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में साठें०उ० की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले चार वर्षों की अवधि के लिए राज्य साठें०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं बिहार राज्य के जी०एस०डी०पी० का विवरण नीचे दिए गए तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.2 : राज्य साठें०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं बिहार के जी०एस०डी०पी० का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	5,138.63	5,763.49	5,736.43	5,735.58
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	-	12.16	-0.47	-0.01
बिहार का जी०एस०डी०पी०	3,42,951.00	3,69,469.00	4,25,888.00	4,87,628.00
जी०एस०डी०पी० में पिछले वर्ष के जी०एस०डी०पी० की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	-	7.73	15.27	14.50
टर्नओवर का बिहार के जी०एस०डी०पी० से प्रतिशतता	1.50	1.56	1.35	1.18

स्रोत : बिहार सरकार के 2017–18 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार जी०एस०डी०पी० आंकड़ों तथा साठें०उ० (ऊर्जा के अतिरिक्त) के टर्नओवर आंकड़ों के आधार पर संकलित।

इन 10 साठें०उ० का टर्नओवर 2014–15 में ₹ 5,138.63 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 5,735.58 करोड़ हो गया। 2015–16 से 2017–18 की अवधि में टर्नओवर की वृद्धि दर 12.16 प्रतिशत से (-) 0.47 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में राज्य की जी०एस०डी०पी० 7.73 प्रतिशत से 15.27 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले तीन वर्षों के दौरान जी०एस०डी०पी० की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर⁴ 12.45 प्रतिशत रही। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जी०एस०डी०पी० के 12.45 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त साठें०उ० ने 3.73 प्रतिशत का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का टर्नओवर दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप जी०एस०डी०पी० में इन साठें०उ० के टर्नओवर की हिस्सेदारी आंशिक रूप से 2014–15 में 1.50 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में 1.18 प्रतिशत हो गई।

राज्य साठें०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

4.3 इस प्रतिवेदन में शामिल 10 साठें०उ०⁵ के अंश पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में 31 मार्च 2018 तक की निवेश की स्थिति **परिशिष्ट 4.3** में विस्तृत है।

इस प्रतिवेदन में शामिल साठें०उ० निम्न तीन श्रेणियों में आते हैं:-

- साठें०उ० जो खुली बाजार प्रतिस्पर्धा में नहीं थे (एकाधिकार साठें०उ०): बिहार में, 10 साठें०उ० में से दो साठें०उ० इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके संचालन करने की प्रकृति एकाधिकार/अल्पाधिकार की थी अर्थात् उनके संचालन में किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है या बहुत सीमित प्रतिस्पर्धा है।

⁴ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर = $\left[\left\{ (2017-18 \text{ का मूल्य} / 2014-15 \text{ का मूल्य})^{(1/3 \text{ वर्ष})} \right\} - 1 \right] \times 100$ ।

⁵ कुल 70 साठें०उ० – 60 साठें०उ० जिनके लेखे तीन वर्षों या अधिक से बकाया में थे या मृतप्राय/परिसमाप्त के अधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।

2. सुनिश्चित आय वाले साठेंद्रोउँ: इस श्रेणी में वैसे साठेंद्रोउँ आते हैं जिनके आय का मुख्य हिस्सा सुनिश्चित स्रोतों यथा सरकारी अनुदानों/सब्सिडियों, सेंट्रेज, कमीशन, बैंक जमा पर व्याज इत्यादि से आते हैं। इस श्रेणी में पांच साठेंद्रोउँ आते हैं।
3. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में साठेंद्रोउँ: इस श्रेणी में तीन साठेंद्रोउँ आते हैं, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा में हैं।

4.4 31 मार्च 2018 को इन राज्य साठेंद्रोउँ में निवेश का क्षेत्र-वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 4.3 : राज्य साठेंद्रोउँ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र	साठेंद्रोउँ की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)								
		अंश पूँजी			कुल	दीर्घावधि ऋण			कुल	
		बिहार सरकार	भारत सरकार	अन्य ⁶ सरकार		बिहार सरकार	भारत सरकार	अन्य		
एकाधिकार क्षेत्र के साठेंद्रोउँ	2	5.34	0.00	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
सुनिश्चित आय वाले साठेंद्रोउँ	5	53.50	0.00	0.00	53.50	0.00	0.00	43.00	43.00	96.50
प्रतिस्पर्धी माहौल वाले साठेंद्रोउँ	3	48.59	0.00	37.89	86.48	259.95	0.00	4.63	264.58	351.06
इस प्रतिवेदन में शामिल कुल साठेंद्रोउँ	10	107.43	0.00	37.89	145.32	259.95	0.00	47.63	307.58	452.90
कुल साठेंद्रोउँ जो इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं	60	376.40	28.28	34.49	439.17	3,613.60	2.50	214.48	3,830.58	4,269.75
कुल	70	483.83	28.28	72.38	584.49	3,873.55	2.50	262.11	4,138.16	4,722.65

स्रोत : साठेंद्रोउँ के वार्षिक लेखों तथा साठेंद्रोउँ द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2018 तक, इस प्रतिवेदन में शामिल 10 साठेंद्रोउँ के कुल निवेश (अंश पूँजी तथा दीर्घावधि ऋण) का अंकित मूल्य⁷ ₹ 452.90 करोड़ था। कुल निवेश का 32.09 प्रतिशत अंश पूँजी के रूप में तथा 67.91 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रूप में था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋणों का 84.51 प्रतिशत (₹ 259.95 करोड़) था।

राज्य साठेंद्रोउँ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

4.5 2017–18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा राज्य साठेंद्रोउँ में कोई भी विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण नहीं किया गया।

राज्य साठेंद्रोउँ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

4.6 बिहार सरकार द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य साठेंद्रोउँ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य साठेंद्रोउँ को अंश पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं अंश पूँजी में परिवर्तित ऋणों से संबंधित बजटीय निर्गमन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

⁶ इसमें होल्डिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि द्वारा निवेश सम्मिलित है।

⁷ अभिदाताओं द्वारा चुकायी गयी अंश पूँजी की मूल लागत।

तालिका 4.4 : वर्षों के दौरान राज्य सांक्षेतिक (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को दिए गए बजटीय सहायता का विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण ⁸	2015-16		2016-17		2017-18	
	सांक्षेतिक की संख्या	राशि	सांक्षेतिक की संख्या	राशि	सांक्षेतिक की संख्या	राशि
अंश पूँजी का बहिर्गमन (i)	2	7.00	2	1.11	5	29.65
दिए गए ऋण (ii)	5	327.59	1	1.34	-	-
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	5	662.31	6	1,018.67	4	789.79
कुल बहिर्गमन (i+ii+iii)	5⁹	996.90	7	1,021.12	9	819.44
अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
ऋणों का अंश पूँजी में परिवर्तन	-	-	1	19.34	-	-
बकाया गारंटियां	2	2,043.00	3	86.15	4	1,018.24
गारंटी प्रतिबद्धता	4	3,548.50	3	2,055.00	4	4,633.00

स्रोत : सांक्षेतिक से प्राप्त जानकारी तथा सांक्षेतिक के वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी स्वरूप बजटीय निर्गमन का विवरण नीचे आरेख में दिया गया है:

आरेख 4.1 : पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी स्वरूप बजटीय निर्गमन



2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान इन सांक्षेतिकों को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 819.44 करोड़ से ₹ 1,021.12 करोड़ के मध्य रही। सांक्षेतिकों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार गारंटी देती है, जिसके लिए गारंटी शुल्क भारित की जाती है। बिहार सरकार के संकल्प संख्या 7498 दिनांक 05 जुलाई 1974 के अनुसार, अगर गारंटी की रकम ₹ 10 लाख से ज्यादा हो तो सांक्षेतिकों को गारंटी, राशि का 1/8 प्रतिशत वार्षिक गारंटी शुल्क देना होता है। 31 मार्च 2018 तक चार कार्यरत सांक्षेतिकों थे, जिनके विरुद्ध संग्रहित/बकाया गारंटी ₹ 1,018.24 करोड़ थी। यद्यपि सांक्षेतिकों द्वारा गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।

⁸ राशि केवल राज्य बजट से निर्गमन दर्शाती है।

⁹ यह आंकड़े सांक्षेतिकों की संख्या दर्शाती है, जिन्होंने बजट से एक या अन्य मदों यथा पूँजी, ऋणों और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त किया।

बिहार के वित्त लेखे के साथ समाशोधन

4.7 अंश पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में सारे राज्य साठें०७० के अभिलेखों के आंकड़े बिहार सरकार के वित्त लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। आंकड़ों का मेल नहीं होने की स्थिति में संबंधित साठें०७० तथा वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2018 तक की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.5 : बिहार सरकार के वित्त लेखे एवं राज्य साठें०७० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियां

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध में बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	साठें०७० के अभिलेखे के अनुसार राशि	अंतर
अंश पूँजी	722.36	483.83	238.53
ऋण	2,784.24	3,873.55	-1,089.31
गारंटियां	1,127.26	1,018.24	109.02

स्रोत : साठें०७० एवं वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 70 राज्य साठें०७० में से 51 साठें०७० में इस तरह का अंतर था, जिसे **परिशिष्ट 4.4** में दर्शाया गया है। आंकड़ों में अंतर पिछले कई वर्षों से जारी है। अंतर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को साठें०७० एवं विभागों के समक्ष समय—समय पर उठाया गया। मुख्य रूप से शेषों में अंतर बिहार राज्य वित्तीय निगम में पाया गया। अतः, लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार एवं संबंधित साठें०७० को अंतर का समयबद्ध तरीके से समाशोधन कर लेना चाहिए।

राज्य साठें०७० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

4.8 31 मार्च 2018 को सी०ए०जी० के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 70 राज्य साठें०७० में से 26 कार्यशील साठें०७० थे अर्थात् 23 सरकारी कम्पनियां तथा तीन सांविधिक निगमें और 44 अकार्यशील साठें०७० आती थीं। राज्य के कार्यशील साठें०७० द्वारा लेखाओं को तैयार करने में निर्धारित समय अवधि के पालन की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

राज्य साठें०७० द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

4.8.1 वर्ष 2017–18 के लिए सभी साठें०७० द्वारा 30 सितम्बर 2018 तक लेखे अंतिमीकरण किए जाने थे। यद्यपि, 67 सरकारी कम्पनियों (23 कार्यशील कम्पनियां तथा 44 अकार्यशील कम्पनियों) में से किसी भी सरकारी कम्पनी द्वारा 31 दिसम्बर 2018 तक या उससे पहले वर्ष 2017–18 के लेखे सी०ए०जी० के समक्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए थे। पुनः, तीन सांविधिक निगमों (सभी कार्यशील) में से केवल एक सांविधिक निगम¹⁰ द्वारा वर्ष 2017–18 के लेखे 31 दिसम्बर 2018 के पूर्व लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया था।

¹⁰ बिहार राज्य वित्तीय निगम।

31 दिसम्बर 2018 तक¹¹ सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण का विवरण नीचे दर्शाया गया हैः—

तालिका 4.6 : राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण करने की स्थिति

विवरण	सरकारी कंपनियां / सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियां / सांविधिक निगमें			
	सरकारी कंपनियां	सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियां	सांविधिक निगमें	कुल
31.03.2018 को सी०ए०जी० के लेखापरीक्षा परिधि के अंतर्गत आने वाले सा०क्षे०उ० की कुल संख्या	64	03	03	70
घटाएँ : नए सा०क्षे०उ० जिनके लेखे 2017–18 के लिए बकाया नहीं थे	02	02	-	04
सा०क्षे०उ० की संख्या जिनके लेखे 2017–18 के लिए बकाया थे	62	01	03	66
31 दिसम्बर 2018 तक 2017–18 के लेखे सी०ए०जी० को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करने वाले सा०क्षे०उ० की संख्या	-	-	01	01
31 दिसम्बर 2018 तक बकाए लेखाओं वाले सा०क्षे०उ० की संख्या	62	01	02	65
बकाया लेखाओं की संख्या	1,268	02	17	1,287
लेखाओं का विश्लेषण	(i) परिस्मापन के अंतर्गत	108	-	-
	(ii) अकार्यशील	1,056	-	-
	(iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए	-	01	-
	(iv) अन्य	104	01	17
अन्य श्रेणी के विरुद्ध लेखाओं की अवधिवार विश्लेषण	एक वर्ष (2017-18)	03	01	-
	दो वर्षों (2016-17 एवं 2017-18)	10	-	-
	तीन वर्ष या अधिक	91	-	17
				108

इन सा०क्षे०उ० की गतिविधियों की निगरानी एवं इन सा०क्षे०उ० द्वारा लेखाओं को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिए जाने एवं इन सा०क्षे०उ० द्वारा अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासी विभागों पर है। संबंधित विभागों को बकाया लेखाओं के संबंध में निरंतर सूचित किया गया था।

बिहार सरकार ने ₹ 4,533.08 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 71.97 करोड़, ऋण : ₹ 2,488.63 करोड़, पूँजी अनुदान : ₹ 355.37 करोड़, सब्सिडी : ₹ 1,617.11 करोड़) का निवेश 21 सा०क्षे०उ० में किया था, जिनके लेखे 31 दिसम्बर 2018 तक बकाया में थे, जबकि शेष 48 सा०क्षे०उ० में जिन अवधियों के लेखे बकाए में थे, कोई निवेश नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा इन वर्षों के दौरान किए गए निवेश का सा०क्षे०उ० वार विवरण **परिशिष्ट 4.5** में दिया गया है, जबकि लेखे बकाए में थे।

लेखाओं के अंतिमीकरण एवं उपर्युक्त 69 सा०क्षे०उ० के अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेश और व्यय सही रूप से लेखांकित किए गए हैं तथा राशि का इस्तेमाल उन्हीं कार्यों के लिए हुआ है, जिनके लिए राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया था।

¹¹ वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के प्राप्त लेखे 31 दिसम्बर तक लिए गए।

राज्य सांक्षेतिक (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के अंतिमीकरण न होने के प्रभाव

4.9 लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब के कारण संबंधित कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के रिसाव का खतरा हो सकता है। लेखाओं के बकाया के उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए राज्य सांक्षेतिक (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का वास्तविक योगदान तथा वर्ष 2017–18 के दौरान अर्जित लाभ—हानि के वास्तविक योगदान सहित उनकी लाभप्रदता का पता नहीं लगाया जा सका है तथा राजकोष में उनके योगदान के बारे में राज्य विधानमंडल को प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशासी विभाग निगरानी रखते हुए लेखाओं के बकाये के निपटारे हेतु जरूरी निर्देश जारी करे। सरकार को कम्पनियां द्वारा लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए तथा बकाए लेखाओं की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

अकार्यशील राज्य सांक्षेतिक का समापन

4.10 31 मार्च 2018 तक 44 राज्य सांक्षेतिक अकार्यशील थी, जिनमें पूँजी (₹ 184.79 करोड़) तथा दीर्घावधि ऋण (₹ 572.69 करोड़) के रूप में कुल निवेश ₹ 757.48 करोड़ था, जो मुख्यतः बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 342.95 करोड़), बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ 80.58 करोड़), बिहार स्टेट वाटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 59.68 करोड़) में थे। 31 मार्च 2018 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अंत में अकार्यशील सांक्षेतिक की संख्या नीचे दी गई है:—

तालिका 4.7 : अकार्यशील राज्य सांक्षेतिक

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
अकार्यशील सांक्षेतिक की संख्या	40	44	44
इनमें से, सांक्षेतिक की संख्या जो समापन की प्रक्रिया में थे	5	5	5

स्रोत : संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सांक्षेतिक), बिहार सरकार तथा परिशिष्ट-2 से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

39 अकार्यशील सांक्षेतिक¹² के समापन के संबंध में, सरकार उचित निर्णय ले सकती है।

सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

4.11 तीन सांविधिक निगमों में से एक निगम (बिहार राज्य वित्तीय निगम) ने 2017–18 के लेखे 31 दिसम्बर 2018 तक अग्रेषित किए थे।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस0ए0आर0), सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सी0ए0जी0 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते हैं। सांविधिक निगमों की वार्षिक लेखाओं की स्थिति एवं उनके एस0ए0आर0 के विधानमंडल के पटल पर रखे जाने की स्थिति नीचे तालिका में वर्णित की जा रही है:

¹² 44 अकार्यशील सांक्षेतिक में से पांच सांक्षेतिक समापन की प्रक्रिया में थे।

तालिका 4.8 : सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पटल पर रखे जाने की स्थिति

क्र. सं.	निगम का नाम	लेखाओं के वर्ष जब तक के एस0ए0आर0 राज्य विधानमंडल के पटल पर रखे गए	एस0ए0आर0 के पटल पर रखे जाने की तिथि	वर्ष जब तक के एस0ए0आर0 विधानमंडल के पटल पर नहीं रखे गए	लेखाओं के वर्ष सरकार को निर्गत करने की तिथि
				लेखाओं के वर्ष	
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2014-15	29.03.2016	2015-16	16 दिसम्बर 2016
2.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2010-11	26.07.2018	2011-12	08 अगस्त 2019
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ¹³	-	-	1974-75 से 2005-06 (32) विवरण निम्नवत् है 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06	26 दिसम्बर 2007 25 जनवरी 2010 20 मई 2014 10 फरवरी 2015 29 सितंबर 2015

स्रोत : बिहार विधानमंडल सचिवालय द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर संकलित।

राज्य सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

4.12 इस प्रतिवेदन में शामिल 10 राज्य सा0क्षे0उ0 के 31 दिसम्बर 2018 तक अद्यतन, अंतिमीकृत लेखाओं¹⁴ के अनुसार वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम परिशिष्ट 4.3 में दिए गए हैं।

सरकार द्वारा उपक्रमों में किए गए निवेश पर सा0क्षे0उ0 द्वारा उचित प्रतिफल प्राप्त करना अपेक्षित है। राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश ₹ 452.90 करोड़ था, जिसमें अंश पूँजी ₹ 145.32 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण ₹ 307.58 करोड़ शामिल थे। इनमें से, बिहार सरकार का 10 सा0क्षे0उ0 में ₹ 367.38 करोड़ का निवेश था, जिसमें अंश पूँजी के ₹ 107.43 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण के ₹ 259.95 करोड़ शामिल थे।

इस प्रतिवेदन में शामिल सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान बिहार सरकार के निवेश का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

आरेख 4.2 : बिहार सरकार का सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में कुल निवेश



¹³ वर्ष 1974-75 से 2005-06 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल में उपस्थापित नहीं किए गए हैं।


¹⁴ अद्यतन अंतिमीकृत आंकड़े वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के थे।

कंपनी की लाभदायकता को पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0), अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0) तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0सी0ई0) से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि से अंश पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। अंश पूँजी पर प्रतिफल प्रदर्शन मापने का एक तरीका है, जिसकी गणना कर के पश्चात शुद्ध लाभ को अंशधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है, जो कि कंपनी की लाभप्रदता एवं उस दक्षता को मापता है, जिसके साथ उसकी पूँजी का उपयोग किया जाता है एवं इसकी गणना एक कंपनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

4.13 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश का प्रतिशत है। 2015–16 से 2017–18 के दौरान 10 राज्य साठें०उ० द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानियों¹⁵ की समग्र स्थिति को नीचे आरेख में दर्शाया गया है:

आरेख 4.3 : वर्षों के दौरान साठें०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि



4.13.1 2017–18 में लाभ अर्जित करने वाले साठें०उ० की संख्या सात थी। लाभ अर्जन 2015–16 में ₹ 242.94 करोड़ से घटकर 2017–18 में ₹ 177.43 करोड़ हो गई। सभी 10 साठें०उ०, हानि वहन करने वाले सहित, में पूँजी पर प्रतिफल 2015–16 में 29.88 प्रतिशत थी, जो घटकर 2017–18 में 22.41 प्रतिशत हो गयी थी। 2017–18 के दौरान साठें०उ० के क्षेत्रवार लाभ का विवरण तालिका 4.9 में संक्षेप में दिया गया है:

तालिका 4.9 : साठें०उ० की क्षेत्रवार लाभप्रदता

क्षेत्र	लाभ अर्जित/हानि वहन करने वाले साठें०उ० की संख्या	कर के बाद लाभ (₹ करोड़ में)	कर के बाद लाभ से कुल लाभ की प्रतिशतता
एकाधिकार क्षेत्र में साठें०उ०	2	14.05	7.92
सुनिश्चित आय वाले साठें०उ०	5	210.10	92.08
प्रतिस्पर्धी माहौल वाले साठें०उ०	3	-46.72	-
कुल	10	177.43	-

स्रोत : साठें०उ० के अद्यतन अंतिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 10 साठें०उ० में से सात साठें०उ० ने लाभ अर्जित किया (₹ 224.15 करोड़), उनमें से सभी को या तो एकाधिकार क्षेत्र

¹⁵ संबंधित वर्षों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार आंकड़े।

में होने का लाभ मिल रहा था या बजटीय सहायता, सैंटेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि से सुनिश्चित आय प्राप्त हो रही थी। अग्रेतर, प्रतिस्पर्धी माहौल वाले सभी तीन सालों ने 2017–18 के दौरान कुल ₹ 46.72 करोड़ की हानि बहन की।

अतः लेखापरीक्षा की दृष्टि में इन सालों की आत्म निर्भरता संदिग्ध है।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

4.14 उन 10 सालों जिनमें राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया, में निवेश की तुलना में आय का विश्लेषण किया गया, ताकि इन सालों की लाभदायकता की गणना की जा सके। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। अतः निवेश पर प्रतिफल की गणना मुद्रा के वर्तमान मूल्य (पीभी०) को ध्यान में रखकर की गई है, ताकि बिहार सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल का पता लगाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा निवेश के पीभी० की गणना की गई है जहाँ, राज्य सरकार द्वारा 2000–01 से शुरू हो कर 31 मार्च 2018 तक अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/डिफॉल्ट ऋण तथा पूँजी अनुदान के रूप में निवेश किया गया है। 2000–01 से 2017–18 की अवधि के दौरान, इन सालों ने वर्ष 2005–06 से 2017–18 के दौरान निवेश पर धनात्मक प्रतिफल दिया। अतः इन वर्षों के लिए पूँजी पर प्रतिफल की गणना पीभी० के आधार की गई और दर्शाई गई।

राज्य सरकार द्वारा इन सालों में निवेश पर वर्तमान मूल्य (पीभी०) की गणना निम्न धारणाओं से की गई है:

- राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण को धन का निवेश माना गया है। हालांकि, सालों द्वारा सालों ऋण के पुनर्भुगतान किए जाने के मामले में ऋण के घटे हुए शेष पर गणना की गई। पूँजी अनुदान के अलावा, अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिए गए धन को निवेश नहीं माना गया है, क्योंकि ये निवेश मानने योग्य नहीं हैं।
- संबंधित वित्तीय वर्ष¹⁶ के लिए राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना हेतु सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की औसत दर को डिस्काउंट दर के रूप में अपनाया गया है, क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किए धन पर सरकार द्वारा बहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाया जा सकता है।

4.15 इन 10 राज्य सालों में 2000–01 से 2017–18 तक की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/डिफॉल्ट ऋण तथा पूँजी अनुदान के रूप में धन के निवेश की सालोंवार स्थिति परिशिष्ट 4.6 में दर्शाई गई है। आगे, इन सालों में समान अवधि के लिए राज्य सरकार के निवेश की एन०पी०भी० की समेकित स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

¹⁶ सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (बिहार सरकार) पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से ली गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100.

**तालिका 4.10 : 2000–01 से 2017–18 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई राशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पी0भी0) का वर्षवार ब्यौरा
(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त/ डिफाल्ट ऋण तथा अनुदान पूँजी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल अर्जित आय ¹⁷
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii=vii* (1+ vi/100)	ix=vii*vi/100	x
2000-01 तक	0.00	52.09	12.75	64.84	11.41	64.84	72.24	7.40	-6.12
2001-02	72.24	0.00	0.00	0.00	9.00	72.24	78.74	6.50	-81.30
2002-03	78.74	0.00	83.94	83.94	7.20	162.68	174.39	11.71	-48.08
2003-04	174.39	0.00	12.18	12.18	6.14	186.57	198.03	11.46	-13.14
2004-05	198.03	0.00	41.59	41.59	9.59	239.62	262.60	22.98	-7.47
2005-06	262.60	0.00	7.97	7.97	8.20	270.57	292.75	22.19	15.40
2006-07	292.75	5.00	71.00	76.00	7.15	368.75	395.12	26.37	32.62
2007-08	395.12	0.00	0.00	0.00	7.15	395.12	423.37	28.25	70.48
2008-09	423.37	5.00	29.99	34.99	7.93	458.36	494.71	36.35	41.38
2009-10	494.71	25.00	0.00	25.00	6.48	519.71	553.39	33.68	22.49
2010-11	553.39	20.00	0.18	20.18	6.87	573.57	612.97	39.40	140.59
2011-12	612.97	0.00	0.00	0.00	6.35	612.97	651.89	38.92	176.61
2012-13	651.89	0.00	0.00	0.00	5.79	651.89	689.64	37.74	123.91
2013-14	689.64	0.34	0.00	0.34	6.68	689.98	736.07	46.09	130.16
2014-15	736.07	0.00	0.00	0.00	6.59	736.07	784.58	48.51	246.89
2015-16	784.58	0.00	0.37	0.37	6.58	784.95	836.60	51.65	242.94
2016-17	836.60	0.00	0.17	0.17	6.42	836.77	890.49	53.72	207.04
2017-18	890.49	0.00	0.00	0.00	6.13	890.49	945.07	54.59	177.43
कुल	945.07	107.43	260.14	367.57					

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में इन साहस्रों रुपयों में निवेशित धन राशि का अधिशेष 2000–01 में ₹ 64.84 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 367.57 करोड़ हो गया था, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 2000–01 से 2017–18 की अवधि के दौरान अंश पूँजी (₹ 55.34 करोड़) तथा ऋण/पूँजी अनुदान (₹ 247.39 करोड़) के रूप में अग्रेतर निवेश किया गया था। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई राशि का पी0भी0 ₹ 945.07 करोड़ आता था। 2000–01 से 2004–05 के दौरान, इन कंपनियों ने निरंतर हानि वहन की। हालांकि, 2005–06 के दौरान, इन कंपनियों ने कुछ लाभ अर्जित किया, परंतु कुल आय इन साहस्रों रुपयों में निवेशित धन राशि की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रहा। 2006–07 के पश्चात, इन कंपनियों ने निवेशित धन राशि की वसूली के लिए अपेक्षित प्रतिफल हेतु पर्याप्त लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन साहस्रों रुपयों में से पांच¹⁸ ने इस अवधि के दौरान पर्याप्त लाभ अर्जित किया।

¹⁷ वर्ष के लिए कुल आय संबंधित वर्ष के लिए उन 10 साहस्रों रुपयों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, के शुद्ध आय (लाभ/हानि) को दर्शाता है। यदि किसी साहस्रों रुपयों के वर्ष के दौरान वार्षिक लेखे बकाया है, तो उस वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ/हानि) की गणना संबंधित साहस्रों रुपयों के नवीनतम वर्ष के अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर की गई है।

¹⁸ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट बिवरेजे ज कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड।

अग्रेतर, बिहार सरकार ने 2017–18 तक शेष 60 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सा०क्षे०उ० (43 अकार्यशील सा०क्षे०उ० सहित) में अंश पूँजी के रूप में ₹ 376.40 करोड़ तथा ऋण/पूँजी अनुदान ₹ 4,410.10 करोड़ का निवेश किया। इन सा०क्षे०उ० में बिहार सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2018 तक ₹ 8,605.72 करोड़ था, जिसके निवेश पर वास्तविक प्रतिफल का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि विगत तीन वर्षों में लेखों का अंतिमीकरण नहीं होने के कारण इनके आय (लाभ/हानि) की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

सा०क्षे०उ० के अंश पूँजी पर प्रतिफल

4.16 अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर०ओ०ई०)¹⁹ कंपनियों के वित्तीय दक्षता का मापन है, जिसकी गणना करों के पश्चात के लाभों को अंश धारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। सा०क्षे०उ० की क्षेत्रवार अंश पूँजी पर प्रतिफल तालिका 4.11 में दर्शाई गई है:-

तालिका 4.11 : क्षेत्रवार अंश पूँजी पर प्रतिफल

क्र. सं.	क्षेत्र	2015–16 के दौरान अंश पूँजी पर प्रतिफल		2016–17 के दौरान अंश पूँजी पर प्रतिफल		2017–18 के दौरान अंश पूँजी पर प्रतिफल	
		सा०क्षे०उ० की संख्या	अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	सा०क्षे०उ० की संख्या	अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	सा०क्षे०उ० की संख्या	अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
1	एकाधिकार क्षेत्र के सा०क्षे०उ०	2	11.02	2	11.17	2	11.17
2	सुनिश्चित आय वाले सा०क्षे०उ०	5	20.27	5	16.84	5	16.84
3	प्रतिस्पर्धी माहौल वाले सा०क्षे०उ०	3	-	3	-	3	-
	कुल	10	29.88	10	24.71	10	22.41

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि एकाधिकार क्षेत्र के सा०क्षे०उ० एवं सुनिश्चित आय वाले सा०क्षे०उ० का अंश पूँजी पर प्रतिफल धनात्मक था। दूसरी तरफ, प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाले सा०क्षे०उ० की आय ऋणात्मक थी, साथ ही निवल मूल्य भी 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ऋणात्मक थी। चूंकि कर के बाद लाभ तथा अंश धारकों की निधि, प्रतिस्पर्धी माहौल वाले सा०क्षे०उ० के मामले में ऋणात्मक थी, अतः अंश पूँजी पर प्रतिफल का आकलन नहीं किया जा सका।

यह दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहे सा०क्षे०उ० व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।

एकाधिकार/सुनिश्चित आय बनाम प्रतिस्पर्धी माहौल वाले क्षेत्रों के अंश पूँजी पर प्रतिफल की तुलना तालिका 4.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.12 : एकाधिकार/सुनिश्चित आय बनाम प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाले सा०क्षे०उ० के अंश पूँजी पर प्रतिफल की तुलना

वर्ष	एकाधिकार/सुनिश्चित आय वाले सा०क्षे०उ०		प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के सा०क्षे०उ०	
	सा०क्षे०उ० की संख्या	अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)	सा०क्षे०उ० की संख्या	अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
2015-16	7	19.40	3	-
2016-17	7	16.32	3	-
2017-18	7	28.01	3	-

¹⁹ अंश पूँजी पर प्रतिफल = (कर तथा अधिमान लाभांश के बाद कुल लाभ/शेयर पूँजी)*100 जहां अंश पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष – संचित हानि – स्थगित राजस्व व्यय।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

4.17 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक अनुपात है, जो किसी कंपनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना एक कंपनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के आय को नियोजित पूँजी²⁰ द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान 10 सालों के नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का विवरण तालिका 4.13 में दिया गया है:

तालिका 4.13 : नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्षावार क्षेत्रवार ब्यौरा	ब्याज एवं करों से पूर्व आय (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
2015-16			
एकाधिकार माहौल वाले सालों	19.19	125.55	15.28
सुनिश्चित आय वाले सालों	311.46	1,248.88	24.94
प्रतिस्पर्धी माहौल वाले सालों	3.33	-253.88	-
कुल	333.98	1,120.55	29.81
2016-17			
एकाधिकार माहौल वाले सालों	19.52	125.77	15.52
सुनिश्चित आय वाले सालों	284.19	1,290.38	22.02
प्रतिस्पर्धी माहौल वाले सालों	1.18	-270.82	-
कुल	304.89	1,145.33	26.62
2017-18			
एकाधिकार माहौल वाले सालों	19.52	125.77	15.52
सुनिश्चित आय वाले सालों	284.19	1,290.38	22.02
प्रतिस्पर्धी माहौल वाले सालों	-28.46	-316.81	-
कुल	275.25	1,099.34	25.04

यह देखा गया कि 2017–18 के दौरान बिहार राज्य वित्तीय निगम के हानियों में वृद्धि के कारण नियोजित पूँजी पर प्रतिफल 2015–16 के दौरान 29.81 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में 25.04 प्रतिशत हो गया। 2017–18 के दौरान प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाले तीन सालों²¹ के नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का आकलन नहीं किया जा सका क्योंकि ब्याज एवं करों से पूर्व के आय तथा नियोजित पूँजी दोनों हीं ऋणात्मक थे।

हानियाँ वहन करने वाले सालों

4.18 वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान तीन सालों के हानियाँ वहन की थी। इन सालों द्वारा वहन की गई हानियों का विवरण तालिका सं 4.14 में दिया गया है:

²⁰ नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।

²¹ बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एवं फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (अकार्यशील) तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम।

तालिका 4.14 : 2015–16 से 2017–18 के दौरान सांख्यिकीय की संख्या जिन्होंने हानियाँ बहन की

वर्ष	सांख्यिकीय की संख्या जिन्होंने हानियाँ बहन की	वर्ष के दौरान शुद्ध हानियाँ (₹ करोड़ में)	संचित हानियाँ (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य ²² (₹ करोड़ में)
एकाधिकार माहौल में सांख्यिकीय				
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-
सुनिश्चित आय वाले सांख्यिकीय				
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	1	-	0.09	0.25
प्रतिस्पर्धी माहौल में सांख्यिकीय				
2015-16	3	15.30	614.77	-518.46
2016-17	3	17.11	631.71	-534.40
2017-18	3	46.72	667.87	-581.39

ऊपर के तालिका में यह देखा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धी माहौल वाले तीनों सांख्यिकीयों ने 2015–16 से 2017–18 के दौरान हानि बहन की तथा इनकी संचित हानि 2015–16 के ₹ 614.77 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 667.87 करोड़ हो गई। यह इन सांख्यिकीयों के आत्मनिर्भता पर विपरीत प्रभाव दर्शाता है।

सांख्यिकीय के निवल मूल्य का क्षरण

4.19 31 मार्च 2018 तक, चार सांख्यिकीयों की संचित हानियाँ ₹ 667.96 करोड़ थीं। वर्ष 2017–18 में 10 सांख्यिकीयों में से प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के तीन सांख्यिकीयों ने ₹ 46.72 करोड़ मूल्य की हानि बहन की तथा एकाधिकारी माहौल या सुनिश्चित आय स्रोत वाले सात सांख्यिकीयों ने ₹ 224.15 करोड़ का लाभ अर्जित किया जबकि एक सांख्यिकीय (बिहार फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) की संचित हानि ₹ 0.09 करोड़ थी। किसी भी सांख्यिकीयों को बंद/समापन/परिसमापन/सामरिक विनिवेश नहीं किया गया था।

प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाले सभी तीन सांख्यिकीयों का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण पूर्णतया क्षरित हो गया तथा 31 मार्च 2018 तक इन सांख्यिकीयों के अंश पूँजी निवेश के ₹ 86.48 करोड़ के विरुद्ध निवल मूल्य (-) ₹ 581.39 करोड़ था।

इन तीन प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाले सांख्यिकीयों जिनके पूँजी का क्षरण हो गया था, में 31 मार्च 2018 तक बकाया सरकारी ऋण की राशि ₹ 259.95 करोड़ थी।

लाभांश का भुगतान

4.20 राज्य सरकार ने कोई भी लाभांश नीति तैयार नहीं की थी, जिसके तहत लाभ अर्जित करने वाली सांख्यिकीयों को न्यूनतम प्रतिफल देना आवश्यक था।

इस प्रतिवेदन में शामिल 10 सांख्यिकीयों, जहां राज्य सरकार द्वारा 2015–16 से 2017–18 के दौरान अंश पूँजी में निवेश किया गया था, के लाभांश भुगतान संबंधी विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

²² निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त अंश पूँजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियों तथा स्थगित राजस्व व्यय। मुक्त संचय का अर्थ है लाभ से बनाए गए सभी संचय और अंश प्रीमियम लेखे किंतु इसमें संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं हास को वापस लेकर बनाए गए संचय सम्मिलित नहीं होते हैं।

²³ बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य वित्तीय निगम तथा बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड।

तालिका 4.15 : 2015–16 से 2017–18 के दौरान 10 साठेंद्रोउ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल साठेंद्रोउ जहां बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी निवेश किया गया		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले साठेंद्रोउ		वर्ष के दौरान लाभांश देने/घोषणा करने वाले साठेंद्रोउ		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	साठेंद्रोउ की संख्या	बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी निवेश	साठेंद्रोउ की संख्या	लाभ अर्जित	साठेंद्रोउ की संख्या	साठेंद्रोउ द्वारा लाभांश भुगतान/घोषणा	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2015-16	10	107.43	7	258.24	2 ²⁴	6.05	2.34
2016-17	10	107.43	7	224.15	-	-	-
2017-18	10	107.43	7	224.15	-	-	-

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान, सात साठेंद्रोउ ने लाभ अर्जित किया। तथापि, 2015–16 के दौरान केवल दो साठेंद्रोउ ने बिहार सरकार को लाभांश का भुगतान/घोषित किया। 2015–16 के दौरान लाभांश भुगतान का अनुपात 2.34 प्रतिशत था। अग्रेतर, किसी भी साठेंद्रोउ ने 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं की थी।

साठेंद्रोउ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

4.21 साठेंद्रोउ जिनमें 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ऋणों का लाभ उठाया था, के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण साठेंद्रोउ द्वारा सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों का भुगतान करने के लिए कंपनियों की योग्यता का मूल्यांकन किया गया है। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया गया है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

4.22 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी साठेंद्रोउ के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व के आय को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, साठेंद्रोउ की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात बताता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान साठेंद्रोउ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का धनात्मक एवं ऋणात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण तालिका 4.16 में दिया गया है:

तालिका 4.16 : राज्य साठेंद्रोउ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिन पर ऋण का दायित्व है, का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं कर से पूर्व के आय (₹ करोड़ में)	साठेंद्रोउ की संख्या जिन पर ऋण का भार है	साठेंद्रोउ की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	साठेंद्रोउ की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
2015-16	19.72	124.86	3	1	2
2016-17	19.38	122.51	3	1	2
2017-18	19.35	92.87	3	1	2

²⁴ बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड (₹ पांच करोड़), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 1.05 करोड़)।

तीन राज्य सांक्षेतिक (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिन पर 2017–18 के दौरान ब्याज वाले ऋण का दायित्व था, एक सांक्षेतिक²⁵ का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था, जबकि शेष दो सांक्षेतिक²⁶ का ब्याज व्याप्ति अनुपात ऋणात्मक था, क्योंकि उनके ब्याज एवं करों से पूर्व के आय ऋणात्मक थी। यह दर्शाता है कि इन सांक्षेतिक ने उपरोक्त अवधि के दौरान खुद के व्ययों का वहन करने हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं किया था।

उक्त दो सांक्षेतिक के संदर्भ में निवल मूल्य 31 मार्च 2018 को ऋणात्मक था, जो यह दर्शाता है कि इन सांक्षेतिक के दिवालिया होने का खतरा बहुत ज्यादा है।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधिवार विश्लेषण

4.23 31 मार्च 2018 को बिहार सरकार द्वारा तीन सांक्षेतिक को दिए गए दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 217.83 करोड़ मूल्य के ब्याज बकाये थे। बिहार सरकार द्वारा सांक्षेतिक को दिए गए ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधिवार व्यौरा तालिका 4.17 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.17 : राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	सांक्षेतिक का नाम	ऋणों पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम के बकाया	एक से तीन वर्षों से बकाया	तीन वर्षों से अधिक के बकाया
1	बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एवं फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.51	0.02	0.06	0.43
2	बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (अकार्यशील)	18.92	-	-	18.92
3	बिहार राज्य वित्तीय निगम	198.40	18.24	54.72	125.44
	कुल	217.83	18.26	54.78	144.79

राज्य सांक्षेतिक (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियां

4.24 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान नौ कार्यशील कम्पनियों ने महालेखाकार को 15 लेखापरीक्षित लेखे अग्रसारित किए। आठ लेखाओं को पूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं ₹ 1040 द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा यह इंगित करता है कि लेखाओं के रख-रखाव की गुणवत्ता में काफी सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं ₹ 1040 की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है:

तालिका 4.18 : कार्यशील कंपनियों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	4	14.68	5	25.61	4	26.09
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	-	-	1	1.82	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों को अप्रकटीकरण	1	0.7	4	14.07	1	39.17
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	1	1.06	-	-	4	1074.10

झोत : सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/₹ 1040 की टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

²⁵ बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड।

²⁶ बिहार राज्य वित्तीय निगम तथा बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एवं फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड।

वर्ष 2017–18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 15 लेखाओं पर मर्यादित प्रमाण पत्र प्रदान किए। साठें द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कम था क्योंकि पांच लेखाओं में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं करने के 17 मामले इंगित किये गये। अग्रेतर, सी०ए०जी० ने वर्ष 1994–95 से 1998–99 के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पांच लेखाओं के संबंध में गंभीर कमियों के कारण मंतव्य देने से मना कर दिया।

4.25 राज्य में तीन सांविधिक निगम हैं यथा (i) बिहार राज्य वित्तीय निगम (वित्तीय निगम) (ii) बिहार राज्य भण्डारण निगम (भण्डारण निगम) तथा (iii) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (पथ परिवहन निगम)। पथ परिवहन निगम के संबंध में सी०ए०जी० एकमात्र लेखापरीक्षक है।

तीन कार्यशील सांविधिक निगमों में से 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक वित्तीय निगम ने वर्ष 2017–18 हेतु अपने वार्षिक लेखे अग्रसारित किए थे, जबकि भण्डारण निगम तथा पथ परिवहन निगम ने क्रमशः वर्ष 2011–12 तथा 2006–07 के वार्षिक लेखे अग्रसारित किए। सभी तीनों लेखाओं को लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वर्ष 2011–12 तथा 2017–18 हेतु क्रमशः बिहार राज्य भण्डारण निगम तथा वित्तीय निगम के वार्षिक लेखाओं को मर्यादित प्रमाण पत्र निर्गत किए थे। सी०ए०जी० ने वर्ष 2011–12 के लिए बिहार राज्य भण्डारण निगम के लेखे पर गंभीर कमियों के कारण मंतव्य देने से मना कर दिया।

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

4.26 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) के प्रतिवेदन हेतु, छ: अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं संबंधित प्रशासी विभागों के प्रधान सचिवों को इस आग्रह के साथ कि इनके उत्तर छ: सप्ताह के अंदर दिए जाए; निर्गत किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा सभी छ: अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के उत्तर प्राप्त हो गए थे। छ: अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 57.50 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

लम्बित उत्तर

4.27 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जांच का परिणाम है। अतः यह आवश्यक है कि इनमें कार्यपालिका की उचित एवं ससमय प्रतिक्रिया परिलक्षित हो। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को लोक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षओं पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि के अंदर निर्धारित प्रारूप में उत्तर/स्पष्टीकरण टिप्पणियां विभागों द्वारा प्रस्तुत करने का निर्देश जारी (अप्रैल 2015) किया था।

30 सितम्बर 2019 तक 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पांच कंडिकाओं में से तीन का उत्तर/व्याख्यात्मक नोट प्राप्त नहीं हुए थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

4.28 30 सितंबर 2019 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा0क्षे0उ0) में सम्मिलित सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा कंडिकाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 4.19 : 30 सितम्बर 2019 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं / कंडिकाओं जिन पर चर्चा की गई

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं / कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा की गई कंडिकाएं	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएं	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएं
2015-16	2	3	-	3
2016-17	2	5	-	2

झोत : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू में की गई चर्चा के आधार पर संकलित।

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

4.29 नवम्बर 2016 से नवम्बर 2018 के दौरान राज्य विधानसंडल में कोपू द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर कार्यवाही टिप्पणियां (ए0टी0एन0) राज्य सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से अप्राप्त (30 सितम्बर 2019) थे, जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.20 : कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदनों पर अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की कुल संख्या जहाँ ए0टी0एन0 प्राप्त नहीं हुए
2015-16	1	-	-
2016-17	3	1	1
2017-18	2	1	1
2018-19	8	2	2
2019-20	2	-	-
कुल	16	4	4

झोत : कोपू के अनुशंसाओं पर बिहार सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त ए0टी0एन0 के आधार पर संकलित।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में वर्ष 2008–09 से 2014–15 तक की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित बिहार सरकार के शिक्षा, मद्य निषेध एवं उत्पाद तथा सहकारिता विभागों से संबंधित कंडिकाओं पर सिफारिशें सम्मिलित थीं।

अध्याय-V

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों
(ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित
अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

अध्याय V

5. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों के कार्य सम्पादन की नमूना जॉच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

5.1 ब्याज का परिहार्य भुगतान

कम्पनी द्वारा हुड़को से ₹ 193 करोड़ के ऋण की अनावश्यक निकासी के कारण ₹ 37.75 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार ने, 'गंगा पथ¹', पटना के निर्माण के लिए ₹ 3,160 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (सितम्बर 2013)। इस परियोजना का वित्तपोषण राज्य सरकार के ₹ 1,160 करोड़ के योगदान के माध्यम से और शेष आवास और शहरी विकास निगम (हुड़को) से ₹ 2,000 करोड़ का ऋण लेकर किया जाना था। तदनुसार, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने ₹ 2,000 करोड़ के ऋण के लिए हुड़को के साथ एक समझौता किया (फरवरी 2014)।

अभिलेखों की जॉच से पता चला (मार्च 2017) कि :

- कम्पनी ने एक संवेदक को ₹ 1,777.37 करोड़ की कुल लागत पर गंगा पथ का निर्माण कार्य सौंपा (अगस्त 2013) जिसकी कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि (सितम्बर 2017), काम शुरू होने की तारीख से 48 महीने थी। हालाँकि, भूमि अधिग्रहण में बिलम्ब और सरकारी भूमि के स्वामित्व के विवाद के कारण संवेदक को समय पर बाधा मुक्त भूमि के हस्तांतरण में कठिनाई हुई, जिससे कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी।
- बिहार सरकार ने कम्पनी को परियोजना निधि के रूप में ₹ 836.20 करोड़ (2013–18²) निर्गत किये। लेखा परीक्षा ने पाया कि कम्पनी द्वारा परियोजना पर किये गये व्यय (2013–18 के दौरान ₹ 565.95 करोड़³) को पूरा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्गत किया गया निधि पर्याप्त था। बिहार सरकार से प्राप्त निधि की पर्याप्तता के बावजूद भी, कम्पनी ने निधि की आवश्यकता का आकलन किये बिना, दो किस्तों में हुड़को से ₹ 193 करोड़ की ऋण की निकासी की।
- कम्पनी ने, बिहार सरकार से प्राप्त धनराशि में से ₹ 20.22 करोड़ की शेष राशि की उपलब्धता के बावजूद, फरवरी 2014 में हुड़को से ऋण की पहली किस्त के रूप में ₹ 125 करोड़ की निकासी की। इसी प्रकार, कम्पनी ने मार्च 2015 में बिहार सरकार से प्राप्त धनराशि में से ₹ 260.21 करोड़ की राशि शेष होने के बावजूद हुड़को से ₹ 68 करोड़ की दूसरी किस्त की निकासी की।

¹ पटना में गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज के बीच एक पथ (लगभग 23.50 किमी)

² ₹ 125 करोड़ (अगस्त 2013), ₹ 50 करोड़ (जुलाई 2014), ₹ 250 करोड़ (सितम्बर 2014), ₹ 150 करोड़ मार्च 2015 में लौटाया, ₹ 25 करोड़ (जुलाई 2016) और ₹ 536.20 करोड़ (2017-18)

³ ₹ 117.30 करोड़ (2013-14), ₹ 37.03 करोड़ (2014-15), ₹ 136.78 करोड़ (2015-16), ₹ 202.48 करोड़ (2016-17) और ₹ 72.36 करोड़ (2017-18).

- चूँकि कार्य की धीमी प्रगति के कारण ऋण की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं थी, कम्पनी ने हुड़को को ऋण राशि (दिसम्बर 2015 में ₹ 150 करोड़ और दिसम्बर 2017 में ₹ 43 करोड़) वापस कर दी और 2013–18 के दौरान हुड़को को ₹ 37.75 करोड़ ऋण पर ब्याज के रूप में भुगतान किया।

इस प्रकार, अक्षम वित्तीय प्रबंधन के कारण, कम्पनी ने अनावश्यक रूप से बिहार सरकार से प्राप्त पर्याप्त धन की उपलब्धता के बावजूद हुड़को से ₹ 193 करोड़ की ब्याज देयता वाला ऋण लिया और 2013–18 के दौरान इस ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 37.75 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

विभाग ने कहा (जुलाई 2019) कि गंगा पथ के निर्माण के वित्तपोषण के लिए हुड़को के साथ समझौता किया गया था। कम्पनी ने ऋण समझौते की स्वतः समाप्ति और ऋण राशि के स्वतः कटौती, जैसा कि क्रमशः खंड 5.2 (i) और 5.2 (ii) में निर्दिष्ट है, से बचने के लिए ऋण राशि की पहली और दूसरी किस्त की निकासी की। भूमि अधिग्रहण में विभिन्न अड़चनों और सरकारी भूमि के स्वामित्व के विवाद के कारण योजना के अनुसार कार्य आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए, कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए, ब्याज भुगतान के भावी बोझ से बचने के लिए ऋण राशि हुड़को को वापस कर दी गई।

जवाब मान्य नहीं हैं, क्योंकि कार्य की धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी को, ऋण राशि पर ब्याज के भुगतान से बचने के लिए किस्त की निकासी न करने के मामले को हुड़को के साथ उठाना चाहिए था। हालाँकि, ऐसा नहीं किया गया।

5.2 मुख्यमंत्री राहत कोष ट्रस्ट में अनियमित अंशदान

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन कर मुख्यमंत्री राहत कोष ट्रस्ट में कम्पनी द्वारा ₹ 10 करोड़ का अनियमित अंशदान किया गया।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 181⁴ यह प्रावधानित करता है कि एक कम्पनी का निदेशक मण्डल प्रामाणिक धर्मार्थ एवं अन्य कोष में अंशदान कर सकता है बशर्ते किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे अंशदान की कुल राशि तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के पाँच प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, कम्पनी की आम सभा में इसकी पूर्व अनुमति ले ली गई हो। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 100 प्रतिशत सरकार का अंशदान है। यह संवेदकों को रखकर सड़क निर्माण के कार्य करती है। कम्पनी अपने लाभ के लिए सरकारी परियोजनाओं पर मिलने वाले सेंटेंज⁵ पर पूरी तरह से निर्भर है।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि कम्पनी ने मुख्यमंत्री राहत कोष ट्रस्ट में 2017–18 के दौरान ₹ 10 करोड़⁶ का अंशदान दिया जो कि उसके तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों

⁴ 12 सितम्बर 2013 से प्रभावी।

⁵ (क) ₹ 10 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए = सात प्रतिशत।

(ख) ₹ 10 करोड़ से अधिक और ₹ 100 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए = (क) + ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पर पाँच प्रतिशत।

(ग) ₹ 100 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत के लिए = (ख) + ₹ 100 करोड़ से अधिक की राशि पर एक प्रतिशत।

⁶ सितम्बर 2017 और मार्च 2018 में प्रत्येक में ₹ 5 पाँच करोड़।

के औसत लाभ के पाँच प्रतिशत⁷ से अधिक था। चूँकि अंशदान राशि, अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक था, इसलिए सामान्य बैठक में शेयरधारकों की पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। हालांकि, कम्पनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया था।

इसके बाद, कम्पनी ने निदेशक मंडल और असाधारण आम सभा में शेयरधारकों का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त (जून 2018) किया। हालांकि, इस तरह के अंशदान की कार्योत्तर स्वीकृति द्वारा नियमित करना, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था।

विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि कम्पनी अधिनियम, 1956 ए0जी0एम0 में सदस्यों/शेयरधारकों द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति की प्रतिबंधित नहीं करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार इस तरह के अंशदान के लिए कम्पनी की आम सभा में पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है और निदेशक मंडल को कम्पनी अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त, इसी प्रकार की अनियमितता दर्शाने वाली कंडिका⁸ जो कि राज्य के तीन⁹ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से सम्बन्धित है, पर कोपू ने भविष्य में इसे न दुहराने की अनुशंसा की थी। अतः, राज्य सरकार को कोपू के अनुशंसा को राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में लागू करवाना चाहिए।

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

5.3 ब्याज का परिहार्य भुगतान

वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान आय का सही अनुमान लगाने एवं समय पर अग्रिम कर जमा करने में विफलता के कारण बी0एस0ई0डी0सी0एल0 और बी0एस0आर0डी0सी0एल0 द्वारा आयकर पर ₹ 1.27 करोड़ के दांडिक ब्याज का भुगतान किया गया।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रावधानित करता है कि प्रत्येक करदाता जिसका कर दायित्व ₹ 10,000 या अधिक होगा वह अधिनियम में बताये गये तरीके एवं दर पर अग्रिम कर का भुगतान करेगा। कर के 90 प्रतिशत अग्रिम में जमा करने में विफलता एवं निर्धारित स्लैब¹⁰ से कम कर जमा करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 234ब एवं 234स के अनुसार अलग अलग एक प्रतिशत की दर से प्रत्येक माह और उसके भाग के लिए ब्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। अतः कम्पनी को कर योग्य आय का उचित आकलन करने की आवश्यकता होती है ताकि अधिनियम की आवश्यकतानुसार अग्रिम कर जमा कर ब्याज भुगतान से बचा जा सके।

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0ई0डी0सी0एल0) और **बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0आर0डी0सी0एल0)**

⁷ ₹ 105.27 करोड़ का पाँच प्रतिशत { (2014–15: ₹ 88.50 करोड़, 2015–16: ₹ 119.69 करोड़ और 2016–17: ₹ 107.61 करोड़)/3 } = ₹ 5.26 करोड़।

⁸ 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिका।

⁹ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार स्टेट बिवरेज एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड।

¹⁰ 15 जून को या उससे पहले (इस तरह के अग्रिम कर का 15 प्रतिशत से कम नहीं), 15 सितम्बर (पहले की किस्त में भुगतान की गई राशि को घटाते हुए पर 45 प्रतिशत से कम नहीं), 15 दिसम्बर (पहले की किस्त में भुगतान की गई राशि को घटाते हुए पर 75 प्रतिशत से कम नहीं) और वित्तीय वर्ष की 15 मार्च तक (पूर्व किस्तों में भुगतान की गई राशियों को घटाते हुए अग्रिम कर की पूरी राशि)।

के अभिलेखों (अक्टूबर 2017 और सितम्बर 2018) की जाँच से पता चला कि बी0एस0ई0डी0सी0एल0¹¹ और बी0एस0आर0डी0सी0एल0¹² के अधिकारियों द्वारा वर्तमान आय का सही अनुमान नहीं लगाने के कारण बी0एस0ई0डी0सी0एल0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 एवं बी0एस0आर0डी0सी0एल0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2017–18 के लिए समय पर आयकर अधिनियम के तहत अपेक्षित अग्रिम कर की पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, बी0एस0ई0डी0सी0एल0 और बी0एस0आर0डी0सी0एल0 ने कर योग्य राशि का 90 प्रतिशत अग्रिम कर के रूप में भुगतान करने में विफल होने के कारण अधिनियम की धारा 234ब के तहत क्रमशः ₹ 21.60 लाख और ₹ 34.87 लाख और अग्रिम कर जमा करने की निर्धारित तिमाही स्लैब का पालन करने में विफलता के कारण अधिनियम की धारा 234स के तहत क्रमशः ₹ 27.14 लाख और ₹ 43.63 लाख के दण्ड का भुगतान किया, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है।

(राशि: ₹ लाख में)

कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष	कर दायित्व	अग्रिम कर का भुगतान	धारा 234ब के तहत दंड	धारा 234स के तहत दंड	कुल दंड का भुगतान
बी0एस0ई0डी0सी0एल0	2014–15	339.49	244.54	5.70	7.09	12.79
	2015–16	486.23	427.88	4.08	8.69	12.77
	2016–17	968.95	784.25	11.82	11.36	23.18
कुल (अ)			21.60	27.14	48.74	
बी0एस0आर0डी0सी0एल0	2014–15	1,855.01	1,273.85	34.87	18.44	53.31
	2015–16	2,067.23	2,627.17	शून्य	8.87	8.87
	2016–17	2,296.67	2,197.05	शून्य	13.70	13.70
	2017–18	1,304.77	1,368.33	शून्य	2.62	2.62
कुल (ब)			34.87	43.63	78.50	
कुल (अ+ब)			56.47	70.77	127.24	

इस प्रकार, बी0एस0ई0डी0सी0एल0 और बी0एस0आर0डी0सी0एल0 की वर्तमान आय का सही अनुमान लगाने में असफलता और आयकर अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से अग्रिम करों का समय पर भुगतान नहीं करने के कारण ₹ 1.27 करोड़ के दांडिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा (जुलाई 2019) कि सामान पाने वाले के स्थल से सामग्री प्राप्ति/निरीक्षण/स्वीकृति प्रतिवेदन की प्राप्ति में देरी के कारण बिक्री/खरीद की बुकिंग में असामान्य देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप आय का अनुमान लगाना संभव नहीं था। बी0एस0आर0डी0सी0एल0 ने उत्तर में कहा (जुलाई 2019) कि वह निर्माण से संबंधित कार्य करता है जिसमें कई बाधाएँ होती हैं जिसके कारण लाभ का सटीक अनुमान लगाना एक जटिल प्रक्रिया है।

विभाग/प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि दोनों कम्पनियाँ अपनी आय के आकलन के लिए एक उपयुक्त प्रणाली तैयार करने में विफल रही, जो उनके उत्तर से स्वतः समपुष्ट होता है और जिसके परिणामस्वरूप ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

¹¹ सहायक प्रबंधक (लेखा), महाप्रबंधक और प्रबंध निदेशक।

¹² प्रबंधक (वित्त), उप महाप्रबंधक (वित्त और लेखा), महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक और प्रबंध निदेशक।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

5.4 ब्याज के अधिक भुगतान के कारण हानि

बेस रेट से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पर आधारित ऋण दर पर स्थानांतरित करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.36 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आर0बी0आई0 (अग्रिमों पर ब्याज दर) दिशा-निर्देश 2016 जारी किया (मार्च 2016), जिसमें उसने प्रचलित आधार दर/ बैंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बी0पी0एल0आर0) प्रणाली के स्थान पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स आधारित लेंडिंग रेट (एम0सी0एल0आर0) (1 अप्रैल 2016 से प्रभावी) के रूप में एक नई ब्याज दर की रूपरेखा प्रस्तुत की। पैरा 6 (बी) के तहत दिशा-निर्देश यह निर्देशित करती थी कि 01 अप्रैल 2016 से मंजूर की गई सभी ऋण और नवीनीकृत की गई साख सीमा एम0सी0एल0आर0 के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जो इस तरह के उद्देश्यों के लिए आंतरिक बैंचमार्क होगा। उक्त निर्देशों के पैरा 11 में आगे कहा गया है कि बैंक बेस रेट की समीक्षा और प्रकाशन जारी रखेंगे, बेस रेट/बी0पी0एल0आर0 से जुड़ी मौजूदा ऋण और साख सीमाएँ पुनर्भुगतान या नवीनीकरण, जैसा भी मामला हो, तक जारी रहेंगी, हालाँकि मौजूदा ऋणी के पास पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर एम0सी0एल0आर0 लिंक्ड ऋण में स्थानांतरित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। इस प्रकार, ऋणी के पास दोनों प्रणालियों के तहत दरों की तुलना और मूल्यांकन कर सबसे किफायती दर चुनने का विकल्प था।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) के बैंकों के नकद साख¹³ से संबंधित ऋणों के दस्तावेजों (अक्टूबर 2018) की जाँच से पता चला कि:

- कम्पनी ने कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बेस रेट पर तीन बैंक खाते नकद साख प्राप्त करने के लिए खोले (मार्च 2014 से मार्च 2016)। मार्च 2016 में उपरोक्त आर0बी0आई0 के निर्देशों की अधिसूचना के बाद, निर्देशों के पैरा 11 (बी) के अनुसार, कम्पनी को बेस रेट से एम0सी0एल0आर0 में खातों को परिवर्तित करने के लिए बैंक से सम्पर्क करने की आवश्यकता थी क्योंकि यह कम्पनी के लिए अधिक लाभदायक थी, जैसा कि बैंकों द्वारा प्रकाशित एम0सी0एल0आर0 दर से प्रमाणित होता है। हालाँकि, कम्पनी ऐसा करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, कम्पनी को, अप्रैल 2016 से जुलाई 2017 के दौरान, प्राप्त की गयी नकद साख की सुविधा पर बैंक को ₹ 21.58 लाख¹⁴ के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना पड़ा।
- कम्पनी ने मई 2016 में 9.65 प्रतिशत (बेस रेट) की दर से बैंक ऑफ बड़ौदा में एक और नकद साख ऋण खाता (सं0-0453) खोला। उपरोक्त दिशा-निर्देश के पैरा 6(बी)(i) के अनुसार, उपरोक्त खाता बेस रेट के बजाय एम0सी0एल0आर0 पर खोला जाना चाहिए था। हालाँकि, ऋण खाता एम0सी0एल0आर0 के बजाय बेस रेट पर खोला गया था। कम्पनी भी इस तथ्य का ध्यान रखने में विफल रही और बैंक को बेस रेट पर ब्याज का भुगतान करती रही, जो एम0सी0एल0आर0 से अधिक था। अपने ऋण खाते पर लागू ब्याज दर की निगरानी करने में विफलता के परिणामस्वरूप, कम्पनी को मई 2016 से अगस्त 2017 के दौरान उपयोग की गयी नकद साख की राशि पर, बैंक को ₹ 2.14 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

¹³ एक वर्ष की अवधि।

¹⁴ बैंक ऑफ बड़ौदा (खाता सं0 0391): ₹ 6.28 लाख, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक (खाता सं0 0268): ₹ 10.22 लाख एवं ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (खाता सं0 1833): ₹ 5.08 लाख।

इस प्रकार, बेस रेट से एम०सी०एल०आर० का मूल्यांकन करने और समय पर स्थानांतरित करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 2.36 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

विभाग ने कहा (मई 2019) कि दरें पिछले ऋण समझौतों पर आधारित थीं और एम०सी०एल०आर० में स्थानांतरित करने का दायित्व बैंकों का था। उन्होंने आगे उत्तर दिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मामले में, बैंक के दिनांक 21 मार्च 2017 के परिपत्र ने स्पष्ट किया कि बेस रेट/बी०पी०एल०आर० से एम०सी०एल०आर० में स्थानांतरित करने की तिथि को प्रभावी लागू दर में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि अंतर को एम०सी०एल०आर० के ऊपर स्प्रेड के रूप में भारित किया जाएगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि मौजूदा ऋणियों के पास पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों के साथ एम०सी०एल०आर० लिंक्ड ऋण में स्थानांतरित करने का विकल्प था अतएव बैंक द्वारा ऐसा नहीं किये जाने पर, अपने ऋणों को ज्यादा किफायती एम०सी०एल०आर० में स्थानांतरित करने के लिए बैंकों के साथ समय पर प्रयास करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की थी। इसके अलावा, उपरोक्त आर०बी०आई० के दिशा-निर्देशों का पैरा 8(डी) निर्धारित करता है कि मौजूदा ऋणी पर लगाया गया स्प्रेड, ग्राहक के साथ जोखिम प्रोफाईल में गिरावट की स्थिति को छोड़कर, बढ़ाया नहीं जाएगा। अतः, कम्पनी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रस्तावित किसी भी अतिरिक्त स्प्रेड को चुनौती दे सकती थी।

बिहार राज्य भण्डारण निगम

5.5 किराये की वसूली नहीं होना

निगम द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.79 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

बिहार राज्य भण्डारण निगम (निगम) के राजस्व का मुख्य स्रोत गोदाम का किराया है। अपनी मौजूदा नीति और कार्य प्रणाली के अनुसार, निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप, किराया के सन्दर्भ में गोदामों की क्षमतानुसार उपयोगकर्ताओं के साथ किए गए आरक्षण/समझौते के आधार पर किराये पर दिये गये गोदामों का मासिक किराया वसूलता है।

निगम के अभिलेखों (सितम्बर 2018) की समीक्षा से पता चला कि विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक (जनवरी 2017) में लिए गए निर्णय के अनुसार एवं उद्योग विभाग, बिहार सरकार तथा स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशानुसार, इसने नीरा¹⁵ संयंत्र के निर्माण के उद्देश्य से बिहारशरीफ में एक 5,000 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम (31,564 वर्ग फुट) बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड) को सौंप दिया (जनवरी 2017)। केन्द्रीय भण्डारण निगम की दरों के अनुरूप मासिक किराया तय करने की निगम की मौजूदा नीति तथा कार्यप्रणाली के अनुसार, मार्च 2017 तक उक्त गोदाम का किराया ₹ 4.52 लाख प्रति माह थी और उसके बाद समय-समय पर केन्द्रीय भण्डारण निगम के संशोधित दरों के अनुरूप थी।

लेखा परीक्षा ने आगे पाया कि निगम ने उद्योग विभाग, बिहार सरकार और कॉम्फेड के साथ बिहारशरीफ गोदाम के उपयोग तथा उक्त गोदाम के किराया के भुगतान के लिए एक अनुबंध करने के अनुरोध के साथ संपर्क किया (फरवरी 2017, जून 2017, अगस्त 2017, जनवरी 2018 और जनवरी 2019)। हालाँकि, आज तक निगम न तो कोई अनुबंध कर सका है और न ही कोई किराया प्राप्त कर पाया है (दिसम्बर 2019)।

¹⁵ नीरा, जिसे ताड़ अमृत भी कहा जाता है, ताड़ के पौधों की विभिन्न प्रजातियों से निकाला गया एक रस है, इसे प्यास बुझाने के लिए स्वास्थ्य पेय के रूप में उपयोग किया जाता है।

लेखा परीक्षा ने पाया कि गोदामों को सौंपने से पहले निगम ने काम्फेड के साथ अनुबंध नहीं किया। परिणामस्वरूप, किसी भी अनुबंध के अभाव में, निगम 35 महीने (फरवरी 2017 से दिसम्बर 2019 तक) का गोदाम किराया ₹ 1.79 करोड़¹⁶ वसूल करने में विफल रहा।

विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि उक्त गोदाम के संबंध में किराया प्राप्त किया जाएगा, हालाँकि, किराए के भुगतान में देरी हुई है, और उससे न तो कोई नुकसान हुआ है और न ही कोई गबन। निगम ने उत्तर दिया (जुलाई 2019) कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक (जुलाई 2019) में, उद्योग विभाग और कॉम्फेड के अधिकारियों को, बिहारशरीफ गोदाम के उपयोग और उसके किराए के भुगतान के लिए, निगम के साथ एक अनुबंध करने का निर्देश दिया गया था।

विभाग और निगम का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए गोदाम सौंपने से पहले निगम को एक अनुबंध करना चाहिए था। हालाँकि, निगम ऐसा करने में विफल रहा। इसके अलावा, आज तक कोई अनुबंध नहीं किया गया है (दिसम्बर 2019)।

इस प्रकार, निगम अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए, बिहारशरीफ गोदाम को उपयोग के लिए सौंपने से पहले कॉम्फेड के साथ अनुबंध करने के लिए कदम उठाने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2017 से दिसम्बर 2019 तक की अवधि के लिए वसूलनीय किराये के रूप में ₹ 1.79 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं कर सका।

बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

5.6 आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ

वित्तीय नियमों के उल्लंघन के कारण आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ मिला और ₹ 4.33 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

बिहार वित्तीय नियम 2005 के नियम 131-ओ और 131-पी में यह प्रावधान है कि बोलीदाताओं और सफल बोलीदाताओं से क्रमशः प्रतिभूति की राशि/अग्रधन की राशि दो प्रतिशत से पाँच प्रतिशत के बीच और निष्पादन प्रतिभूति, कार्य के मूल्य का पाँच प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बराबर लिया जाएगा। निष्पादन प्रतिभूति, वारंटी दायित्व सहित आपूर्तिकर्ता के सभी संविदा दायित्वों को पूरा होने की तिथि से 60 दिन की अवधि तक वैध रहेगी।

बिहार सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति (एन०ई०पी०), 2015 को अधिसूचित किया (दिसम्बर 2015) जिसमें चरणबद्ध तरीके से पूर्ण शराबबंदी लागू करने के प्रावधानों को शामिल किया गया था। पहले चरण में, देशी शराब/मसालेदार शराब का उत्पादन, बिक्री और उपभोग 1 अप्रैल 2016 से प्रतिबंधित किया जाना था और उसके बाद केवल विदेशी शराब/भारत निर्मित विदेशी शराब (आई०एम०एफ०एल०) केवल शहरी क्षेत्र में (नगर निगम/नगर परिषद), वह भी केवल बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा नियंत्रित और संचालित बिक्री केन्द्र के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध होनी थी।

¹⁶ (₹ 4,51,917*2 महीने: फरवरी-मार्च 2017)+(₹ 4,82,407*3 महीने : अप्रैल-जून 2017)+(₹ 4,94,992*9 महीने : जुलाई 2017-मार्च 2018)+(₹ 5,15,850*12 महीने : अप्रैल 2018 – मार्च 2019) + (₹ 5,47,509*9 महीने : अप्रैल-दिसम्बर 2019)

अभिलेखों की जाँच से यह पता चला है कि इसे ध्यान में रखकर, कम्पनी ने 650 टेबल, 1,300 कम्प्यूटर टेबल, लोहे के ग्रील गेट और आलमारियों/रैकों के लिए निविदा आमंत्रित की (दिसम्बर 2015) जो कि कम्पनी द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले 650 खुदरा विदेशी शराब की दुकानों पर आपूर्ति की जानी थी। एक संवेदक को 07 फरवरी 2016 तक काम पूरा करने के निर्देश के साथ कार्य आदेश¹⁷ (02 फरवरी 2016) दिया गया था। वस्तुओं की आपूर्ति नहीं होने के कारण, कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता से स्पष्टीकरण माँगा (04 अप्रैल 2016) कि कार्य आदेश को क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए। इसके बाद, बिहार सरकार ने अधिसूचना¹⁸ (05 अप्रैल 2016) के माध्यम से तत्काल प्रभाव से राज्य भर में सभी प्रकार के शराब के निर्माण, व्यापार और उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया। 05 अप्रैल 2016 के प्रभाव से आई0एम0एफ0एल0 के विक्रय/उपभोग पर बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध लगा देने के कारण कम्पनी ने संवेदक का कार्यादेश निरस्त कर दिया (05 अप्रैल 2016)।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- कम्पनी, बिहार वित्तीय नियम, 2005 के नियम 131-ओ और नियम 131-पी के उल्लंघन में, अग्रधन जमा और निष्पादन प्रतिभूति जमा के प्रावधानों को निविदा आमंत्रण सूचना में शामिल करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप बिहार वित्त नियमावली, 2005 में निर्धारित शर्त के अनुसार आपूर्तिकर्ता को विपत्रित राशि के आधार पर ₹ 44.10 लाख (अर्थात अग्रधन जमा के रूप में ₹ 12.60 लाख और निष्पादन प्रतिभूति जमा के रूप में ₹ 31.50 लाख) का लाभ दिया गया।
- कार्य की प्रगति की समीक्षा न तो फरवरी 2016 में और न ही 04 अप्रैल 2016 तक की गई।
- आपूर्ति किये गये फर्नीचर व फिक्सचर की गुणवत्ता पूर्व निर्धारित नहीं थी। कम्पनी ने आई0एम0एफ0एल0 दुकानों में फर्नीचर, लोहे के गेट और अलमारियों/रैकों की आपूर्ति के लिए संवेदक के साथ अनुबंध नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप फर्नीचर की गुणवत्ता और गेट/ग्रीलों के निर्माण के लिए वह पूर्णरूपेण विक्रेता पर निर्भर हो गई।
- संवेदक ने, 05 अप्रैल 2016 के पूर्व, कम्पनी के डिपो में उसके द्वारा की गयी आपूर्ति के विरुद्ध ₹ 6.30 करोड़¹⁹ के भुगतान का दावा किया। संवेदक द्वारा किए गए दावों के विरुद्ध, कम्पनी ने जनवरी 2017 तक संवेदक को कुल ₹ 4.33 करोड़²⁰ का भुगतान किया था। हालाँकि, कार्य आदेश के अनुसार, सामानों को खुदरा दुकानों पर आपूर्ति कर अधिस्थापित करना था न कि डिपो में, वह भी 07 फरवरी 2016 के पहले। डिपो में वस्तुओं के आपूर्ति की प्राप्ति की पुष्टि करने वाले दस्तावेज लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

¹⁷ ₹ 2,500 प्रति टेबल, ₹ 2,500 प्रति कम्प्यूटर टेबल एवं लोहे के ग्रील गेट/अलमारियों के लिए ₹ 333.69/वर्ग फीट की एल-1 दर पर।

¹⁸ दिनांक 05 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं0: 11/ नई आबकारी नीति -01-03/2016-1485.

¹⁹ दिनांक 21 मार्च 2016 के विपत्र द्वारा ₹ 0.50 करोड़ एवं दिनांक 31 मार्च 2016 के विपत्र द्वारा ₹ 5.80 करोड़।

²⁰ दिनांक 30 मार्च 2016 को ₹ 0.30 करोड़ का अग्रिम, दिनांक 03 मई 2016 को ₹ 1.00 करोड़ का अग्रिम, दिनांक 30 जून 2016 को ₹ 2.42 करोड़ का भुगतान, दिनांक 25 जुलाई 2016 को ₹ 0.25 करोड़ का भुगतान एवं दिनांक 31 जनवरी 2017 को ₹ 0.36 करोड़ का भुगतान।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2019) कि नई आबकारी नीति, 2015 के तत्काल कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, बिहार वित्त नियमावली, 2005 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा सका। इसके अलावा, संवेदक को भुगतान, उसके द्वारा 05 अप्रैल 2016 को कार्यादेश निरस्त करने से पहले की गई आपूर्ति के संबंध में किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि 04 अप्रैल 2016 को कम्पनी ने विक्रेता को आपूर्ति न करने के कारण कार्य आदेश समाप्त करने की चेतावनी दी थी। तथापि, अगले दिन जब राज्य सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी का आदेश दिया गया, कम्पनी ने 05 अप्रैल 2016 से पहले की गई आपूर्ति की गिनती शुरू कर दी। इसके अलावा, 05 अप्रैल 2016 से पहले डिपो में वस्तुओं की आपूर्ति की प्राप्ति की पुष्टि करने वाले दस्तावेज और संबंधित डिपो प्रबंधक के तरफ से 05 अप्रैल 2016 से पहले कम्पनी के डिपो में प्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति के संबंध में कम्पनी के मुख्यालय को लिखित सूचना, दस्तावेजों में नहीं पाये गये। अग्रेतर, 04 अप्रैल 2016 तक कार्य आदेश की समीक्षा नहीं की गई। बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन स्वरूप अग्रधन जमा और निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं करने से भी आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

अतः फर्नीचर व फिक्सचर के क्रय में घोर अनौचित्य के फलस्वरूप संवेदक को न केवल अनुचित लाभ का विस्तार हुआ वरन् ₹ 4.33 करोड़ का निष्फल व्यय भी हुआ।

पटना
दिनांक :

(निलोत्पल गोस्वामी)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक :

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1.1

(कंडिका 1.8 एवं 1.9 में संदर्भित)

छर्जा क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे नवीनतम वर्ष के लिए अंतिमीकृत किए गए हैं, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

₹ करोड़ में)									
क्र0 सं0	छर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के नाम एवं गतिविधि	लेखाओं की अवधि	ब्याज एवं कर के पूर्व कुल लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के बाद कुल लाभ/हानि	टर्नओवर पूँजी सहित प्रदत्त पूँजी	शेयर आवेदन पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ. उत्पादन									
1	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (क्र0 सं0 6 का अनुषंगी)	2017-18	-5,031.73	-5,031.73	13.88	4,808.95	3,778.43	-275.07	-5,084.02
उप-कुल (अ)		-5,031.73	-5,031.73	13.88	4,808.95	3,778.43	-275.07	-5,084.02	
ब. संचरण									
2	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (क्र0 सं0 6 का अनुषंगी)	2017-18	283.53	262.02	634.91	6,616.74	6,993.49	6,427.21	-189.53
3	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (क्र0 सं0 6 का संयुक्त उपक्रम)	2017-18	175.22	25.92	204.36	312.48	1,392.56	336.32	23.84
उप-कुल (ब)		458.75	287.94	839.27	6,929.22	8,386.05	6,763.53	-165.69	
स. वितरण									
4	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (क्र0 सं0 6 का अनुषंगी)	2017-18	-648.79	-740.49	4,931.55	8,247.15	5,656.05	5,093.45	-3,153.70
5	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (क्र0 सं0 6 का अनुषंगी)	2017-18	-2,153.15	-2,330.58	5,822.55	8,996.43	3,167.01	2,476.46	-6,519.97
उप-कुल (स)		-2,801.94	-3,071.07	10,754.10	17,243.58	8,823.06	7,569.91	-9,673.67	
द. अन्य									
6	बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड	2017-18	0.04	-3.54	0.00	30,098.54	30,115.48	30,065.22	-33.32
उप-कुल (द)			0.04	-3.54	0.00	30,098.54	30,115.48	30,065.22	-33.32
	कुल योग (अ+ब+स+द)		-7,374.88	-7,818.40	11,607.25	59,080.29³	22,277.51	15,298.08	-14,956.70

1 नियोजित पूँजी= प्रदत्त शेयर पूँजीमुक्त संचय एवं अधिशेष+दीर्घावधि ऋण – संचित हानि – स्थगित राजस्व व्यय | औंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जहाँ तक के साझेदारों के लेखे अंतिमीकृत हैं।

2 निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा अधिशेष में से संचित हानि तथा स्थगित राजस्व व्यय के घटाव के बाद का योग है।

3 ₹ 59,080.29 करोड़ की प्रदत्त पूँजी में बिहार स्टेट पावर होलिंग कम्पनी लिमिटेड की ₹ 28,825.51 करोड़ की राशि सम्मिलित है जो इसमें अपनी अनुरंगियों (क्र0सं0 1.2.4 एवं 5) तथा संयुक्त उपक्रम कम्पनी (क्र0सं0 3) में पुनर्निवेश किया था। अतः इसे निवेश, निवल मूल्य तथा नियोजित पूँजी की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया।

परिशिष्ट – 1.2

(कंडिका 1.8 में संदर्भित)

31 मार्च 2018 को राज्य ऊर्जा क्षेत्र के साझेदारों से सम्बन्धित पूँजी तथा बकाये ऋणों की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	साझेदारों का नाम	विभाग का नाम	नियमन का माह एवं वर्ष	वर्ष 2017–18 के अन्त में पूँजी ⁴			वर्ष 2017–18 के अन्त में बकाये				
				बिहार सरकार ⁶	भारत सरकार ⁶	अन्य	कुल	बिहार सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ											
1	बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	16.04.2012	30,098.54	0.00	0.00	30,098.54	50.26	0.00	0.00	50.26
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	29.06.2012	0.00	0.00	4,808.95	4,808.95	0.00	0.00	4,053.50	4,053.50
3	बिहार स्टेट पावर दंत्समिशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	29.06.2012	0.00	0.00	6,616.74	6,616.74	566.28	0.00	0.00	566.28
4	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	06.07.2012	0.00	0.00	8,247.15	8,247.15	229.65	0.00	3,32.95	562.60
5	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	29.06.2012	0.00	0.00	8,996.43	8,996.43	32.52	0.00	658.03	690.55
6	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	04.01.2013	0.00	0.00	312.48	312.48	0.00	0.00	1,056.24	1,056.24
	कुल			30,098.54	0.00	28,981.75	59,080.29	878.71	0.00	6,100.72	6,979.43

⁴ इसमें शेयर आवेदन पूँजी सम्मिलित है।

⁵ बिहार सरकार।

⁶ भारत सरकार।

परिषिक्षा – 2.1

(कंडिकाओं 2.1 (अ) एवं 2.13.1 में संदर्भित)
31 मार्च 2019 को आरजी0जी0वाई0 योजना के भौतिक एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

अ. भौतिक स्थिति

पंचवर्षीय योजना	हिस्कॉम	परियोजनाओं / जिलों की संख्या	डी0पी0आर0 के अनुसार संख्या		एल0ओ0ग्रा की तिथि	पूर्ण होने की निधारित तिथि	गाँवों बसावटें निर्गत किए गए बी0पी0एल0 सम्बन्ध	गाँवों बसावटें निर्गत किए गए बी0पी0एल0 सम्बन्ध
			गाँवों	बसावटें जाने वाले बी0पी0एल0 सम्बन्ध				
11वीं पंचवर्षीय योजना फेज II (2007–12)	एस0बी0पी0डी0सी0एल0	7	10,273	18,468	17,63,761	जुलाई 13 एवं अक्टूबर 13	जुलाई 15 एवं अक्टूबर 13	10,273 18,468 (100) (100)
	एन0बी0पी0डी0सी0एल0	4	3,855	13,766	11,34,567	अक्टूबर 13 एवं दिसम्बर 13	अक्टूबर 15 एवं दिसम्बर 15	3,894 15,466 (100) (100)
कुल		11	14,128	32,234	28,98,328		14,167	33,934 (100) (44,82)
12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)	एस0बी0पी0डी0सी0एल0	10	7,992	21,788	13,19,303	अगस्त 14 से नवम्बर 14	अगस्त 16 से नवम्बर 16	7,992 21,788 (100) (100)
	एन0बी0पी0डी0सी0एल0	17	16,768	55,142	42,29,745	अगस्त 14 से दिसम्बर 14	अगस्त 16 से दिसम्बर 16	16,363 50,189 (97.58) (91.02)
कुल		27	24,760	76,930	55,49,048		24,355	71,977 (98.36) (93.56) (39.29)
कुल योग		38	38,888	1,09,164	84,47,376		38,522	1,05,911 (99.05) (97.02) (41.19)

ब. वित्तीय स्थिति

पंचवर्षीय योजना	दिस्कॉम	परियोजनाओं / जिलों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	आर0ई0सी0 द्वारा प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)	बिहार सरकार द्वारा प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)	व्यय किया गया (₹ करोड़ में)	स्वीकृत राशि के विवर किए गए व्यय की प्रतिशतता (प्रतिशत में)
11वीं पंचवर्षीय योजना फेज II (2007–12)	एस0बी0पी0डी0सी0एल0	7	2,094.70	1,399.65	0.00	1,519.37	72.53
	एन0बी0पी0डी0सी0एल0	4	1,035.34	740.75	0.00	956.26	92.36
कुल		11	3,130.04	2,140.40	0.00	2,475.63	79.09
12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)	एस0बी0पी0डी0सी0एल0	10	1,414.03	802.54	249.62	1,243.18	87.92
	एन0बी0पी0डी0सी0एल0	17	3,806.62	2,479.76	827.26	3,795.76	99.71
कुल		27	5,220.65	3,282.30	1,076.88	5,038.94	96.52
कुल योग		38	8,350.69	5,422.70	1,076.88	7,514.57	89.99

परिशिष्ट – 2.2

(कांडिकाओं 2.1 (ब) एवं 2.13.2 में संदर्भित)

31 मार्च 2019 को डी०डी०य०जी०जे०वाइ० योजना के भौतिक एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

अ. भौतिक स्थिति

डिस्कॉम	परियोजनाओं/जिलों की संख्या	डी०पी०आर० के अनुसार संख्या	स्वीकृत राशि एल०ओ०ए०० ₹ करोड़ में)	एल०ओ०ए००० ₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की निधारित तिथि	पी०एस०ए०स० की कृषि फीडर की गैर कृषि फीडर डी०टी०आर० कुल संख्या	संख्या में उपलब्धि
एस०बी०पी०डी०सी०एल०	17	123	565	464	28,300	2,433.14	जनवरी 17 एवं मार्च 19 (47.15)
एन०बी०पी०डी०सी०एल०	21	173	747	346	42,351	3,394.08	जनवरी 17 जनवरी 19 (34.10)
कुल	38	296	1,312	810	70,651	5,827.22	117 (39.53) (53.20) (22.47) (23.44)

ब. वित्तीय स्थिति

डिस्कॉम	परियोजनाओं/जिलों की संख्या	स्वीकृत राशि ₹ करोड़ में)	आर०ई०स० द्वारा प्राप्त राशि ₹ करोड़ में)	राज्य / डिस्कॉम योगदान ₹ करोड़ में)	कुल	व्यय किया गया ₹ करोड़ में)	स्वीकृत राशि के विरुद्ध किए गए व्यय की प्रतिशतता (प्रतिशत में)
एस०बी०पी०डी०सी०एल०	17	2,433.14	1,352.45	358.50	1,710.95	1,532.94	63.00
एन०बी०पी०डी०सी०एल०	21	3,394.08	1,406.08	539.41	1,945.49	1,448.97	42.69
कुल	38	5,827.22	2,758.53	897.91	3,656.44	2,981.91	51.17

परिशिष्ट – 2.3

(कांडिका 2.1 (स) में संदर्भित)

31 मार्च 2019 को ₹१०८००५० लाख रुपये जनाओं के भौतिक एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

हिस्कॉम का नाम	भौतिक प्रगति					वित्तीय प्रगति (₹ करोड़ में)	
	स्टैंड अलोन		मिनी ग्रुप प्लांट				
संख्या	पुनरीक्षित संख्या	स्थापित शेष संख्या	पुनरीक्षित संख्या	अधिकृत शेष	दी गई राशि	व्यय	
एस०बी०पी०टी०सी०एल०	3,435	6,341	7,101	0	240	221	216
एन०बी०पी०टी०सी०एल०	2,581	4,624	5,102	0	282	153	149
कुल	6,016	10,965	12,203	0	522	374	365
⁷ पुनरीक्षित संविदा मूल्य : ₹ 163.81 करोड़।							

परिशिष्ट – 2.4

(कांडिका 2.1 (द) में संदर्भित)
31 मार्च 2019 को बी0आरजी0एफ0 योजना के अन्तर्गत 11 जिलों / परियोजनाओं के पूर्णरूपण विद्युतीकरण के भौतिक एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

अ. भौतिक स्थिति

जिला / परियोजना का नाम	33 के0वी0 लाईने (सी0के0एम0 में)	नये पी0एस0एस0 (संख्या में)	11 के0वी0 लाईने (सी0के0एम0 में)	टी0टी0आर0 (संख्या में)	एल0टी0 लाईने (सी0के0एम0 में)	एल0टी0 लाईने (संख्या में)	उपलब्धि	एल0ओ0ए0	उपलब्धि	एल0ओ0ए0	उपलब्धि	एल0ओ0ए0	उपलब्धि
पटना	0.00	0.00	5	5	1,400.00	323.00	2,060	1,187	1,990.00	1,668.53			
गया	0.00	0.00	1	1	0.00	342.91	2,206	909	986.09	1,176.00			
बाँका	0.00	0.00	0	0	30.30	120.00	2,012	376	473.58	343.00			
रोहतास	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	20	420	592.50	430.63			
नालन्दा	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	1,347	1,320	501.26	900.70			
नवादा	0.00	0.00	0	0	82.93	90.28	748	232	217.37	419.21			
मोजुर	0.00	0.00	0	0	0.00	52.72	862	146	395.00	1,192.78			
कुल	0.00	0.00	6	6	1,513.23	938.91	9,255	4,590	5,155.80	6,130.85			
पूर्णियाँ	47.00	84.44	5	5	213.04	376.92	2,031	497	130.70	379.16			
किशनगंज	0.00	0.00	0	0	161.25	315.59	1,359	932	561.89	803.86			
अरंचिया	39.00	24.33	3	3	622.45	598.79	2,568	1,298	442.08	1,241.10			
सीवान	0.00	0.00	0	0	248.43	126.27	2,732	781	298.53	376.64			
कुल	86.00	108.77	8	8	1,245.17	1,417.57	8,690	3,508	1,433.20	2,800.76			

ब. वित्तीय स्थिति

क्र0 सं0	लिस्कॉम्स का नाम	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	दी गई राशि (₹ करोड़ में)	बिहार सरकार द्वारा प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)	व्यय किया गया (₹ करोड़ में)	स्वीकृत राशि के विरुद्ध किए गए व्यय का प्रतिशतता (प्रतिशत में)
1	एस0वी0पी0जी0सी0एल0	499.90	499.90	499.90	364.50	72.91
2	एन0वी0पी0जी0सी0एल0	337.72	332.94	334.97	321.70	95.26
कुल	837.62	832.84	834.87	832.84	686.20	81.92

परिशिष्ट – 2.5
(कांडिका 2.1 (छ) में संदर्भित)
31 मार्च 2019 को एम०वी०एस०एन०वाई० के भौतिक एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

अ. भौतिक स्थिति

डिस्कॉम	परियोजना / सर्किल की संख्या	सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या (घरों की संख्या)	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	एलओओ०५० की पूर्ण होने की निधारित तिथि	विद्युतीकृत घरों / स्थापित घरों की संख्या (कोष्ठक में संख्या प्रतिशतता दर्शाती है)
एस०बी०पी०८०१०सी०एल०	7	20,00,000	5,25,334	मई 16 से फरवरी 17	जनवरी 19 एवं अप्रैल 19 (97.28)
एन०बी०पी०८०१०सी०एल०	7	30,00,000	10,00,244	जनवरी 17	जनवरी 19 एवं मार्च 19 (136.97)
कुल	14	50,00,000	15,25,578	1,897.50	18,81,141 (123.31)

ब. वित्तीय स्थिति

डिस्कॉम	परियोजना / सर्किल की संख्या	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	कार्य आवंटित लागत (₹ करोड़ में)	बिहार सरकार से व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	दी गई राशि के विकल्प किए गए व्यय की प्रतिशतता (प्रतिशत में)
एस०बी०पी०८०१०सी०एल०	7	1,897.50	629.67	377.14	177.66 28.21
एन०बी०पी०८०१०सी०एल०	7		954.16	615.21	617.63 64.73
कुल	14	1,897.50	1,583.83	992.35	795.29 50.21

परिशिष्ट – 2.6

(कंडिका 2.12.2 में संदर्भित)

शिथिल किए गए / वास्तविक मात्रा एवं एल0ओ0ए0 में मूल्यांकित मात्राओं में अन्तर को दर्शाती विवरणी

जिलों के नाम	सामग्री का नाम	एल0ओ0ए0 के अनुसार संख्या	शिथिल की गई मात्रा / वास्तविक मात्रा	अधिक / कम मात्रा	परिवर्तन प्रतिशत में
सीतामढी	पी0एस0सी0 पोल 8 मीटर	36,500.00	51,360.00	14,860.00	40.71
	रैबीट कन्डकटर	390.89	155.00	-235.89	-60.35
	वीजल कन्डकटर	1,666.44	1,082.00	-584.44	-35.07
	63 के0भी0ए0 डी0टी0आर0	972.00	1,050.00	78.00	8.02
	3 पी0एच0 ए0बी0 केबल	666.58	1,050.00	383.42	57.52
मुजफ्फरपुर	पी0एस0सी0 पोल 8 मीटर	13,234.00	58,599.00	45,365.00	342.79
	रैबीट कन्डकटर	899.19	266.16	-633.03	-70.40
	वीजल कन्डकटर	608.70	1,039.70	431.00	70.81
	63 के0भी0ए0 डी0टी0आर0	440.00	609.00	169.00	38.41
	3 पी0एच0 ए0बी0 केबल	37.48	334.10	296.62	791.37
मुंगेर	पी0एस0सी0 पोल 8 मीटर	34,588.00	46,754.00	12,166.00	35.17
	रैबीट कन्डकटर	159.00	83.10	-75.90	-47.74
	वीजल कन्डकटर	500.80	183.20	-317.60	-63.42
	63 के0भी0ए0 डी0टी0आर0	1,252.00	1,262.00	10.00	0.80
	3 पी0एच0 ए0बी0 केबल	619.00	692.23	73.23	11.83
शोखपुरा	पी0एस0सी0 पोल 8 मीटर	3,571.00	5,055.00	1,484.00	41.55
	रैबीट कन्डकटर	324.45	325.00	0.55	0.17
	वीजल कन्डकटर	76.76	124.00	47.24	61.54
	63 के0भी0ए0 डी0टी0आर0	62.00	150.00	88.00	141.94
	3 पी0एच0 ए0बी0 केबल	30.69	30.90	0.21	0.68
जहानाबाद	पी0एस0सी0 पोल 8 मीटर	21,321.00	52,294.00	30,973.00	145.27
	रैबीट कन्डकटर	361.53	351.00	-10.53	-2.91
	वीजल कन्डकटर	1,432.18	1,713.54	281.36	19.65
	63 के0भी0ए0 डी0टी0आर0	1,159.00	1,450.00	291.00	25.11
	3 पी0एच0 ए0बी0 केबल	572.87	589.26	16.39	2.86
गया	पी0एस0सी0 पोल 8 मीटर	2,04,556.00	2,67,679.00	63,123.00	30.86
	रैबीट कन्डकटर	2,648.00	1,370.00	-1,278.00	-48.26
	वीजल कन्डकटर	16,057.00	6,615.00	-9,442.00	-58.80
	63 के0भी0ए0 डी0टी0आर0	5,741.00	6,540.00	799.00	13.92
	3 पी0एच0 ए0बी0 केबल	1,280.67	2,649.00	1,368.33	106.84

परिशिष्ट – 2.7
(कंडिका 2.12.4 में संदर्भित)
संचालन और अनुरक्षण व्ययों तथा मूल्यहास को दर्शाती विवरणी

वर्ष	डिस्कॉम	ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं ⁸ के तहत बनी अचल संपत्तियाँ	5.28 % की दर से हास	संचालन एवं अनुरक्षण व्ययों ⁹ एस0बी0-@1.5%, एन0बी0-@1.06%
2015–16	एस0बी0पी0डी0सी0एल0	1,257.22	-	18.86
	एन0बी0पी0डी0सी0एल0	10.47	-	0.11
	कुल	1,267.69	-	18.97
2016–17	एस0बी0पी0डी0सी0एल0	3,671.73	66.38	55.08
	एन0बी0पी0डी0सी0एल0	317.16	0.55	3.36
	कुल	3,988.89	66.93	58.44
2017–18	एस0बी0पी0डी0सी0एल0	2,030.23	193.87	30.45
	एन0बी0पी0डी0सी0एल0	2,392.53	16.75	25.36
	कुल	4,422.76	210.61	55.81
कुल योग		9,679.34	277.54	133.22

⁸ बी0आर0जी0एफ0, आर0जी0जी0वी0वाई0, डी0डी0यू0जी0जे0वाई0, एम0वी0एस0एन0वाई0, राज्य योजना (जले हुए वितरण ट्रांसफॉर्मर)।

⁹ टैरिफ आदेश के अनुसार मरम्मत एवं अनुरक्षण खर्च (केन्द्र फैक्टर)।

परिशिष्ट – 2.8

(कॉडिका 2.13.1 में संदर्भित)

30 सितम्बर 2018 तक 33 के0भी0 लाईने, 33 / 11 के0भी0 पी0एस0एस0, 11 के0भी0 लाईने, 63 के0भी0ए0 डी0टी0आर0 एवं एल0टी0 लाईनो के सर्वेक्षण / शिथिल की गई मात्रा एवं इसकी उपलब्धि को दर्शाती विवरणी

परियोजना / जिलों की संख्या	33 के0भी0 लाईने (सी0के0एम0 में)	33 / 11 के0भी0 पी0एस0एस0 (संख्या में)	11 के0भी0 लाईने (12वीं योजना – किमी0 में, 11वीं योजना फेज II सी0के0एम0 में)	63 के0भी0ए0 डी0टी0आर0 (संख्या में)	एल0टी0 लाईने (किमी0 में)
सर्वेक्षण / शिथिल की गई मात्रा	उपलब्धि उपलब्धि प्रतिशत में	सर्वेक्षण / उपलब्धि उपलब्धि प्रतिशत में	सर्वेक्षण / उपलब्धि उपलब्धि प्रतिशत में	उपलब्धि उपलब्धि प्रतिशत में	उपलब्धि उपलब्धि प्रतिशत में
मुंगेर	10.97	10.97 100.00	1 1 100.00 259.86	259.87 100.00 1,262	1,262 100.00 1,296.34 1,296.34 100.00
शोखपुरा	15.18	0.00 0.00	1 0 0.00 244.18	27.00 11.06 150	33 22.00 16.88 50.00 296.14
जहानाबाद	0.00	0.00 0.00	0 0 0.00 542.78	226.56 41.74 1159	560 48.32 926.98 535.00 57.71
गया	177.00	97.24 54.94	2 2 100.00 2,662.00	874.36 32.85 4,334	2,807 64.77 4,699.00 3,068.78 65.31
मुजफ्फरपुर	51.79	18.50 35.72	3 1 33.33 422.60	477.69 113.04 613	506 82.54 1,777.58 1,460.56 82.17
सीतामढ़ी	50.15	0.00 0.00	1 0 0.00 400.00	507.89 126.97 1,050	1,044 99.43 1610.00 1,088.40 67.60
किशनगांज	45.00	41.44 92.09	2 2 100.00 834.54	790.71 94.75 1,612	1,491 92.49 1,217.67 1,160.43 95.30
पूर्णियाँ	75.85	68.80 90.70	4 4 100.00 1,894.58	1,143.05 60.33 2,114	1,960 92.72 3,769.52 3,365.83 89.29

परिशिष्ट – 2.9

(कंडिका 2.14.1 में संदर्भित)

वर्ष 2013–14 से 2017–18 के लिए एस०बी०पी०डी०सी०एल० का वित्तीय प्रदर्शन एवं
कार्यकारी परिणाम

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व					
अ. संचालन से राजस्व	2,407.33	2,674.44	3,294.59	4,031.83	4,933.21
ब. अन्य आय	152.54	261.28	203.40	402.30	366.58
स. राजस्व सब्सिडीयाँ तथा अनुदान	1,630.94	1,674.65	2,811.16	2,320.34	889.34
सब्सिडी को छोड़कर कुल आय	2,559.87	2,935.72	3,497.99	4,434.13	5,299.79
कुल आय (अ+ब+स)	4,190.81	4,610.37	6,309.15	6,754.47	6,189.13
व्यय					
ऊर्जा ऋण लागत	3,536.29	4,707.48	5,611.89	5,798.54	6,839.70
कर्मचारी हित में व्यय	233.79	258.10	277.27	477.52	403.86
वित्तीय लागत	231.49	163.21	323.19	268.32	177.43
हास एवं प्रत्युत्सर्जन व्यय	104.20	42.67	142.42	180.84	235.94
अन्य व्यय	109.07	99.53	298.50	991.26	862.80
पूर्वावधि मद (निवल)	244.66	86.92	390.05	-	-
कुल व्ययें	4,459.50	5,357.91	7,043.32	7,716.48	8,519.73
लाभ/(-) हानि	-268.69	-747.54	-734.17	-962.01	-2,330.60
प्रति रुपये के खर्च पर अर्जित आय	0.94	0.86	0.90	0.88	0.73
पूँजी निवेश पर प्रतिफल	-0.02	-0.25	-0.12	-0.75	-0.68

परिशिष्ट – 2.10

(कांडिका 2.14.1 में संदर्भित)

**वर्ष 2013–14 से 2017–18 के लिए एन०बी०पी०डी०सी०एल० का वित्तीय प्रदर्शन एवं
कार्यकारी परिणाम**

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व					
अ. संचालन से राजस्व	1,556.61	2,164.67	2,717.93	2,967.67	3,639.96
ब. अन्य आय	142.43	177.85	177.98	159.79	141.67
स. राजस्व सब्सिडीयों तथा अनुदान	1,024.65	1,217.22	1,579.2	1,513.66	1,291.59
सब्सिडी को छोड़कर कुल आय	1,699.04	2,342.52	2,895.91	3,127.46	3,781.63
कुल आय (अ+ब+स)	2,723.69	3,559.74	4,475.11	4,641.12	5,073.22
व्यय					
ऊर्जा क्रय लागत	2,271.97	3,195.81	3,908.64	4,203.92	5,163.61
कर्मचारी हित में व्यय	138.21	171.86	188.00	265.60	258.52
वित्तीय लागत	151.93	228.50	184.00	158.31	91.70
हास एवं प्रत्युत्सर्जन व्यय	73.12	80.77	86.78	89.76	106.69
अन्य व्यय	62.42	123.66	197.57	218.49	193.18
पूर्वावधि मद (निवल)	100.30	55.90	249.55	-	-
कुल व्ययें	2,797.95	3,856.50	4,814.54	4,936.08	5,813.70
लाभ / (-) हानि	-74.26	-296.76	-339.43	-294.96	-740.48
प्रति प्रति रूपये के खर्च पर अर्जित आय (₹ में)	0.97	0.92	0.93	0.94	0.87
पैंची निवेश पर प्रतिफल	0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.11

परिशिष्ट – 2.11
(कंडिका 2.16 में संदर्भित)
मापदंडों के लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाती विवरणी

क्र० सं०	मापदंड	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता
1	ग्रामीण घरों का कवरेज	₹ 1.73 करोड़ (आर०जी०जी०वी०वाई०० के डी०पी०आर० के अनुसार)	₹ 1.39 करोड़ (मार्च 2019 को सौभाग्य डैशबोर्ड के अनुसार)	80.35
2	बी०पी०एल० घरों का कवरेज	₹ 84.47 लाख (आर०जी०जी०वी०वाई०० के डी०पी०आर० 11वीं पंचवर्षीय योजना फेज II एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना का डी०पी०आर०)	₹ 34.80 लाख (मार्च 2019)	41.19
3	मार्च 2018 तक अधिस्थापित भार (ग्रामीण)	14,443 मे०वा० (मार्च 2018 हेतु टैरिफ आदेश 2016–17 में बी०ई०आर०सी० द्वारा स्वीकृत अनुमान)	6,019.82 मे०वा० (टैरिफ आदेश 2018–19)	41.68
4	जले हुए ट्रांसफॉर्मर का प्रतिस्थापन	14,822 (जून 2015)	10,388 (मार्च 2019)	70
5	ऊर्जा की गुणवत्ता	पी०एस०एस० एवं डी०टी०आर० में वोल्टेज उत्तार–चढ़ाव, पावर फैक्टर जैसे गुणवत्ता वाले मापदंडों से सम्बन्धित लॉगबुक संधारित नहीं किए जाते थे।		
6	डी०टी० मीटरिंग	परीक्षण किए गए आठ जिलों में नये डी०टी०आर० में ₹ 4.09 करोड़ के 9,663 डी०टी० मीटर स्थापित किए गए थे। लेकिन इनसे कोई भी ऑकड़ा एकत्र नहीं किया जा रहा था।		

परिशिष्ट – 2.12

(कंडिका 2.16.1 में संदर्भित)

ग्रामीण घरों (आर०एच०एच०) एवं इनकी विद्युतीकरण की स्थिति को दर्शाती विवरणी

क्र० सं०	डिस्कॉम का नाम	जिला का नाम	2011 की जनगणना के अनुसार*	डी०पी०आर० के अनुसार (आर०जी०जी० विंवाई०)	वास्तविक संख्या के अनुसार (सौभाग्य डैशबोर्ड)	प्रतिशत	
						वास्तविक बनाम जनगणना	वास्तविक बनाम डी०पी०आर०
1	एस०बी०पी० डी०सी०एल०	पटना	5,46,154	2,38,255	3,70,203	67.78	155.38
2		गया	5,98,783	5,97,158	4,58,007	76.49	76.70
3		बौका	3,67,997	2,91,118	2,54,295	69.10	87.35
4		नवादा	3,04,903	2,71,736	3,13,027	102.66	115.20
5		नालन्दा	4,01,779	3,68,929	3,78,186	94.13	102.51
6		रोहतास	3,90,394	3,54,513	2,97,857	76.30	84.02
7		भोजपुर	3,56,659	3,29,175	28,1,020	78.79	85.37
8		मुंगेर	1,92,161	2,39,519	1,48,407	77.23	61.96
9		शेखपुरा	82,905	1,16,483	70,672	85.24	60.67
10		जमुई	2,82,205	4,34,338	2,25,337	79.85	51.88
11		लखीसराय	1,39,248	1,66,281	86,631	62.21	52.10
12		अरवल	1,09,769	1,36,341	73,105	66.60	53.62
13		जहानाबाद	1,59,920	2,21,645	79,581	49.76	35.90
14		औरंगाबाद	3,55,036	5,03,187	3,15,826	88.96	62.77
15		बक्सर	2,35,177	3,53,203	1,93,846	82.43	54.88
16		भागलपुर	4,58,408	5,82,344	3,27,104	71.36	56.17
17		कैमूर	2,40,695	3,93,762	1,47,675	61.35	37.50
		कुल	52,22,193	55,97,987	40,20,779	76.99	71.83
18	एन०बी०पी० डी०सी०एल०	अररिया	5,35,361	5,15,217	3,76,561	70.34	73.09
19		सिवान	5,07,055	3,91,945	3,61,944	71.38	92.35
20		किशनगंज	3,06,497	2,10,009	2,65,203	86.53	126.28
21		पूर्णियाँ	5,81,363	3,10,406	3,85,842	66.37	124.30
22		मुजफ्फरपुर	8,57,133	7,69,760	5,48,838	64.03	71.30
23		सहरसा	3,40,117	3,62,978	2,15,766	63.44	59.44
24		पश्चिमी चम्पारण	6,37,354	6,58,614	4,87,431	76.48	74.01
25		पूर्वी चम्पारण	9,09,672	9,31,238	5,22,297	57.42	56.09
26		सीतामढ़ी	6,99,274	7,14,035	3,45,918	49.47	48.45
27		वैशाली	5,87,807	7,26,541	3,81,775	64.95	52.55
28		दरभंगा	7,29,100	7,71,473	5,16,893	70.89	67.00
29		मध्यपुरा	3,83,856	4,71,471	2,64,872	69.00	56.18
30		मधुबनी	8,68,524	8,90,013	5,70,222	65.65	64.07
31		समस्तीपुर	8,07,402	8,02,332	5,92,119	73.34	73.80
32		सुपौल	4,22,580	4,72,161	3,18,904	75.47	67.54
33		बेगुसराय	4,82,492	5,99,752	3,68,459	76.37	61.44
34		खगड़िया	3,12,717	3,27,939	2,02,311	64.69	61.69
35		शिवहर	1,44,286	1,48,606	78,051	54.09	52.52
36		गोपालगंज	3,87,421	4,18,079	3,54,555	91.52	84.81
37		साराण	5,75,224	6,20,850	4,31,498	75.01	69.50
38		कटिहार	5,65,512	6,25,186	2,97,301	52.57	47.55
		कुल	1,16,40,747	1,17,38,605	78,86,760	67.75	67.19
	कुल योग		1,68,62,940	1,73,36,592	1,19,07,539	70.61	68.68

* स्रोत : जिला जनगणना हस्तपुस्तिका

परिशिष्ट – 4.1

(कांडिका 4.1 में संदर्भित)

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित राज्य साठ०ख००३० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष के अन्तिमीकृत लेखाओं का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम (₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं साठ०ख००३० का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष लिनमें लेखें	लाभांश, ब्याज एवं कर के पहले किए गए	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/ हानि	टनओवर	प्रदत्त ^{पूँजी}	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. एकाधिकार क्षेत्र में काम करने वाले साठ०ख००३०										
अ.	सरकारी कम्पनियाँ									
1	बिहार स्टेट बिकरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	2018-19	19.19	13.83	3,795.39	5.00	125.52	125.52	120.52
2	बिहार वन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	0.33	0.22	12.98	0.34	0.25	0.25	-0.09
	उप कुल			19.52	14.05	3,808.37	5.34	125.77	125.77	120.43
ब.	सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ–शून्य									
	उप कुल			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स.	संविधिक निगमें–शून्य									
	उप कुल			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल I (अ+ब+स)			19.52	14.05	3,808.37	5.34	125.77	125.77	120.43
II. सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान / सफ्टवेर हारा सुनिश्चित आय वाले साठ०ख००३०										
अ.	सरकारी कम्पनियाँ									
1	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	2018-19	120.78	93.86	1,560.45	20.00	439.79	396.79	376.79
2	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम	2015-16	2017-18	6.16	4.91	150.34	5.00	31.90	31.90	26.90
	लिमिटेड									

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं साझेदारों का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिनमें लेखें अन्तिमीकृत किए गए	लाभांश, ब्याज एवं कर के पहले शुद्ध लाभ / हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ / हानि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	105.71	70.26	122.62	3.50	531.75	531.75	528.25
4	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	28.58	18.11	39.21	5.00	62.39	62.39	57.39
5	बिहार राज्य शैक्षणिक आद्यारक्षुत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	22.96	22.96	52.50	20.00	224.55	224.55	204.55
	उप कुल			284.19	210.10	1,925.12	53.50	1,290.38	1,247.38	1,193.88
ब. सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ—शून्य										
	उप कुल			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स.	सांविधिक निगमे—शून्य									
	उप कुल			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ॥ (आवृत्ति+स)			284.19	210.10	1,925.12	53.50	1,290.38	1,247.38	1,193.88
III. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में काम करने वाले साझेदारों										
अ.	सरकारी कम्पनियाँ									
1	बिहार राज्य फिल्स विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	-0.16	-0.18	0.00	1.00	-0.40	-0.90	-1.90
2	बिहार राज्य कृषि उघोग विकास निगम लिमिटेड (अकार्यशील)	2016-17	2017-18	-0.55	-0.55	0.00	7.64	-134.15	-169.76	-177.40
	उप कुल			-0.71	-0.73	0.00	8.64	-134.55	-170.66	-179.30

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं साझेदार का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिनमें लेखे अन्तिमीकृत किए गए	लाभांश, ब्याज एवं कर के पहले शुद्ध लाभ / हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ / हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ब. सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ—शून्य										
	उप कुल					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स.	सांविधिक निगमें									
1	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2017-18	2018-19	-27.75	-45.99	2.09	77.84	-182.26	-410.73	-488.57
	उप कुल			-27.75	-45.99	2.09	77.84	-182.26	-410.73	-488.57
	कुल II (अ+ब+स)			-28.46	-46.72	2.09	86.48	-316.81	-581.39	-667.87
	कुल योग (I+II+III)			275.25	177.43	5,735.58	145.32	1,099.34	791.76	646.44

परिशिष्ट – 4.2

(कांडिका 4.1 में संदर्भित)

राज्य साठेऽउ० (झज्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं है, का विवरण

(₹ करोड़ में)						
क्र० सं०	प्रक्षेत्र एवं साठेऽउ० का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिनमें अन्तिमीकृत किए गए	ब्याज के बाद शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
अ. कार्यशील साठेऽउ० जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से बकाया में थे / प्रथम लेखों अप्राप्त थे / बकाया नहीं थे						
I. सरकारी कम्पनियाँ						
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1999-2000	2013-14	-4.99	1.89	3.71
2	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2012-13	2017-18	-0.91	3.77	15.00
3	बिहार राज्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1997-98	2006-07	-0.29	0.64	3.62
4	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2013-14	2018-19	2.16	8.31	33.89
5	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2012-13	2018-19	3.56	21.04	0.01
6	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	7.96	39.23	5.66
7	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2016-17	3.54	11.63	5.00
8	बिहार राज्य खाद्य एवं असेंचिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1998-99	2018-19	-6.42	345.95	5.39
9	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15	2018-19	2.27	17.27	6.74
10	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2006-07	2016-17	-7.74	57.20	0.48
11	बिहार स्टेट माइनिंग निगम लिमिटेड**	-	-	-	-	-
12	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड**	-	-	-	-	-
13	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड*	-	-	-	-	-
14	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड **	-	-	-	-	-
15	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड **	-	-	-	-	-
उप कुल				-0.86	506.93	79.50
II. सार्विधिक निगम						
16	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2006-07	2018-19	-71.35	52.33	101.28
17	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2011-12	2018-19	0.02	69.54	6.42
उप कुल				-71.33	121.87	107.70
कुल अ (I+II)				-72.19	628.80	187.20

क्रम संखा	प्रक्षेत्र एवं सार्वजनिक कानून का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिनमें अन्तिमीकृत किए गए	व्याज के बाद शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पैंचांगी
ब. अकार्यशील सरकारी कार्यपालियाँ						
1	बिहार राज्य मतस्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1996-97	-0.22	0.00	1.75
2	रक्कड़ा एंग्री बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2016-17	0.02	0.00	0.05
3	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	1997-98	2.17	0.00	5.00
4	बिहार राज्य दुध निगम लिमिटेड	1997-98	2014-15	0.00	0.00	6.72
5	बिहार हिल एसिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1982-83	1983-84	-0.26	0.01	5.60
6	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2002-03	2018-19	-1.38	0.00	2.11
7	बिहार कीटनाशक लिमिटेड (क्र०सं० ब 26 की अनुषंगी)	1986-87	1991-92	-1.03	0.00	0.57
8	रक्कड़ा एंग्री बिजनेस लिमिटेड, खगोल*	(क्र०सं० ब 2 की अनुषंगी)	-	-	-	-
9	रक्कड़ा एंग्री बिजनेस लिमिटेड, डेहरी*	(क्र०सं० ब 2 की अनुषंगी)	-	-	-	-
10	रक्कड़ा एंग्री बिजनेस लिमिटेड आरा*	(क्र०सं० ब 2 की अनुषंगी)	-	-	-	-
11	रक्कड़ा एंग्री बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद*	(क्र०सं० ब 2 की अनुषंगी)	-	-	-	-
12	रक्कड़ा एंग्री बिजनेस लिमिटेड, मोहनियाँ*	(क्र०सं० ब 2 की अनुषंगी)	-	-	-	-
13	रक्कड़ा एंग्री वन कम्पनी लिमिटेड, खगोल*	(क्र०सं० ब 2 की अनुषंगी)	-	-	-	-
14	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1984-85	1991-92	-0.01	0.00	1.44
15	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	1996-97	-0.10	0.00	6.28
16	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2017-18	-7.63	0.16	14.04
17	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2002-03	2017-18	-3.52	23.34	7.00
18	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2004-05	9.29	31.55	9.97
19	बिहार सोलवेट एवं कोमिकल्स लिमिटेड (क्र०सं० ब 30 की अनुषंगी)	1986-87	1995-96	-0.32	0.00	0.66
20	मगध मिनरल लिमिटेड (क्र०सं० ब 26 की अनुषंगी)	-	-	-	-	-
21	बेलटॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड (क्र०सं० 36 की अनुषंगी)	1989-90	2016-17	-0.34	0.44	3.06
22	बेलटॉन माइटिंग सिस्टम लिमिटेड (क्र०सं० 36 की अनुषंगी)	1990-91	2017-18	0.14	0.41	1.32
23	बेलटॉन इनाफॉर्मेटिक्स लिमिटेड* (क्र०सं० 36 की अनुषंगी)	-	-	-	-	-
24	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	1996-97	-9.20	0.00	9.97

क्र० सं	प्रक्षेत्र एवं साठ०स०उ० का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिनमें अन्तिमीकृत किए गए	ब्याज के बाद शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
25	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड*	1985-86	1992-93	-0.17	0.00	3.62
26	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1983-84	1987-88	-0.03	0.00	0.67
27	बिहार मेन ग्रेडवट्स लिमिटेड (क्र०स० ब२६ की अनुषंगी)	1985-86	1991-92	-0.03	0.00	0.94
28	बिहार फैस एवं कोमिकल्स लिमिटेड (क्र०स० ब२६ की अनुषंगी)	1987-88	1995-96	-0.09	0.00	4.98
29	बिहार राज्य वर्त्त निगम लिमिटेड	2000-01	2005-06	0.28	22.81	2.29
30	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	1997-98	-0.06	0.00	1.56
31	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड (क्र०स० ब१६ की अनुषंगी)	1985-86	1997-98	-0.08	0.00	0.16
32	बिहार राज्य गलेज्ड टाईल्स एवं सेपानिक्स लिमिटेड (क्र०स० ब२६ की अनुषंगी)	1984-85	1988-89	-0.01	0.00	0.40
33	विषामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड (क्र०स० ब२६ की अनुषंगी)	1985-86	1991-92	-0.01	0.00	0.42
34	जङ्गारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड (क्र०स० ब२६ की अनुषंगी)	1988-89	1993-94	-0.32	0.00	1.03
35	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड (क्र०स० ब३० की अनुषंगी)	1983-84	1987-88	-0.02	0.00	0.09
36	सिन्थिटिक रेजिस्ट्री (इस्टर्न) लिमिटेड (क्र०स० ब२६ की अनुषंगी)	1985-86	1989-90	-0.01	0.00	0.02
37	भवानी ऐक्टिव कार्बन लिमिटेड (क्र०स० ब२६ की अनुषंगी)	-	-	-	-	-
38	बिहार स्कूलर्स लिमिटेड * (क्र०स० ब१६ की अनुषंगी)	-	-	-	-	-
उप कुल स				-12.94	78.72	91.72
स. समापन प्रक्रिया के अधीन सरकारी कम्पनियाँ						
1	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (क्र०स० ब१६ की अनुषंगी)	1994-95	1995-96	-2.39	10.89	2.17
2	बिहार राज्य फिनिस्ड लोर्डर्स निगम लिमिटेड (क्र०स० स३ की अनुषंगी)	1983-84	1986-87	-1.49	0.00	1.47
3	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	2004-05	-0.37	1.16	5.14
4	बिहार राज्य नियर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	1999-00	0.10	4.94	2.00
5	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	2005-06	-1.42	15.22	7.18
उप कुल				-5.57	32.21	17.96
सभी प्रक्षेत्र का कुल				-90.70	739.73	296.88

* साठ०स०उ० जिव०ह०स० अपने पहले लेखों का अन्तिमीकरण / जमा नहीं किया है।

**साठ०स०उ० जिनके लेखे देय नहीं हैं।

परिशिष्ट – 4.3

(कंडिकार्ड 4.3 एवं 4.12 में संदर्भित)

31 मार्च 2018 को राज्य साझेदारी (झज्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं साझेदारी का नाम	विभाग का नाम	निपटित होने की माह एवं वर्ष	वर्ष 2017–18 के अन्त में पूँजी			वर्ष 2017–18 के अन्त में बकाया दीघावधि ऋण				
				बिहार सरकार ¹⁰	भारत सरकार ¹¹	अन्य	कुल	बिहार सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
I एकाधिकार क्षेत्र में काम करने वाले साझेदारी											
1	बिहार स्टेट बिप्रेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	निवधन, उत्थाद एवं मद्य निषेध	25.05.2006	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	बिहार वन विकास निगम लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	11.10.2013	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रक्षेत्र I का उप कुल			5.34	0.00	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
II सेन्ट्रेज, कर्मीशन, राजस्व अनुदान/ सञ्चितियाँ इत्यादि द्वारा सुनिश्चित आय वाले साझेदारी											
सरकारी कम्पनियाँ											
1	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	पथ निर्माण	20.04.2009	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	43.00	43.00
2	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	नगर विकास एवं आवास	16.06.2009	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	पथ निर्माण	11.06.1975	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	भवन निर्माण	20.03.2008	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बिहार राज्य शैक्षणिक आवासकूट संस्थना विकास निगम लिमिटेड	शिक्षा	16.07.2010	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रक्षेत्र II का उप कुल			53.50	0.00	0.00	53.50	0.00	0.00	43.00	43.00

¹⁰ बिहार सरकार
¹¹ भारत सरकार

क्र0 प्रदेश एवं सांखोड0 का नाम		विभाग का नाम		नियमित होने की वर्ष 2017–18 के अन्त में पूँजी बकाया दीघावधि ऋण	
सं0	माह एवं वर्ष	बिहार सरकार ¹⁰	भारत सरकार ¹¹	अन्य	कुल विहार सरकार भारत सरकार अन्य कुल
1	2	3	4	5 (अ) 5 (ब)	5 (स) 5 (द) 6 (अ) 6 (ब) 6 (स) 6 (द)
III प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में काम करने वाले सांखोड0					
IIIअ सरकारी कम्पनियाँ					
1 बिहार राज्य फिल्म विकास एवं चित्र निगम लिमिटेड	कला, संस्कृति एवं युवा कृषि	06.03.1983	7.64	0.00	1.00 0.50 0.00 0.00 0.50
2 बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड		28.04.1966	8.64	0.00	7.64 3.098 0.00 4.63 35.61
प्रदेश IIIअ का उप कुल					
IIIब सांचिक नियमें					
1 बिहार राज्य वित्तीय निगम	ओद्योगिक	02.11.1954	39.95	0.00	37.89 77.84 228.47 0.00 0.00 228.47
प्रदेश III का उप कुल			48.59	0.00	37.89 86.48 259.95 0.00 4.63 264.58
कुल योग (I+II+III)			107.43	0.00	37.89 145.32 259.95 0.00 47.63 307.58

परिशिष्ट – 4.4

(कांडिका 4.7 में संदर्भित)

31 मार्च 2018 को राज्य साझेदाता (फुर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के संबंध में पूँजी, ऋण तथा प्रत्याभूतियों के अधिशेष तथा बिहार सरकार के वित्त लेखे में अन्तर को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र० साझेदाता का नाम सं0	बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार	राज्य साझेदाता के अभिलेखों के अनुसार				अन्तर (₹ करोड़ में)				
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
1 बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड		2.28	2.03	0.00	2.28	31.90	0.00	0.00	-29.87	0.00
2 बिहार स्टेट माइनिंग निगम लिमिटेड		20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड		12.14	26.80	0.00	15.12	20.47	0.00	-2.98	6.33	0.00
4 बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम		21.48	0.00	16.31	23.36	0.00	15.39	-1.88	0.00	0.92
5 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड		328.95	5.60	0.00	40.00	5.60	20.62	288.95	0.00	-20.62
6 बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड		1.00	0.48	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	-0.02	0.00
7 बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड		0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	-9.50	0.00	0.00
8 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड		0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
9 बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड		3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड		5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र० सं०	साठ००००० का नाम	बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार			राज्य साठ०००००० के अभिलेखों के अनुसार				
		प्रदत्त यूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण
13	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	आगलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00
15	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00
16	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00
17	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	25.00	6.24	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	6.24
18	बिहार स्टेट बिवरेज एंड पोरेशन लिमिटेड	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	4.16	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-0.84	0.00
20	बिहार राज्य खाद्य एवं असेंचिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.02	1,440.71	818.19	5.27	2,180.48	818.19	-5.25	-739.77
21	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फारेट्कचर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	20.00	0.00	6.74	0.00	0.00	13.26	0.00	0.00
22	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	0.12	0.00	0.36	0.00	0.00	-0.24	0.00	0.00
	कुल अ	494.24	1,481.86	834.50	212.72	2,238.95	854.20	281.52	-757.09
	ब. कार्यशील सांविधिक निगम								
1	बिहार राज्य वित्तीय निगम	23.09	213.97	127.47	39.95	228.47	0.00	-16.86	-14.50
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	81.74	880.62	0.00	74.76	873.37	0.00	6.98	7.25
3	बिहार राज्य भण्डारण निगम	0.80	0.00	164.04	3.21	0.00	164.04	-2.41	0.00
	कुल ब	105.63	1,094.59	291.51	117.92	1,101.84	164.04	-12.29	7.25
									127.47

क्रम संख्या	सारकार का नाम	बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार			राज्य सारकार के अभिलेखों के अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति
स. अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ							
1	बिहार राज्य मर्त्य विकास निगम लिमिटेड	1.75	2.66	0.00	3.70	2.60	0.00
2	रक्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
3	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	12.19	42.09	0.00	10.00	49.68	0.00
4	बिहार राज्य दुध निगम लिमिटेड	0.00	1.95	0.00	6.72	0.00	-6.72
5	बिहार हिल एसिया लिपट सिंचाई निगम लिमिटेड	9.94	3.50	0.00	10.82	8.55	0.00
6	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	4.94	7.06	0.00	7.64	30.98	0.00
7	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1.64	23.12	0.00	1.61	0.42	0.00
8	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	0.98	0.07	0.00	2.01	0.00	-1.03
9	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	11.42	1.31	0.00	10.00	1.16	0.00
10	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.63	4.41	0.00	7.18	10.40	0.00
11	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	3.18	86.30	0.00	14.04	66.54	0.00
12	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	4.90	3.30	0.00	7.00	3.38	0.00
13	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	9.87	0.00	0.00	9.97	0.00	-0.10
14	बिहार सोलवेट एवं कोमिकल्स लिमिटेड	0.20	0.01	0.00	0.20	0.00	0.00
15	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	20.00	0.00	0.00	20.00	322.95	0.00
16	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	-0.03
17	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	9.57	12.35	0.00	15.78	4.25	0.00

क्र० सं0	साठ००००० का नाम	बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार			राज्य साठ००००००० के अभिलेखों के अनुसार				
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याघृति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याघृति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण
18	बिहार झारस एवं केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	1.25	0.00	1.28	0.00	0.00	-1.28
19	बिहार राज्य वर्त्त निगम लिमिटेड	15.81	2.45	0.00	5.37	1.62	0.00	10.44	0.83
20	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	2.27	0.92	0.00	2.00	1.22	0.00	0.27	-0.30
21	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2.19	3.02	0.00	1.75	0.00	0.00	0.44	3.02
22	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
23	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18	0.00	0.00	-9.18
24	बिहार राज्य चार्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	10.43	13.26	0.00	17.40	12.43	0.00	-6.97	0.83
25	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	-6.09
कुल ब		122.49	207.79	1.25	153.19	532.76	0.00	-30.70	-324.97
कुल योग		722.36	2,784.24	1,127.26	483.83	3,873.55	1,018.24	238.53	-1,089.31
									109.02

परिशिष्ट – 4.5

(कंडिका 4.8.1 में संदर्भित)

राज्य साठेझोठ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे बकाये में थे, बकाये की अवधि में राज्य सरकार द्वारा किए गये निवेश को दर्शाती विवरणी
(₹ करोड़ में)

क्र० सं	साठेझोठ० का नाम	अवधि जहाँ तक के लेखे बकाये की अन्तिमीकृत हैं	लेखाओं की अवधि	अदातन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दोगने निवेश जहाँ लेखे बकाये में थे				
					पूँजी	ऋण	पैंजी	अनुदान	मासिकी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ कार्यशील साठेझोठ०									
I. दो वर्षों तक बकाये									
1	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25
उप कुल (I)									
II. तीन वर्षों और अधिक बकाये									
1	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	5.00	0.00	0.00	5.23	0.00	5.23
2	बिहार राज्य अल्पसंस्कृक वित्तीय निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	33.89	6.11	7.00	165.00	0.00	178.11
3	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2006-07	2007-08	0.48	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00
4	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1999-2000	2000-01	3.71	0.00	2.28	105.39	8.66	116.33
5	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1997-98	1998-99	3.62	20.74	7.49	0.00	0.00	28.23
6	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1998-99	1999-2000	5.39	0.00	1,118.31	0.00	1,460.29	2,578.60
7	बिहार राज्य भण्डारण निगम (खाविधिक निगमें)	2011-12	2012-13	6.42	0.00	0.00	47.17	0.00	47.17
8	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (सार्विधिक निगमें)	2006-07	2007-08	101.28	0.00	785.01	0.00	0.00	785.01
उप कुल (II)									
कुल (अ)									
		160.79	26.85	1,920.09	323.04	1,491.95	3,761.68		

क्र0 सं0	साठक्स००३० का नाम	अवधि जहाँ तक के लेखे अन्तिमीकृत हैं	लेखाओं के बकाये की अवधि	अद्यतन लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दोषान निवेश जहाँ लेखे बकाये में थे				
					पूँजी	ऋण	पूँजी अनुदान	सार्विकी	कुल
ब. अकार्यशील कर्मनियाँ									
1	बिहार राज्य मतस्थ विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1993-94	1.75	1.25	5.63	0.26	0.00	7.14
2	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2002-03	2003-04	7.00	0.00	2.28	0.00	0.00	2.28
3	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	1985-86	9.97	11.21	365.32	0.00	69.27	445.80
4	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	2002-03	2003-04	2.11	0.00	4.53	21.07	0.00	25.60
5	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2001-02	9.97	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
6	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1987-88	1988-89	4.98	5.80	2.74	0.00	0.00	8.54
7	बिहार हिल एरिया लिपट सिचाई निगम लिमिटेड	1982-83	1983-84	5.60	5.22	18.78	0.00	55.41	79.41
8	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	1979-80	5.00	5.00	154.33	0.00	0.00	159.33
9	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	1984-85	6.28	3.72	0.25	0.00	0.48	4.45
10	बिहार राज्य औशथि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	1986-87	3.62	12.92	6.30	0.00	0.00	19.22
11	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2001-02	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	2.29
12	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	-	1977-78	1.63	0.00	6.09	0.00	0.00	6.09
कुल (ब)				60.20	45.12	568.54	32.33	125.16	771.15
कुल योग (अ+ब)				220.99	71.97	2,488.63	355.37	1,617.11	4,533.08

परिशिष्ट – 4.6

(कंडिका 4.15 में संदर्भित)

2000–01 से 2017–18 की अवधि के दौरान राज्य सांक्षेतिक (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में
राज्य सरकार के निवेश को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अ. एकाधिकार क्षेत्र में काम करने वाले सांक्षेतिक			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01(तक)	-	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	5.00	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-

वर्ष	अ. एकाधिकार क्षेत्र में काम करने वाले साठेहोडा			
	बिहार वन विकास निगम लिमिटेड	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01(तक)	-	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	0.34	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-

वर्ष	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिन पर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01(तक)	-	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	20.00	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-

वर्ष	ब. सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान / सब्सिडियाँ इत्यादि द्वारा सुनिश्चित आय वाले साठेश०उ०			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01(तक)	-	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	5.00	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-

वर्ष	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01(तक)	3.50	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-

वर्ष	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01(तक)	-	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	5.00	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-

वर्ष	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01(तक)	-	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	20.00	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-

वर्ष	स. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में काम करने वाले साठेहोड़			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01(तक)	1.00	-	0.15	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	0.35	0.02
2016-17	-	-	-	0.17
2017-18	-	-	-	-

वर्ष	स. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में काम करने वाले साठेहोडा			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01(तक)	7.64	0.00	12.60	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	5.24	-
2004-05	-	-	4.99	-
2005-06	-	-	7.97	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	0.18	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-

वर्ष	स. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में काम करने वाले साझोज्ञ			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01(तक)	39.95	-		-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	83.94	-
2003-04	-	-	6.94	-
2004-05	-	-	36.60	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	71.00	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	29.99	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-

